



GENERAL STUDIES HINDI

SEPTEMBER Current Affairs (e- Magazine)

Index:

Topic	Page
Polity	4-20
Programme & Schemes	21-22
Geography, Environment & Ecology	23
Science and Technology	24-33
International Relation & International events	34-48
National Issues	49-65
Editorials	66-78
Governance and Ethics	79-81
Internal Security	82-95
Miscellaneous	96-102

#GSHindi

www.gshindi.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें UPSC और State PSC की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी आयाम शामिल हैं :-

www.gshindi.com की खासियतें :-

- Leading English News Papers के प्रतिदिन के महत्वपूर्ण Editorials का हिंदी में भावानुवाद
- RSTV और LSTV पर आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और डिबेट्स को कवर करते हुए, उन पर लिखित नोट्स उपलब्ध कराना.
- प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स
- ऑल इंडिया रेडियो (AIR) पर आने वाली डिबेट और चर्चाओं को कवर करते हुए लिपिबद्ध नोट्स उपलब्ध कराना.
- मुख्य परीक्षा (Mains) को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन का उत्तर लेखन (Answer writing) कार्यक्रम, जहाँ आपको न सिर्फ अभ्यास हेतु UPSC स्तर के प्रश्न उपलब्ध कराये जायेंगे वरन उनके answer चेकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है. आप सपनी नोट बुक में answer लिखकर, मोबाइल से उसकी image लेकर सीधे वेबसाइट के ओपन प्लेटफार्म पर अपलोड कर सकते हैं. आपके answers को विशेषज्ञ द्वारा चेक कराया जा सकते हैं.
- साप्ताहिक निबंध लेखन कार्यक्रम (weekly essay writing)
- Mind Map के माध्यम से कठिन अवधारणा को भी सरलता पूर्वक समझाना.
- #GSHindi आप सभी तक प्रति माह निःशुल्क मासिक पत्रिका भी उपलब्ध करा रहा है, जिसे आप वेबसाइट से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं.
- योजना पत्रिका का सार.
- प्रीलिम्स उपयोगी वैकल्पिक प्रश्नों के अभ्यास के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लेटफार्म quiz.gshindi.com पर जाकर आप निःशुल्क टेस्ट दे सकते हैं.

=>" Roadmap To Mussoorie"

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक मेहनती और प्रतिबद्ध अभ्यर्थी को उसके ड्रीम प्लेस "LBASANA मसूरी" तक पहुँचाना है।

=>कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत रूप रेखा :-

- **प्रतिदिन का प्लान** : इसके अंतर्गत आपको GS के प्रत्येक खंड का निश्चित सिलेबस दिया जायेगा जिसे आपको तयशुदा समय में पूरा करना होगा।

- **डेली टास्क** में टॉपिक्स का विस्तृत विवरण होगा:- क्या- कैसे पढना है.

- टॉपिक्स के अनुसार **वैकल्पिक प्रश्न**

- एक **डिस्क्रिप्टिव प्रश्न**

- कर्ेंट अफेयर्स से सम्बंधित कुछ टॉपिक्स (www.gshindi.com से)

इस प्रकार gshindi.com आप तक सर्वोत्तम गुणवत्ता के भिन्न-भिन्न कार्यक्रम और इनिशिएटिव को एकीकृत रूप से एक ही जगह उपलब्ध कराता है. ताकि UPSC / PSCs परीक्षाओं के विभिन्न चरणों यथा- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को भटकना नहीं पड़े. उन्हें यह सभी सुविधाएँ एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो जाएँ.

GENERAL STUDIES HINDI


Polity

1. कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच 135 वर्ष पुराना है कावेरी नदी पर विवाद

कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु में होता है। 802 किलोमीटर लंबी ये नदी तमिलनाडु के 44 हजार वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक के 32 हजार वर्ग किलोमीटर इलाके से होकर गुज़रती है। - तमिलनाडु का कहना है कि उसने कावेरी नदी के किनारे पर 3 लाख एकड़ यानी करीब 12 हजार वर्ग किलोमीटर ज़मीन को कृषि के लिए विकसित किया है। इसलिए तमिलनाडु की कावेरी नदी पर निर्भरता काफी ज्यादा है। जबकि कर्नाटक का कहना है कि कावेरी नदी को लेकर पहले जितने भी समझौते हुए हैं उनमें कर्नाटक का हक मारा गया है।

क्या था समझौता :-

- कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद करीब 135 वर्ष पुराना है।
- भारत में ब्रिटिश राज के वक्त कर्नाटक प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर के तहत आता था जबकि तमिलनाडु मद्रास प्रेजिडेंसी का हिस्सा था
- कावेरी नदी को लेकर 1892 में प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर और मद्रास प्रेजिडेंसी के बीच एक समझौता हुआ।
- 910 में मैसूर के राजा नलवडी कृष्णराजा वोडियर ने चीफ इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरया के साथ मिलकर कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव दिया जिसे मद्रास ने ठुकरा दिया। इसके बाद 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर एक समझौता हुआ जिसका पालन दोनों राज्य कुछ वर्षों तक करते रहे।



विवाद के कारण

- 1956 में भारत के राज्यों को पुनर्गठित किया गया इस पुनर्गठन के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी का नक्शा बदल गया।
- जिसके बाद कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी आमने सामने आ गए।
- विवाद को देखते हुए 1970 कावेरी तथ्यान्वेषी कमेटी बनाई गई।
- तमिलनाडु ने बड़े कृषि क्षेत्रों का हवाला दिया और ज्यादा पानी मांगा जबकि कर्नाटक ने ब्रिटिश काल में बनाई गई योजनाओं को इसके लिए दोषी ठहराया।
- ज्यादा बड़ा कृषि क्षेत्र होने की वजह से तमिलनाडु अपने लिए ज्यादा पानी मांग रहा था लेकिन कर्नाटक इसके लिए तैयार नहीं था।

विवाद के हल के लिए अब तक की कोशिश :-

- विवाद का हल ना निकलने पर 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई।
- ट्रिब्यूनल ने 16 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद 2007 में अपना फैसला सुनाया।
- ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों के बीच 1892 और 1924 में हुए समझौतों को सही पाया।
- ट्रिब्यूनल ने कावेरी नदी का 58 प्रतिशत पानी तमिलनाडु को 37 प्रतिशत पानी कर्नाटक को 4 प्रतिशत केरल को और 1 प्रतिशत पुद्दुचेरी को देने का फैसला सुनाया था।
- लेकिन इस फैसले को पूरी तरह मानने के लिए कभी भी कोई राज्य तैयार नहीं हुआ।
- जब कभी दक्षिण भारत के इन इलाकों में मॉनसून की बारिश अच्छी नहीं होती है तो इन राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद बढ़ जाता है।
-पिछले 20 वर्षों में कई बार सुप्रीम कोर्ट और कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी को विवाद सुलझाने के लिए दखल देना पड़ा है।

****SC verdict****

2. आलोचना करने पर देशद्रोह, मानहानि के आरोप नहीं लगाये जा सकते : Supreme court

- सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश में कहा कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं थोपे जा सकते
- जज दीपक मिश्रा और जज यू यू ललित की पीठ ने इस मुद्दे पर आगे और कुछ कहने से दूरी बनाते हुए कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं करता।
- आईपीसी की धारा 124 (ए) (देशद्रोह) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुरूप कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।' एक गैर सरकारी संगठन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि देशद्रोह एक गंभीर अपराध है और असहमति को दबाने के लिए इससे संबंधित कानून का अत्यंत दुरुपयोग किया जा रहा है।

- उन्होंने इस संबंध में कुछ उदाहरण दिये. जिनमें कुडनकुलम परमाणु उर्जा परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी आदि पर देशद्रोह के आरोप लगाये जाने के मामले गिनाये गये.
- पीठ ने कहा, 'हमें देशद्रोह कानून की व्याख्या नहीं करनी. 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में पहले ही स्पष्ट है.'
- कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका का निस्तारण करते हुए इस अपील पर यह निर्देश देने से इंकार कर दिया कि इस आदेश की प्रति सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजी जाए. इस संगठन ने देशद्रोह कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया था.
- पीठ ने कहा, 'आपको अलग से याचिका दाखिल करनी होगी जिसमें यह उल्लेख हो कि देशद्रोह के कानून का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा. आपराधिक न्यायशास्त्र में आरोप और संज्ञान मामला केंद्रित होने चाहिए, अन्यथा ये बेकार होंगे. कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता.'
- देशद्रोह के आरोपों को लागू करते समय शीर्ष अदालत द्वारा तय दिशानिर्देशों को मजिस्ट्रेट को समझना होता है और उनका पालन करना होता है.' अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आईपीसी की धारा 124 ए के 'दुरुपयोग' पर ध्यान देने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गयी थी और दलील दी गयी थी कि 'डर पैदा करने और असहमति को दबाने' के मद्देनजर इस तरह के आरोप गढ़े जा रहे हैं
- संगठन की याचिका में कहा गया, 'विद्वानों, कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले बढ़े हैं जिनमें सबसे ताजा मामला एमनेस्टी इंडिया पर कश्मीर पर एक चर्चा आयोजित करने को लेकर लगाये गये देशद्रोह के आरोप का है.'
- उन्होंने कहा, 'इस संबंध में केंद्र और अनेक राज्य सरकारों द्वारा धारा 124 (ए) के दुरुपयोग पर ध्यान देने के लिए एक याचिका दाखिल की गयी है. इसके दुरुपयोग से छात्रों, पत्रकारों और सामाजिक रूप से सक्रिय विद्वानों का नियमित उत्पीड़न होता है.'
- गौरतलब है कि बेंगलूरु पुलिस ने शनिवार को एबीवीपी की शिकायत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ देशद्रोह के आरोप दर्ज किये थे. संगठन ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और न्याय नहीं मिलने के आरोपों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के हवाले से याचिका में कहा गया है कि 2014 में ही देशद्रोह के 47 मामले दर्ज किये गये थे और इनके सिलसिले में 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सरकार अब तक केवल एक व्यक्ति को ही दोषी सिद्ध करा सकी है.

3. पत्नी बूढ़े मां-बाप से अलग करने की कोशिश करे तो पति दे सकता है तलाक

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला अपने पति को उसके बूढ़े मां-बाप के साथ न रहने दे और उन्हें आश्रय देने से इनकार कर दे तो पति इसे क्रूरता मानते हुए उसे तलाक दे सकता है। हिंदू

लॉ के मुताबिक कोई भी महिला किसी भी बेटे को उसके मां-बाप के प्रति पवित्र दायित्वों के निर्वहन से मना नहीं कर सकती।

- यह पश्चिमी सोच, हमारी सभ्यता संस्कृति व मूल्यों के खिलाफ जस्टिस अनिल आर .दवे और जस्टिस एल .नागेश्वर राव की खंडपीठ ने कहा कि एक महिला शादी के बाद पति के परिवार की सदस्य बन जाती है। वह इस आधार पर उस परिवार से अपने पति को अलग नहीं कर सकती है कि वह अपने पति की आय का पूरा उपभोग नहीं कर पा रही है।
- कोर्ट ने टिप्पणी की कि माता-पिता से अलग रहने की पश्चिमी सोच हमारी सभ्यता-संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ है। यह है मामला कर्नाटक के दंपती की शादी 1992 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही महिला पति पर अकेले रहने का दबाव बना रही थी।
- उसकी क्रूर हरकतों की वजह से पति ने निचली अदालत में तलाक की अर्जी दी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति के नौकरानी के साथ अवैध संबंध हैं, इसलिए वह उसे तलाक दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे झूठा पाया। निचली अदालत ने तलाक को मंजूर कर लिया।

बाद में हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द करते हुए कहा था कि एक पत्नी का यह उम्मीद करना उचित है कि उसके पति की आय सिर्फ उस पर खर्च हो। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने तलाक को मंजूरी देते हुए यह व्यवस्था दी।

हिंदू परिवारों में यह न सामान्य बात, न प्रचलन में

जस्टिस दवे ने फैसले में लिखा है कि भारत में हिंदू परिवारों में न तो यह सामान्य बात है और न ही प्रचलन में है कि कोई भी बेटा अपनी पत्नी के कहने पर शादी के बाद बूढ़े मां-बाप को छोड़ दे। खासकर तब, जब बेटा ही परिवार में एकमात्र कमाऊ सदस्य हो।

एक बेटे को उसके मां-बाप ने न केवल जन्म दिया बल्कि पाल-पोसकर उसे बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया। अब उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह बूढ़े मां-बाप की देखभाल करे। खासकर तब, जब उनकी आय या तो बंद हो गई है या कम हो गई है।

पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह पति के परिवार के साथ रहे

जस्टिस दवे ने कहा कि आमतौर पर लोग पश्चिमी विचारधारा को नहीं अपनाते हैं, जहां बेटा शादी होने के बाद अपने मां-बाप से अलग हो जाता है। सामान्य स्थितियों में, पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह शादी के बाद अपने पति के परिवार के साथ रहे।


वह अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है और सामान्यतः बिना किसी तर्कसंगत सशक्त कारण के वह अपने पति पर दबाव नहीं डाल सकती कि वह परिवार से अलग हो जाए और सिर्फ उसके साथ रहे।

4. घरेलू हिंसा कानून के तहत अब सबके खिलाफ चलेगा केस: SC

- घरेलू हिंसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसने इसके तहत महिला से उत्पीड़न या हिंसा करने वाले ससुराल पक्ष के सभी आरोपी रिश्तेदारों के खिलाफ उम्र और लिंग का लिहाज किए बगैर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
- - इसके लिए शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम से 'व्यस्क पुरुष' शब्दों को हटाने का आदेश दिया है।
- अदालत के इस कदम से महिला से उत्पीड़न और हिंसा के आरोप में अब तक बचती आ रहीं ससुराली रिश्तेदार औरतों और नाबालिगों पर केस चलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश के बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून 2005 की धारा 2(क्यू) से 'व्यस्क पुरुष' वाला अंश हट जाएगा।
- यह धारा एक शादीशुदा महिला के साथ ससुराल में मारपीट और उत्पीड़न करने के आरोपी प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और सजा देने के प्रावधान से संबंधित है।
- इसमें अब तक लिखा है, 'प्रतिवादी का मतलब पीड़िता से घरेलू स्तर पर संबंधित किसी भी व्यस्क पुरुष से है, जिसके खिलाफ उसने घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत की गुहार लगाई है।
- न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। पीठ ने इस कानून से 'व्यस्क पुरुष' अंश हटाने का आदेश देते हुए कहा कि ये शब्द संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के खिलाफ है।
- यह किसी भी तरह की घरेलू हिंसा की शिकार महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मंशा के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने बांबे हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने 'व्यस्क पुरुष' प्रावधान के आधार पर घरेलू हिंसा के आरोपी दो लड़कियों, एक महिला और एक नाबालिग बच्चे को बरी कर दिया था।
- अदालत ने कहा था कि ये आरोपी व्यस्क पुरुष नहीं हैं, लिहाजा इन्हें घरेलू हिंसा कानून के तहत सजा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का खारिज कर दिया। 56 पेज के फैसले में शीर्ष कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल 'व्यस्क पुरुष' वाले अंश को ही खत्म किया गया है। बाकी कानून का ज्यों का त्यों है।

5. सिर्फ जजों की कमी से ही लंबित नहीं हैं मुकदमे

- देश में न्यायाधीशों की कमी ही अदालतों में मुकदमों के लंबित होने की इकलौती वजह नहीं है बल्कि अन्य कारणों से भी बड़ी संख्या में मामले लटके हुए हैं।
- - इसका उदाहरण है कि दिल्ली और गुजरात में लंबित मामलों के निपटारे में



कठिनाई हो रही है जबकि दोनों राज्यों में न्यायाधीश और जनसंख्या के बीच अनुपात अन्य राज्यों से बेहतर है। पूरे देश में इस समय करीब सिविल के करीब 85 लाख मामले लंबित हैं।

यह बात कानून मंत्रालय की पड़ताल में सामने आई है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने देश में न्यायाधीशों की कम संख्या के चलते लोगों को न्याय न मिल पाने की बात कही थी। देश में न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या 21 हजार है जबकि मौजूदा मुकदमों की सुनवाई के लिए यह संख्या 40 हजार होनी चाहिए। इसी के बाद कानून मंत्रालय ने तथ्यों की पड़ताल कराई। विशेषज्ञों की राय के अनुसार कई तरह के कारणों से मुकदमे लंबित होते हैं।

१. इनमें न्यायालय प्रबंधन में खामी

२. सुनवाई तिथि का आगे बढ़ते रहना

३. वकीलों की हड़ताल

४. पहली अपील का लंबित रहना जैसे कारण भी हैं।

- दिल्ली और गुजरात की तुलना में तमिलनाडु व पंजाब में न्यायाधीशों की संख्या का अनुपात ज्यादा है, अर्थात वहां जजों की संख्या कम है, इसके बावजूद वहां लंबित मुकदमों की संख्या कम है।

6. एड्स के मरीजों की जिंदगी आसान बनाने वाले विधेयक में संशोधनों को सरकार की मंजूरी

इस विधेयक में एड्स पीड़ितों के इलाज को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और केंद्र व राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। केंद्र सरकार ने एचआईवी/एड्स मरीजों के इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने वाले विधेयक को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एचआईवी और एड्स (नियंत्रण व रोकथाम) विधेयक-2014 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

==>>क्या खास प्रावधान हैं इस विधेयक में :-

★ इस विधेयक के तहत एचआईवी मरीजों के इलाज को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

★ इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों को एचआईवी/एड्स मरीजों के लिए एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) की व्यवस्था करने और प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी से होने वाले संक्रमण को रोकने के इंतजाम के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

★ विधेयक में एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के भेदभाव पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।

★ इसके अलावा उसके संपत्ति पर अधिकार और अन्य मामलों में स्पष्ट निर्देशों को जोड़ा गया है।

==>>परिप्रेक्ष्य :-

★ भारत में लगभग 21 लाख लोग एचआईवी संक्रमण का सामना कर रहे हैं हालांकि पिछले एक दशक में एचआईवी संक्रमण की दर में कमी आई है।

★ इस विधेयक से एचआईवी मरीजों की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है. एएनआई के मुताबिक इस विधेयक में एचआईवी संक्रमित बच्चों और महिलाओं के इलाज के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं.

★ इसमें एचआईवी संक्रमित व्यक्ति की पहचान और जानकारियों को उसकी मर्जी से या फिर अदालत के आदेश के बगैर सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

★ इसके अलावा सभी राज्यों में लोकपाल बनाने का प्रावधान किया गया है, जो इस कानून के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा.

7. सिंधु जल संधि समझौते को रद्द करने में भारत के सामने आने वाली बाधा

क्या उरी हमले के बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए भारत 1960 में हुई इस संधि को रद्द कर सकता है?

सैद्धांतिक तौर पर भारत को इस समझौते से खुद का दूर करने का अधिकार है लेकिन इसे लागू करने की व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस समझौते को रद्द करना न केवल मुश्किल है बल्कि भारत को इसका कोई फायदा नहीं होगा.

- विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था. समझौते के तहत उत्तर भारत की छह नदियों का नियंत्रण दोनों देशों के बीच बांट दिया गया.

- भारत को जहां ब्यास, रावी और सतलज के पानी पर नियंत्रण का मौका मिला वहीं पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी का नियंत्रण मिला.

- पाकिस्तान में सरकार के इतर ऐसे कई तत्व हैं जो भारत पर उसके हिस्से का पानी नहीं दिए जाने की राजनीति करते रहे हैं.

इसके अलावा खुद पाकिस्तान भी कई बार इस शिकायत के साथ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए जा चुका है.

- समझौते की एक खास बात है कि पाकिस्तान को जिन नदियों का नियंत्रण मिला है वह बेशक पाकिस्तानी नियंत्रण में आती हैं लेकिन वह नदियां पाकिस्तान से नहीं निकलती हैं. सिंधु चीन से निकलती है जबकि चेनाब और झेलम भारत से निकलती हैं. तीनों नदियां भारत होते हुए पाकिस्तान जाती हैं.



- समझौते के तहत भारत को सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी इस्तेमाल करने की अनुमति है लेकिन एक सीमित मात्रा में. भारत इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई, परिवहन और बिजली पैदा करने के लिए कर सकता है लेकिन उसकी सीमा तय है।।
- 1999 में करगिल युद्ध के समय भी यह समझौता टिका रहा. इसके पहले भी भारत और पाकिस्तान 1965 और 1971 में लड़ाई लड़ चुके हैं. भारत अचानक से इस समझौते को नहीं तोड़ सकता और नहीं पाकिस्तान को जाने वाली पानी की आपूर्ति रोक सकता है.

1. सिंधु नदी की घाटी में आधा पाकिस्तान बसा हुआ है. भारत अगर अचानक से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकता है तो जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्य बाढ़ में डूब जाएगा.

★वहीं पाकिस्तान में उसके नियंत्रण वाली तीनों नदियों को भी आपस में नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि इनके बीच पीर पंजाल पहाड़ी पड़ती है.

2. छवि का नुकसान

★दूसरा संधि के मुताबिक भारत अपनी नियंत्रण वाली नदियों के पानी का कुल 20 फीसदी ही पानी रोक सकता है. भारत को बांध बनाने की अनुमति होगी लेकिन वह बहाव को रोकने वाला नहीं होगा.

3. भारत को इन नदियों का पानी रोकने के लिए कई बांध और नहरें बनानी होंगी जिसके लिए बहुत पैसे और वक्त की जरूरत होगी. इससे विस्थापन की समस्या भी सामने आएगी.

4. साथ ही पर्यावरण को होने वाला नुकसान कहीं बड़ा होगा.

5. पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी समझौता उसकी जीवन रेखा है. पाकिस्तान की अर्थव्यस्था इस समझौते पर टिकी है. सिंचाई से लेकर बिजली उत्पादन तक. ऐसे में अगर भारत इस समझौते को तोड़ता है तो इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान होगा.

6. साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इसे मानवाधिकार का मामला बताते हुए भारत को घेरने की कोशिश करेगा. जबकि अभी तक इस मामले में भारत बढ़त की स्थिति में रहा है और समझौता टूटने की स्थिति में वह इसे गंवा सकता है.

8. क्या है सिंधु जल समझौता? और सिंधु जल समझौते के प्रावधान। HINDI

सिंधु नदी का इलाका करीब 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. ये इलाका पाकिस्तान (47 प्रतिशत), भारत (39 प्रतिशत), चीन (8 प्रतिशत) और अफ़गानिस्तान (6 प्रतिशत) में है. एक आंकड़े के मुताबिक करीब 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं.

=>>सिंधु जल समझौते की प्रमुख बातें :-

1. समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया. सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया.

2. समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोड़े दें, तो भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है. पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा लेकिन समझौते के भीतर कुछ इन नदियों के पानी का कुछ सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को दिया गया, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी. अनुबंध में बैठक, साइट इंस्पेक्शन आदि का प्रावधान है.
3. समझौते के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई. इसमें दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था. ये कमिश्नर हर कुछ वक्त में एक दूसरे से मिलेंगे और किसी भी परेशानी पर बात करेंगे.
4. अगर कोई देश किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है और दूसरे देश को उसकी डिजाइन पर आपत्ति है तो दूसरा देश उसका जवाब देगा, दोनों पक्षों की बैठकें होंगी. अगर आयोग समस्या का हल नहीं ढूंढ पाती है तो सरकारें उसे सुलझाने की कोशिश करेंगी.
5. इसके अलावा समझौते में विवादों का हल ढूंढने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का भी रास्ता सुझाया गया है.

9. रेल बजट का आम बजट में होगा विलय, आएगा सिर्फ एक ही बजट

Why in News:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल बजट के आम बजट में विलय को सैद्धांतिक सहमति दे दी। इसके साथ ही 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी। अब इस घोषणा के साथ ही रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा।

इसके साथ ही आप सभी के मन में सवाल उठता होगा कि आखिरकार ये बजट कैसे बनता है? कौन बनाता है? किस प्रिटिंग प्रेस में इसकी छपाई होती है? इस प्रक्रिया में कौन शामिल होता है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सभी जानना चाहते हैं बजट में क्या होगा और क्या होना चाहिए। इस पर तो तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन करीब 2 घंटे तक, बिना रुके संसद में पढ़ा जाने वाला बजट तैयार कैसे होता है, आइए हम आपको बताते हैं।

=>> यह होता है Budget

■ देश का बजट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जो संसद द्वारा पास कराया जाता है। इसे देश का राष्ट्रपति अनुमोदित करता है। भारत सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होने वाले खर्च का ब्यौरा पेश करती है। इसे ही बजट कहा जाता है।

=>> कितने प्रकार के होते हैं बजट?

केंद्रीय बजट दो प्रकार का होता है। पहला - रेलवे बजट जो रेलवे फाइनेंस का ब्यौरा देता है। जबकि दूसरा जनरल बजट होता है, जो पूरे साल सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा बनाता है।

=>> बजट की क्या आवश्यकता है?

★सामान्य स्थिति में बजट निर्माण की प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो जाती है। सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को सर्कुलर भेजा जाता है, जिसके जवाब में विवरण के साथ उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के अपने-अपने खर्च, विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा और फंड की आवश्यकता की जानकारी देनी होती है। यह बजट की रूपरेखा के लिए एक आवश्यक कदम है।

=>>किस तरह तैयार होता है बजट?

★वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रिंटिंग टेक्निशियन और स्टेनोग्राफर्स नार्थ ब्लॉक में एक तरह से कैद में रहते हैं और आखिरी के सात दिनों में तो बाहरी दुनिया से एकदम कट जाते हैं। वे परिजन से भी बात नहीं कर सकते हैं। किसी आपातकालीन स्थिति में, इन अधिकारियों के परिवार उन्हें दिए गए नंबर पर संदेश छोड़ सकते हैं लेकिन उनसे सीधे बात नहीं कर सकते।

=>>इस समय होती है प्रिंटिंग

वित्त मंत्री का भाषण एक सबसे सुरक्षित दस्तावेज है। यह बजट की घोषणा होने के दो दिन पहले मध्यरात्री में प्रिंटर्स को सौंपा जाता है।

=>>लोकसभा में इस समय पेश किया जाता है बजट

वित्त मंत्री के बजट का भाषण आमतौर पर दो भागों में संसद में प्रस्तुत होता है। पहले बजट फरवरी के आखिरी वर्किंग डे पर शाम 5 बजे पेश होता था लेकिन 1999 से यह फरवरी के आखिरी वर्किंग डे पर सुबह 11 बजे पेश होने लगा।

=>>2014 में इसलिए दो बार आया था बजट

जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं। तब बजट दो बार पेश किया जाता है। पहला : वोट ऑन एकाउंट बजट होता है तो दूसरा कुछ महीने बाद फुल बजट पेश किया जाता है।

=>>11 माह का बनाया जाता है बजट

आमतौर पर बजट 11 महीने का तैयार किया जाता है। जोकि अप्रैल से शुरू होकर अगले साल की मार्च तक चलता है।

=>>ऐसे होती है इसकी निगरानी

संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इंटे्लिजेंसी ब्यूरो के अधिकारी बजट बनाने वाली टीम की गतिविधियों और फोन कॉल्स पर नजर रखते हैं। स्टेनोग्राफर्स पर सबसे अधिक नजर रखी जाती है। साइबर चोरी की आशंका से बचने के लिए इन स्टेनोज के कम्प्यूटर्स नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) सर्वर से अलग रहते हैं। एक पावरफुल मोबाइल जैमर नार्थ ब्लॉक में कॉल्स को ब्लॉक करने और जानकारियों के लीक होने से बचने के लिए इंस्टॉल किया जाता है।

=>>बजट की गोपनीयता

बजट निर्माण की प्रक्रिया को इतना गोपनीय रखा जाता है कि संसद में पेश होने तक इसकी किसी को भनक भी न लगे। इस गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के नार्थ ब्लॉक स्थित दफ्तर को बजट पेश होने के कुछ दिनों पहले से एक अघोषित 'कैदखाने' में तब्दील कर दिया जाता है।

बजट की छपाई से जुड़े कुछ कर्मचारियों को यहां पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे में दिन-रात रहना होता है। बजट के दो दिन पहले तो नार्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय का हिस्सा तो पूरी तरह सील कर दिया जाता है। यह सब वित्त मंत्री के बजट भाषण के पूरा होने और वित्त विधेयक के रखे जाने के बाद ही समाप्त होता है।

10. रेल बजट का अलग से पेश करे या ना करे

क्यों खबरों में :

हाल ही में सरकार ने rail बजट अलग से नहीं पेश करने पर मुहर लगा दी है।

रेल बजट अलग रखने के तर्क :

- इससे रेलवे को मजबूत आर्थिक आधार दिया जा सकेगा।
- यह भी दलील है कि रेलवे की आमदनी इतनी घट गई है कि यह पृथक बजट की हकदार नहीं रहा। उदाहरण दिया जा रहा है कि अन्य किसी देश में रेलवे का अलग बजट नहीं होता।

रेल बजट को मुख्य बजट में merge करने के तर्क :

- हाल के वर्षों में और खासकर 1996 के बाद आई गठबंधन सरकारों में राजनीति पर दबदबा रखनेवालों ने रेल बजट का इस्तेमाल अपनी छवि बनाने में किया था। रेल मंत्रालय अक्सर क्षेत्रीय

DRIVEN BY ECONOMICS

With the 92-year-old practice of a separate Railway budget coming to an end, a look at the implications

<p>ONE APPROPRIATION BILL The merger will lead to a single Appropriation Bill, including estimates of the Railways Ministry</p>	<p>receive gross budgetary support from exchequer</p> <p>REVENUE DEFICIT Railways' huge revenue deficit will be handled by the Finance Ministry after the merger</p>
<p>NO DIVIDEND Railways will no longer have to pay about Rs. 9,700 crore as dividend from the next fiscal, though it will still</p>	<p>FLIP SIDE Merger may render it just another department and also lead to higher fares</p>



पहला रेल बजट : 1920-21 में दस सदस्यीय एक्वर्थ समिति के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। पहली बार अलग रेल बजट 1924 में पेश किया गया था।

अगस्त, 1947 जॉन मथाई आजाद भारत के पहले रेल मंत्री बनाए गए।

महिला रेल मंत्री : बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ममता बनर्जी साल 2000 में पहली महिला रेल मंत्री बनी थीं।

पहली बार सीधा प्रसारण : आम बजट से अलग होने के 70 साल बाद रेल बजट का टीवी पर पहला सीधा प्रसारण 24 मार्च, 1994 को हुआ था।

सबसे अधिक बजट पेश किया : सबसे अधिक बार रेल बजट पेश करने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के नाम है। उन्होंने 1956 से 1962 तक सात बार इसे पेश किया था।

आजाद भारत के पहले रेल मंत्री : 15

तरह चलाया जाना चाहिए।

- विवेक देबरॉय और किशोर देसाई की समिति ने अंग्रेजी हुकूमत के समय की इस व्यवस्था को खत्म करने की सिफारिश की थी।

क्या रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल करने से मौद्रिक और वित्तीय नीति में फर्क पड़ेगा?

रेल बजट, केंद्रीय बजट जैसी प्रक्रिया ही अपनाता है। यह भी सारी घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले कैबिनेट से मंजूरी लेता है। सारी आमदनी एकीकृत फंड में जाती है और मांग संसद की अनुमति के बाद अनुदान में बदल जाती है। कुछ 'सशुल्क' खर्च छोड़ दें तो खर्च के लिए पैसा संसद की मंजूरी के बाद ही लिया जा सकता है। फर्क इस बात में है कि रेल बजट का हिस्सा होने पर बारीक ब्योरे भी सार्वजनिक रहते हैं और लोग विकास होता हुआ देख सते हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह पारदर्शिता बहुत जरूरी है।

11.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामान्य श्रेणी के अनाथ बच्चों को ओबीसी के तहत आरक्षण की सुविधा देने के पक्ष में

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) सामान्य श्रेणी के दस वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने के पक्ष में है। उसने पिछले हफ्ते इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सरकार से यह व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है।

- इसके तहत अनाथ बच्चों को ओबीसी सूची में शामिल कर सरकारी स्कूलों में दाखिला और नौकरियों में 27 फीसद आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा गया है।
- इसमें कहा गया है कि दस वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को ओबीसी की सूची में शामिल किया जाए, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। इस प्रकार वे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सभी जातियों की तरह आरक्षण का लाभ हासिल करने के हकदार होंगे।"

★ यह सुविधा हासिल करने के लिए शर्त यह है कि बेसहारा बच्चों की देखभाल करने वाला कोई अभिभावक न हो और उनका दाखिला किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त अनाथालय या स्कूल में हुआ हो।

★ आयोग के प्रस्ताव को सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेज दिया गया है। आयोग के इस प्रस्ताव पर शीर्ष राजनीतिक स्तर पर फैसला लिया जाएगा। इस पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी।

★ वर्तमान में तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान में बेसहारा व अनाथ बच्चों को ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को लागू करते समय इन राज्यों ने अनाथ बच्चों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का केंद्र से आग्रह किया था।

GENERAL STUDIES HINDI

12.मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक को अतार्किक, अनुचित और महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण: भारत सरकार

केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक को अतार्किक, अनुचित और महिलाओं के साथ भेदभाव मानती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक का विरोध करेगी।

Background:

- मुसलमानों में तीन तलाक और चार शादियों के चलन के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस मामले की शुरुआत मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के स्वयं संज्ञान लेने से हुई थी। कोर्ट ने इस पर अन्य पक्षकारों के साथ केंद्र सरकार का भी पक्ष पूछा है।

- सरकार को इस माह के अंत तक अपना नजरिया स्पष्ट करना है। सरकार मानती है कि तीन तलाक का प्रचलन महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर गठित मंत्रिसमूह की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई।
- मंत्रिसमूह का मानना था कि तीन तलाक के मुद्दे को समान नागरिक संहिता से ना जोड़कर महिला अधिकारों के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

सरकार का मत :

सरकार मानती है कि धार्मिक विश्वास का पालन करना अलग बात है और इसे मौलिक अधिकारों के तहत संविधान में संरक्षण भी मिला हुआ है लेकिन तीन तलाक अलग मुद्दा है।

- यह महिलाओं के अधिकारों और गरिमा से जुड़ा मामला है जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 (समानता और सम्मान से जीवन जीने का मौलिक अधिकार) के तहत आता है। जो चीज मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो उसे हटाया जा सकता है।
- सरकार कोर्ट में कहेगी कि जब 20 मुस्लिम देश जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल हैं, पर्सनल लॉ को रेगुलेट कर चुके हैं और वे इसे शरीयत के खिलाफ नहीं मानते तो फिर भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश है और जहां संविधान सर्वोच्च है वहां ऐसा कैसे हो सकता है?
- सरकार मानती है कि तीन तलाक शरीयत की गलत व्याख्या है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क :

इस बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है। बोर्ड ने तीन तलाक और चार शादियों की तरफदारी की है। बोर्ड का कहना है, एक बार में तीन तलाक बोलना गलत और पाप के समान है लेकिन यह वैधानिक है। यह पर्सनल लॉ से जुड़ा मामला है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।

POINT-COUNTERPOINT		
The recent affidavit filed by the All-India Muslim Personal Law Board in the Supreme Court on triple talaq has sparked a raging debate		
Issue	All-India Muslim Personal Law Board's stance	Stand of women's groups
• Triple talaq	Though it is considered to be a sin, triple talaq is "still a valid and effective form of divorce"	Triple divorce is sinful because it harms the lives of women, and hence should be invalid
• Polygamy	It is not "desirable", but is permitted as per the Quran and Hadith. It "meets social and moral needs"	The practice goes against the dignity of women as well as the idea of a family as an institution
• Divorce in courts	Women may be harmed by court proceedings as husbands could publicly accuse them in court of having a "loose character"	Courts are the last resort after counselling fails to work. The process of reconciling differences/disputes has to be open and fair

13. किताबों की फोटोकॉपी करा सकेंगे: HC

क्या था मामला

नवंबर 2012 में कोर्ट ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नार्थ कैंपस में रामेश्वरी फोटोकॉपी पर रोक लगा दी थी. इस मामले में प्रकाशक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और टेयलर एंड फ्रांसिस की तरफ से याचिका दायर की गई थी. इन तीनों की तरफ से दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि किस्योक उनके कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं. वहीं, डीयू के उकसाने पर छात्र उनकी किताबों की फोटोकॉपी करवा रहे हैं, जिससे उनकी किताबें बिक नहीं रही हैं.

फैसला :

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तीन अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की याचिका को निरस्त करते हुए उनकी किताबों की फोटोकॉपी कराने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है

कोर्ट के तर्क :

- कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को व्यक्तिगत अधिकार के ऊपर का दर्जा दिया है।
- कोर्ट ने फोटोकॉपी करके पढ़ाई में उपयोग करने को 'फेयर यूज' माना है।
- अदालत ने कहा कि कॉपीराइट परमात्मा नहीं है और शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक जरूरत है। पढ़ाई से छात्र लोगों को न्याय दिलाना सीखते हैं, लेकिन आज न्याय प्रणाली ने शिक्षा के साथ न्याय किया है।
- इसका काम ज्ञान के विस्तार में बाधा डालना कतई नहीं है. इसे लेखक की रचनात्मक कला को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है.

- पीठ ने कहा कि किताब के महत्वपूर्ण भाग का फोटोस्टेट करना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता. अगर छात्रों को फोटोस्टेट कराने की इजाजत नहीं दी गई तो उन्हें लंबा समय लाइब्रेरी में बैठकर केवल नोट्स बनाने पर ही व्यर्थ करना पड़ेगा. आज के समय में जब आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, ऐसे में छात्रों को इसके लाभ से वंचित रखना गलत होगा. किसी भी कानून की व्याख्या हमें पीछे धकेलने वाली नहीं हो सकती है.
- कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत शिक्षा सहित किसी अन्य अच्छे उद्देश्य के लिए किताबों की फोटोकॉपी करवाना कॉपी राइट का उल्लंघन नहीं है और copyright law के Section 52(1)(i) के तहत यह छूट प्राप्त है और बस सुचना उद्योगिकी में उन्नति होने से यह अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता |
- copyright एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है वरन legislature द्वारा प्रदत्त अधिकार ही है जिसने स्वयं यह छूट Section 52(1)(i) के तहत दी है
- कॉपीराइट का मतलब किसी चीज को पूरी तरह अपने अधिकार में कर लेना नहीं है. पीठ ने कहा कि साहित्यिक कामों से जुड़ा कॉपीराइट कोई अटल वचन या प्राकृतिक अधिकार नहीं है. कॉपीराइट एक्ट ज्ञान को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कानून है.

what is Section 52(1)(i)

It allows for the reproduction of any work

- i) by a teacher or a pupil in the course of instruction; or
- ii) as part of the questions to be answered in an examination; or
- iii) in answers to such questions.

व्यापक रूप में फैसले का महत्त्व

इस फैसले के बाद अब डीयू में पढ़ने वाले छात्रों को पुस्तकों की प्रतियां करवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इतना ही नहीं इस फैसले का असर व्यापक स्तर पर भारत में कॉपीराइट कानून पर पड़ेगा।

प्रकाशको के तर्क :

यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और टेलर तथा फ्रांसिस प्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय की मिलीभगत से रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर रहा है जिससे उनको बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हो रहा है।

14. राज्यों में दर्ज प्राथमिकी 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर डाले जाएं : Supreme court

उच्चतम न्यायालय ने आज राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उन्हें अपनी-अपनी वेबसाइटों पर उन्हें डालें। यह फैसला देशभर में पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता ला सकता है।

★बहरहाल, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने देशभर में पुलिस को ऐसे मामलों में प्राथमिकियों को वेबसाइट पर डालने से छूट दी जिनमें अपराध संवेदनशील प्रकृति के हैं और आतंकवाद, उग्रवाद और पॉक्सो कानून आदि के तहत दर्ज हैं।

★ फैसले में कहा गया कि दर्ज प्राथमिकी को वेबसाइट पर डालने से आरोपी या मामले से जुड़ा कोई व्यक्ति प्राथमिकी को डाउनलोड कर सकता है और शिकायत के निवारण के लिए कानून के मुताबिक अदालत में उचित आवेदन दाखिल कर सकता है।

★पीठ ने कहा कि आरोपी को शुरुआती स्तर पर ही प्राथमिकी की प्रति मिलने का अधिकार है। पीठ ने कहा, 'यहां यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि अगर किसी मामले में भौगोलिक स्थिति की वजह से कनेक्टिविटी की समस्या है या कोई दूसरी नहीं टाली जा सकने वाली कठिनाई है तो समय बढ़ाकर 48 घंटे तक किया जा सकता है।'

★इसमें कहा गया, '48 घंटे को बढ़ाकर अधिकतम 72 घंटे किया जा सकता है और यह केवल भौगोलिक स्थिति की वजह से कनेक्टिविटी की समस्या से संबंधित है।' न्यायालय ने यह निर्देश यूथ लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जनहित याचिका पर दिया। जनहित याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का जिक्र किया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे अपनी वेबसाइट पर लगाने का निर्देश दिया गया था।

★संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पूरे देश में लागू करने की मांग की थी जिसे शीर्ष अदालत ने कुछ बदलावों के साथ मंजूर कर लिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस आशंका पर विचार किया कि आरोपी पुलिस के साथ सांठगांठ कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि प्राथमिकी अपलोड नहीं की जाए।

★वेबसाइटों पर प्राथमिकियों को अपलोड करने का समय बढ़ाने की अनुमति तब दी गयी जब मिजोरम और सिक्किम जैसे राज्यों के वकीलों ने कहा कि दुर्गम भूभाग और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से 24 घंटे के अंदर इसे वेबसाइट पर डालना मुश्किल होगा।

★दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2010 में पारित लगभग सभी निर्देशों से सहमत होते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, 'यदि किसी आरोपी के पास यह संदेह करने की वजह है कि उसका नाम किसी आपराधिक मामले में दर्ज हुआ है और प्राथमिकी में उसका नाम हो सकता है तो वह अपने प्रतिनिधि-एजेंट के माध्यम से संबंधित पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक के सामने सत्यापित प्रति के लिए आवेदन कर सकता है। वह अदालत से इस तरह की प्रति हासिल करने के लिए देय शुल्क का भुगतान करके प्रति प्राप्त कर सकता है। इस तरह का आवेदन करने के 24 घंटे के अंदर प्रति दी जाएगी।'

★पीठ ने यह भी कहा कि प्राथमिकी को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने का फैसला पुलिस उपाधीक्षक या इसके समकक्ष पद पर बैठे अधिकारी से कम दर्जे का अधिकारी नहीं करेगा।

15. ST से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, नया कानून एक नजर में

देश भर को एक बाजार बनाने वाली कर व्यवस्था, वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर बड़ा काम पूरा हो गया है. जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं. मतलब, अब ये विधेयक, कानून बन गया है.

=>संविधान संशोधन विधेयक के कानून बनने का मतलब

1. राज्य सरकारों को सेवा कर लगाने का अधिकार मिल जाएगा,
2. राज्यों के बीच होने वाले वस्तु व सेवाओं के व्यापार पर केंद्र सरकार को कर वसूली का अधिकार मिलेगा, और
3. जीएसटी काउंसिल के गठन का रास्ता साफ होगा

=>क्या होगा जीएसटी काउंसिल का काम?

★संसद और विधानसभाओं के बाहर जीएसटी के लिए कार्यकारी की तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन होना जरूरी है. इन प्रक्रियाओं में जीएसटी की दर, छूट के लिए वस्तु व सेवाओं की सूची तैयार करना और कर से जुड़े विवादों को निपटारा करना मुख्य रूप से शामिल है. ★काउंसिल के मुखिया केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे जबकि वित्त राज्य मंत्री और तमाम राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे.

=>जीएसटी काउंसिल में राज्यों की कितनी होगी हिस्सेदारी?

★ काउंसिल में विभिन्न प्रस्तावों पर फैसला मत के आधार पर होगा. कुल मतों का दो-तिहाई हिस्सा राज्यों के पास होगा जबकि बाकी एक तिहाई केंद्र के पास होगा. फैसला तीन चौथाई मत के आधार पर होगा. पूरी व्यवस्था कुछ इस तरह बनायी गई है कि किसी के पास वीटो नहीं होगा. मतलब ये कि ना तो कोई राज्य और ना ही केंद्र अपने बल बुते पर किसी प्रस्ताव को रोक सकता है.

=>करना होगा इन चुनौतियों का सामना-

★उम्मीद है कि काउंसिल का गठन अगले कुछ दिनों के भीतर हो जाएगा जिससे जीएसटी लागू करने के लिए शुरुआती प्रक्रिया पर काम तेजी से हो सके. हालांकि सूत्रों का कहना है कि दर से कहीं ज्यादा मशक्कत छूट की सूची तैयार करने में हो सकती है. आज की तारीख में केंद्र की ओर से 95 और राज्य सरकारों की ओर से 350 सामान को कर से छूट मिली हुई है.

★सेवाओं के मामले में एक निगेटिव लिस्ट है जिसमें शामिल सेवाओं को छोड़ बाकी सभी सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगता है. अब केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर तय करना है कि कितने सामान और कितनी सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा और ये फैसला जीएसटी काउंसिल में होगा.

★जीएसटी काउंसिल को इस बात पर भी मशक्कत करनी है कि कितना कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए. वैसे तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 25 लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण नहीं करना होगा, लेकिन अभी भी कई राज्य चाहते हैं कि ये सीमा 10 लाख रुपये हो.

★इसके साथ ही एक मुद्दा जुड़ा हुआ दोहने नियंत्रण का. ये बात चल रही है कि 25 लाख रुपये से 1.50 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारी राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में हो जबकि 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वालों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही नियंत्रण हो.

16. देशद्रोह कानून (Sedition law):क्या इसे होना चाहिए

इतिहास

1898 में भारतीय दंड संहिता में पहली बार अंग्रेजों द्वारा भारतीय आवाज को दबाने के लिए यह संहिता पहली बार लाई गई | इसमें अविलंब सुधार के लिए देश के सभी बड़े विधिवेत्ता कह चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय एवं कई राज्यों के उच्च न्यायालय फिर भी यह कानून की किताबों में वैसे ही है जैसे परतंत्र भारत में था |

इसका misuse :

कोई भी राजनीतिक दल जब विपक्ष में होता है तब सत्तारूढ़ दल द्वारा उपनिवेशवादी संप्रभुओं के बनवाए ऐसे दमनकारी कानून के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है, लेकिन सत्ता में आकर उसका स्वर बदल जाता है और वह खुद भी कई मामलों में अपनी आलोचना पर इस या इस जैसे अन्य कानूनों की मदद से ढक्कन लगाने लगता है। फिर भी सरकार को घेरने वाले घोटालों से लेकर मानवाधिकार हनन तक के मामले सामने लाने वाले पत्रकारों, आम नागरिकों या नागरिक संगठनों के खिलाफ आज भी कई राज्य सरकारें इस कानून का इस्तेमाल करती हैं। वे कई बार जायज विरोध को भी देशद्रोह की संज्ञा देकर धारा 124 ए के तहत लोगों को प्रताड़ित कर सकती हैं।

हाल की घटनाए :

- देशद्रोह कानून के इस्तेमाल का सबसे चर्चित प्रकरण कर्नाटक का है जहां आरएसएस की छात्र इकाई भारतीय अखिल विद्यार्थी परिषद ने बेंगलुरु में 15 अगस्त को हुए एक कार्यक्रम के दौरान कुछ तत्वों की नारेबाजी पर आयोजक संस्था- Amnesty इंडिया पर एक प्राथमिकी इसी कानून के तहत दर्ज कराई। सम्मेलन के दौरान संस्था या फिर उसके सदस्यों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे गैरकानूनी और देशद्रोह की परिधि के भीतर साबित किया जा सकता हो
- इस मामले के शांत होने के पहले ही कांग्रेस सांसद एवं अभिनेत्री राम्या के खिलाफ देशद्रोह कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने की मांग उठी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वह पाकिस्तान को नर्क नहीं मानती

सर्वोच्च न्यायालय का judgement :

- 1962 में देशद्रोह कानून के तहत दायर केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मुकदमे की सुनवाई में चीफ जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद ने साफ कर दिया था कि देशद्रोह का अपराध बहुत संगीन होता है। राज्य सरकार द्वारा बिना किसी ठोस प्रमाण सिर्फ किसी अभियुक्त की नीयत पर शक करते हुए उस पर राज्यसत्ता के खिलाफ हिंसक तख्तापलट का आरोप लगा देना जायज नहीं बनता।

- इसके बाद 1985 में पंजाब सरकार बनाम बलवंत सिंह मामले में उच्च न्यायालय ने खालिस्तान के पक्ष में नारेबाजी को धारा 124 ए लगाए जाने योग्य न मानते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया। इस फैसले में अदालत ने कहा था कि देशद्रोह सरीखे संगीन आरोप को साबित करने वाले प्रमाणों पर जो स्पष्ट कानूनी निर्देश उपलब्ध हैं, कई निचली अदालतें विविध वजहों से उनकी अनदेखी कर ताबड़तोड़ फैसले दे देती हैं।

क्या यह होना चाहिए :

- यह ठीक है कि देश को उसे साजिशन विखंडित करने वाली ताकतों से निबटने के लिए एक असरदार कानून चाहिए, लेकिन सरकार को देश का पर्याय बताना भी अनुचित है।
- संघीय गणराज्य भारत एक विशाल इकाई है जिसकी परिधि में अनेक भिन्न रंगतों वाली विपक्षी दलों की राज्य सरकारें भी आस्तित्व रखती हैं। कोई काम देशद्रोह की संज्ञा तभी पा सकता है जबकि उसका दुष्प्रभाव समूचे देश की प्रभुसत्ता के लिए खतरनाक साबित होता हो।
- माननीय राष्ट्रपति ने फरवरी 2016 में कोच्चि की एक स्पीच में कहा है कि अंग्रेजों के जमाने के कई दमनकारी प्रावधानों का लोकतांत्रिक भारत में संविधान प्रदत्त अन्य अधिकारों से विरोध है। इसलिए उनमें समुचित बदलाव जरूरी है।

क्या सुधार आवश्यक :

Ø इस धारा में देशद्रोह शब्द को नागरिकों द्वारा सरकार की आलोचना से न जोड़ा जाए।

Ø स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की स्वस्थ आलोचना का बहुत मोल है। बेहतर हो देशद्रोह की साफ व्याख्या कर बताया जाए कि किस तरह की कौन सी गतिविधियां भारतीय गणराज्य के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र माने जाएंगे ताकि इस धारा का राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान भी दुरुपयोग नहीं हो

Ø देशद्रोह से जुड़े कानून की आड़ में सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून की कड़ी आलोचना होती रही है। यंहा तक की ब्रिटेन ने अपने देश में इस कानून को खत्म कर दिया है

17. किराये की कोख के कारोबार पर पूरी तरह रोक

केंद्रीय कैबिनेट ने सरोगेसी (नियमन) विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख (सरोगेसी) के व्यावसायिक इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।

किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्य देश में किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियमन को समुचित ढंग से अंजाम देना है। कमर्शियल सरोगेसी कई देशों में बैन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, कॅनेडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड शामिल हैं।

क्यों भारत surrogacy के लिए एक attractive market बना

भारत में बेहतर चिकित्सा सुविधा अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध है, लिहाजा विदेश से लोगों का आना तेज हुआ है। एक आकलन के अनुसार, दुनिया भर में करीब पांच करोड़ निःसंतान दंपति हैं। इनमें से कई

की उम्मीद भारत और थाइलैंड जैसे देश हैं, जहां किराये पर कोख मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। इस कारण पिछले एक दशक में ये दोनों ही देश व्यावसायिक सरोगेसी का बड़ा केंद्र बनकर उभरे हैं। क अनुमान है कि भारत में कम से कम 40,000 सरोगेट बच्चों का जन्म पिछले एक दशक में हुआ है। चूंकि यहां कोख का 'किराया' अपेक्षाकृत कम है, इसलिए विदेशी दंपति यहां आकर सरोगेट मां ढूंढते हैं और मां-बाप बनने का सुख पाते हैं। इसके लिए कोख किराये पर देने वाली महिला को आठ हजार से 40 हजार डॉलर तक दिए जाते हैं। साल 2012 की यूएन रिपोर्ट की मानें, तो सरोगेसी का यह कारोबार भारत में 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है।

क्यों यह बिल :

- कई ऐसे मामले आए हैं जब सरोगेसी के तहत लड़की पैदा होने पर माता-पिता ने बच्ची को किराये की कोख देने वाली महिला के पास ही छोड़ दिया। कई मामले ऐसे भी आए जब दिव्यांग बच्चा होने पर उसे छोड़ दिया गया। इन विसंगतियों को देखते हुए ही सरकार ने नए कानून का प्रस्ताव तैयार किया है।

सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले

मांजी यमादा केस से बहस छिड़ी

सरोगेसी पर नए सिरे से बहस 2008 के बेबी मांजी यमादा केस से शुरू हुई। यह मामला एक डॉक्टर जापानी दंपति का था, जिसने गुजरात में एक महिला की किराये की कोख के जरिये एक बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था, लेकिन सरोगेसी के दौरान ही दोनों में तलाक हो गया। जन्म देने वाली मां ने भी इसे अपनाने से इनकार कर दिया। इससे सवाल पैदा हुआ कि बेबी मांजी यमादा के अभिभावक कौन हैं और वह किस देश का नागरिक होगा। तब कानूनी लड़ाई के बाद बच्चा इकुकुमी यमादा की मां को सौंप गया और सरोगेसी के लिए कानून बनाने की मांग ने जोर पकड़ा।

जर्मनी दंपति के जुड़वा बच्चे दो साल भारत में रहे

जर्मन दंपति जॉन बलाज और उनकी पत्नी सुसान ने एक भारतीय महिला की कोख किराये पर ली थी, जिसने जनवरी 2008 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। जर्मनी में सरोगेसी से संतान को मान्यता न होने के कारण यहां की सरकार ने दोनों बच्चों को नागरिकता देने से इनकार कर दिया। दो साल की तबी कानूनी लड़ाई खरी। 27 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बच्चों को खास दस्तावेज मुहैया कराने का आदेश दिया, जिसके बाद उनके जर्मनी जाने का रास्ता साफ हुआ।

- भारत में इसके लिए कोई ठोस कानून नहीं था। सरकार ने हाल में स्वीकार किया था कि वर्तमान में किराये की कोख संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कोई वैधानिक तंत्र नहीं होने के चलते ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में किराये की कोख के जरिए गर्भधारण के मामले हुए, जिनमें शरारती तत्वों द्वारा महिलाओं के संभावित शोषण की आशंका रहती है।
- विदेशों से भ्रूण आयात करने और विदेशियों को भी किराए पर कोख लेने की इजाजत होने की वजह से यहां सरोगेसी एक तरह से धंधे का रूप ले चुकी था
- भारत में चूंकि गरीबी के चलते किराए पर बच्चा जनने को औरतें आसानी से मिल जाती हैं, अनेक देशों से लोग यहां आकर सरोगेसी के जरिए बच्चा हासिल करने लगे हैं। मगर मुश्किल यह थि कि इस प्रक्रिया में कोई महिला कितनी बार अपनी कोख किराए पर दे सकती है, उसके स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखा जाता है या नहीं, उससे पैदा होने वाले बच्चे की नागरिकता क्या हो, अगर बच्चा अपंग पैदा हुआ और कोख किराए पर लेने वाला दंपति उसे अपनाने से इनकार कर गया या प्रसव के दौरान मां का देहांत हो गया, आदि स्थितियों की बाबत स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं हैं। कई मामलों में सरोगेसी से पैदा बच्चे की नागरिकता को लेकर कानूनी अड़चनें पैदा हो चुकी हैं।
- चूंकि भारत में किराए की कोख देने वाली ज्यादातर महिलाएं गरीब और निम्न तबके की होती हैं, उनमें से बहुतों को करार संबंधी कानूनी पहलुओं की जानकारी नहीं होती। इसलिए यह खतरा हमेशा बना रहता है कि सरोगेसी के नाम पर उनका यौन शोषण किया जा सकता है। फिर

ज्यादातर मामलों में समाज से लुक-छिप कर किराए की कोख ली और दी जाती है, इसलिए भी सरोगेट मां के साथ धोखाधड़ी की आशंका रहती है।

क्या है प्रावधान :

- सिर्फ निःसंतान भारतीय दंपतियों को ही किराये की कोख के जरिए बच्चे हासिल करने की अनुमति होगी।
- इस अधिकार का इस्तेमाल विवाह के पांच वर्ष बाद ही किया जा सकेगा' एनआरआई और ओसीआई कार्ड धारक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे'
- अविवाहित युगल, एकल माता-पिता, लिव इन में रह रहे पार्टनर और समलैंगिक किराये की कोख से बच्चे हासिल नहीं कर सकते'
- एक महिला अपने जीवनकाल में एक ही बार कोख किराये पर दे सकती है
- इस व्यवस्था के नियमन के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और प्रदेशों में राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन किया जाएगा

इस कानून का विरोध

- सरकार को कानून द्वारा इसको नियंत्रित करना था ना की पूरा प्रतिबन्ध लगाना था | इस व्यवसाय पर रोक लगाना लगभग नामुमकिन है। से में, व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा देने से यह पूरा का पूरा व्यवसाय काले बाजार के हवाले हो जाएगा। तमाम परिवारों में अपना बच्चा पैदा करने की रुचि है, साथ ही इस तरह का प्रतिबंध गरीब माओं के लिए मुश्किल पैदा करेगा।
- इसका विरोध उस प्रावधान को लेकर भी है, जो समलैंगिक रिश्तों या लिव इन को सरोगेसी की सुविधा नहीं देता। हमें यह समझना होगा कि समलैंगिक लोग भी हमारे देश और समाज का हिस्सा हैं। देश-दुनिया में अब परिवार की तस्वीर बदल रही है। एकल परिवार में एक पिता या एक मां भी अब अपने बच्चे को पाल सकती है। ऐसे में, समलैंगिक लोगों को हमें स्वीकार करना चाहिए। समाज में उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। परिवार बनाना उनका मौलिक अधिकार है।
- एक लोकतांत्रिक देश व समाज में यह अधिकार किसी को नहीं है कि वह यह तय करे कि दूसरा किस तरह का परिवार बनाना चाहता है।

way ahead :

किसी भी उदार समाज में प्रतिबंध को लागू करना मुश्किल होता है। जब आप प्रतिबंध लगाते हैं, तो अनायास ही उस कारोबार के दबे-छिपे या गोपनीय ढंग से चलने की राह भी तैयार हो जाती है। लिहाजा प्रतिबंध की बजाय जरूरत एक ऐसा सिस्टम बनाने की है, जिसमें सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। इसमें न सिर्फ सरोगेसी पर सख्त निगरानी हो, बल्कि सरोगेट मां के अधिकारों की भी रक्षा की जाए। दलालों की भूमिका को भी पूरी तरह खत्म करना होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे ही लोग गरीब और अशिक्षित महिलाओं का

शोषण करते हैं। डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।सरोगेसी विधेयक को अगर इन्हीं प्रावधानों के साथ संसद की मंजूरी मिल गई, तो हालात और बिगड़ सकते हैं।



Schemes योजनाएं / नीतियाँ

1. इंदिरा आवास योजना अब जानी जायेगी प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)के नाम से

केंद्र की राजग सरकार ने संप्रग शासन काल की इंदिरा आवास योजना (आइएवाई) में परिवर्तन कर इसका नाम बदल दिया है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) नाम से यह अगले महीने शुरू की जाएगी। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना का नाम बदलने का कारण नहीं बताया।
- नई योजना के तहत सरकार का 2019 तक एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।
- इंदिरा आवास योजना के तहत चालू वित्त वर्ष (2015-16) में सरकार ने 38 लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इनमें से 10 लाख घरों को निर्माण हो चुका है।
- पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में ग्रामीण आवास योजना आइएवाई शुरू की थी। आइएवाई अगले साल एक अप्रैल से विधिवत पीएमएवाई में शामिल हो जाएगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर केंद्र प्रायोजित इस योजना का खर्च 60 फीसद केंद्र और 40 फीसद राज्य उठाते हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र 90 फीसद और केंद्र शासित राज्यों में 100 फीसद खर्च उठाता है। नई पीएमएवाई में खर्च की यही व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन पैसा सीधे लाभ पाने वालों के बैंक खाते में भेजा जाएगा।

2. स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण योजना

क्या है निति :

- सरकार ने वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 11 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव किया है। ऐसे पुराने वाहन को लौटाने और नया वाहन खरीदने पर खरीदार को दाम में 8 से 12 छूट का प्रस्ताव किया है।
- इसके तहत 31 मार्च 2005 को अथवा उसके बाद खरीदे गए वाहनों को लौटाने पर नए वाहन की खरीद पर छूट दी जाएगी।
- इसमें कहा गया है, 'इस परिभाषा के तहत कुल वाहन जिनके स्थान पर नए वाहन खरीदे जा सकते हैं, उनकी संख्या 2.80 करोड़ तक हो सकती है।' मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों के बदले नए वाहन खरीदेंगे, उन्हें नए वाहन की खरीद पर उसकी कुल लागत में 8 से 12 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।
- नीति के मसौदे में कहा गया है कि जो नया वाहन खरीदा जाएगा, वह पर्यावरण के लिहाज से भारत मानक-चार के अनुपालन वाला होना चाहिए।

- भारत मानक-चार अप्रैल 2017 से लागू होने जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इससे ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं की बिक्री बढ़ेगी। उनकी उत्पादन क्षमता का अधिक इस्तेमाल होगा और विनिर्माता सरकार को भी इसमें समर्थन देंगे। ग्राहकों को भी योजना के तहत वित्तीय लाभ मिलेगा।

सड़को पर पुराने वाहन

समझा जाता है कि सड़कों पर चल रहे करीब तीन करोड़ वाहन 11 साल पुराने हैं। प्रस्तावित स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण नीति के तहत जो लाभ उपलब्ध होंगे वह मुख्य तौर पर तीन तरह से आएंगे। पुराने वाहन की कीमत, ऑटोमोबाइल विनिर्माता द्वारा विशेष रियायत और उत्पाद शुल्क में आंशिक छूट के रूप में मिलेंगे।

Transport मंत्रालय का तर्क

चूंकि योजना के पहले चरण में केवल 12 लाख मझोले व भारी वाहनों को ही शामिल किया जाएगा और यह कार्य भी कई सालों में पूरा होगा, लिहाजा हर साल खजाने को मामूली नुकसान होगा। इसके अलावा नए वाहनों की ज्यादा बिक्री होने से एक्साइज ड्यूटी राजस्व बढ़ेगा। इससे पुराने वाहनों की एवज में दी जाने वाली छूट की राजस्व हानि की भरपाई हो जाएगी। इसके अलावा योजना का असल मकसद पर्यावरण संरक्षण के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम है। सड़क से पुराने वाहनों को बड़े पैमाने पर हटाए बिना और नए वाहनों को लाए बिना प्रदूषण पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है।

वित्त मंत्रालय की आपत्ति

वित्त मंत्रालय ने योजना पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि एक साथ इतने अधिक वाहनों (2.8 करोड़) को उत्पाद शुल्क की छूट देना संभव नहीं है।

प्रश्न : हाल ही में स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण योजना का मसौदा रखा गया है | यह नीति क्या है तथा इसको लाने का मकसद क्या है ? इस नीति का समालोचक विश्लेषण कीजिए |

Geography

1. अमेरिका को पीछे छोड़ भारत 2020 तक कोयला उत्पादन में बनेगा दूसरे नंबर का देश

कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत कोयला उत्पादन के मामले में जल्द ही अमेरिका को पछाड़ देगा। बाजार विश्लेषक बीएमआई की एक रिसर्च बताती है कि साल 2020 तक भारत अमेरिका को पछाड़ कोयला उत्पादन के मामले में चीन के बाद नंबर दो देश बन जाएगा।

दुनिया के कोयला उत्पादन में अगर भारत की हिस्सेदारी को देखा जाए तो मौजूदा समय में यह 9.8 फीसदी है। साल 2020 तक इस आंकड़े के 12.7 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, बीएमआई ने यह चेतावनी भी दी है कि कोयला खनन के द्वार निजी क्षेत्रों के खनिकों के लिए खोलने में देरी की वजह से भारत अपने उत्पादन लक्ष्य से भी चूक सकता है।

2. भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों का एटलस जारी: देश के सिर्फ साढ़े चार फीसद भवन ही भूकंपरोधी

देश के सिर्फ साढ़े चार फीसद भवन ही भूकंपरोधी हैं, बाकी भूकंप की स्थिति में जोखिमपूर्ण साबित होंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों का एटलस जारी कर खतरे से आगाह किया।

- इसके मुताबिक गुजरात, बिहार और समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति जोखिम भरा है। हिमालयी राज्यों में भूकंप का खतरा बरकरार है।
- इनमें बनाए जाने वाले मकान भी भूकंपरोधी नहीं हैं। यह एटलस बिल्डिंग मैटीरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल (बीएमपीटीसी) ने भारतीय सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मौसम विभाग और जनगणना विभाग के सहयोग से तैयार की है। देश में इस समय 30.4 करोड़ मकान हैं।
- इनमें से 95 फीसद भूकंप के जोखिम से भरे हैं। एटलस जारी करने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि इसकी मदद से भवनों के निर्माण में जोखिम से बचाव को प्राथमिकता मिलेगी।
- भूकंप के सेस्मिक जोन के हिसाब से भवनों का निर्माण करने में सहूलियत होगी। जोन के हिसाब से ही भवन निर्माण सामग्री का चयन किया जा सकता है। सामान्य ईट-पत्थर और सीमेंट से बनाए जाने वाले मकान सेस्मिक जोन चार में सबसे खतरनाक साबित होंगे।
- जोन-4 में राजधानी दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी प्रक्षेत्र (एनसीआर), पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी तटीय क्षेत्र शामिल है। एनसीआर में बनाई गई ऊंची इमारतों के भूकंपरोधी होने पर भी संदेह जताया गया है।

एटलस जारी करने का उद्देश्य भविष्य में होने वाले निर्माण की कार्ययोजना और उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री आदि के जरिये नुकसान को कम करना है। जगह विशेष पर कैसी सामग्री का उपयोग होगा, इसका इसमें जिक्र है।

- लिहाजा, इसका फायदा वास्तुकार और भवन निर्माताओं के साथ ही योजना बनाने वाली सरकारी एजेंसियों को भी होगा।
- पहली बार बनाए गए इस तरह के एटलस में राज्यों के साथ जिलों और तहसीलों को भी शामिल किया गया है।
- इसमें आवासीय और जनगणना के ब्योरे के साथ-साथ रेल लाइनों, राजमार्गों, जलाशयों और होने वाले भूगर्भीय बदलावों का भी विस्तार से जिक्र है।

**

Science and Technology

1. प्रॉक्सीमा सेंटाउरी बी : पृथ्वी से परे जीवन की सबसे अधिक संभावना

सन्दर्भ :- सौरमंडल के बाहर अब तक मिले ग्रहों में प्रॉक्सीमा सेंटाउरी बी न सिर्फ पृथ्वी के सबसे करीब है बल्कि उससे सबसे ज्यादा मिलता-जुलता भी है।

- 'प्रॉक्सीमा सेंटाउरी', जिसे अल्फा सेंटाउरी के नाम से भी जाना जाता है, हमारे सौरमंडल का न केवल सबसे नजदीकी पड़ोसी तारा है, हमारे सूर्य की तरह ही उसका भी अपना एक ग्रहमंडल है।
- पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई पड़ने वाला यह तारा हमारे सूर्य से लगभग सवा चार प्रकाश वर्ष दूर है) 1 प्रकाश वर्ष = 94 खरब 60 अरब 73 करोड़ किलोमीटर से कुछ अधिक (यूरोप और अमेरिका से वह दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसकी खोज 1915 में हो पायी थी
- उसकी खोज के लगभग 100 वर्ष बाद अब पता चला है कि उसके ग्रहमंडल में एक ऐसा भी ग्रह है, जो हमारे सौरमंडल के बाहर अब तक खोजे गए सभी बाहरी ग्रहों की अपेक्षा हमारी पृथ्वी से सबसे अधिक मिलता-जुलता होना चाहिये – इतना अधिक कि वहां कई-कई किलोमीटर गहरा महासागर भी हो सकता है, और जीवन भी!

‘प्रॉक्सीमा सेंटाउरी बी’ का अभी तक कोई सीधा फोटो नहीं लिया जा सका है। बल्कि, एक अति उच्चकोटि के वर्णक्रमलेखी (स्पेक्ट्रोग्राफ़) की सहायता से उसके सूर्य वाले प्रकाश के वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) में होने वाले विचलन (शिफ्ट) के अध्ययन से उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास किया गया है।

=>हमारी धरती के साथ समानताएं

- ‘प्रॉक्सीमा सेंटाउरी बी’ हमारी पृथ्वी की अपेक्षा 1.3 गुना भारी है। खगोलविदों का कहना है कि उसका अर्धव्यास (त्रिज्या/रेडियस) हमारी पृथ्वी के 0.94 से लेकर 1.4 गुना के बराबर (5990 से 8920 किलोमीटर) तक हो सकता है। पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है। ‘प्रॉक्सीमा सेंटाउरी बी’ का अर्धव्यास यदि इन दोनों में से न्यूनतम अनुपात, यानी 0.94 के बराबर हुआ, तब तो वह पृथ्वी से भी कहीं ठोस एक ऐसा ग्रह

होना चाहिये, जिस के दो-तिहाई भार वाला क्रोड (केंद्रक) धातु का और उसके ऊपर का आवरण ठोस चट्टानों का बना होगा.

- उस पर यदि पानी हुआ, तो इस अवस्था में उसके पानी का अनुपात उसके कुल द्रव्यमान (भार) के 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता. हमारी पृथ्वी पर यह अनुपात 0.02 प्रतिशत के बराबर है.

=>जीवन पर संदेह

- वैज्ञानिकों की गणनाएं कहती हैं कि ऊपर लिखी दोनों अवस्थाओं में 'प्रॉक्सीमा सेंटाउरी बी' पर जीवन पनपने लायक एक झीना वायुमंडल भी हो सकता है. लेकिन, कुछ दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी और वायुमंडल होने पर भी यह ज़रूरी नहीं है कि वहां जीवन भी हो. उसका सूर्य, यानी 'प्रॉक्सीमा सेंटाउरी' तारा, हमारे सूर्य से कई गुना छोटा एक ऐसा 'लाल बौना' (रेड ड्वार्फ) है, जो जोरदार अल्ट्रावायलेट (पराबैंगनी) और एक्स रे (क्ष-किरणों) के रूप में अपनी ऊर्जा के फव्वारे उछाल कर ठंडा हो रहा है. इन वैज्ञानिकों का मत है कि ग्रह का यदि अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं हुआ, जो इस विकिरण से बचाव कर सके, तो उसकी बौछार से वहां कोई जीवन पनप ही नहीं सकता. 'लाल बौना' ऐसे तारों को कहा जाता है जिनकी द्रव्यराशि हमारे सूर्य की द्रव्यराशि के 40 से 60 वें हिस्से के बराबर ही है और जो इस तरह ठंडे पड़ रहे हैं कि उनका प्रकाश अवरक्त यानी इन्फ्रारेड किरणों के रूप में हमारे पास पहुंचता है.

=>ग्रहों की खोज का संक्रमण सिद्धांत

अब तक खोजे गए अधिकांश वाहय ग्रह इसी संक्रमण (ट्रांज़िशन) सिद्धांत के आधार पर खोजे और जांचे-परखे गए हैं. अपने सूर्य के सामने से जब कोई ग्रह गुज़रता है, तो उसके इस संक्रमण से उसके सूर्य से आ रहे प्रकाश के वर्णक्रम में कुछ समय के लिए जो परिवर्तन आते हैं, वे उस ग्रह की उसके सूर्य से दूरी, ग्रह के आकार-प्रकार, उसकी द्रव्यराशि, तापमान, उस पर वायुमंडल होने न होने और वायुमंडल की संरचना जैसी अनेक चीज़ों के बारे में इतनी सारी जानकारियां दे जाते हैं कि कहा जा सके कि वह ग्रह जीवन-धारण के योग्य है या नहीं. 'नासा' का भावी अंतरिक्ष दूरदर्शी 'जेम्स वेब' भी इसी संक्रमण सिद्धांत के आधार पर काम करेगा. वह इस समय के हबल टेलिस्कोप की जगह लेगा, पर 2018 से पहले नहीं. हो सकता है कि 'जेम्स वेब' 'प्रॉक्सीमा सेंटाउरी बी' के वायुमंडल और वहां के बादलों के बारे में कुछ ऐसे रहस्योद्घाटन करे, जिनकी वैज्ञानिक इस समय कल्पना भी नहीं कर रहे हैं.

इन सरकारी प्रयासों से इतर, 'ब्रेकथ्रू प्राइज़ फ़ाउन्डेशन' के संस्थापक यूरी मिल्नर हमारे सौरमंडल से बाहर की दुनिया का पता लगाने के लिए, निजी तौर पर, 10 करोड़ डॉलर की दो परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहे हैं. एक का नाम है 'ब्रेकथ्रू लिसन' जिसका मकसद तीन दूरदर्शियों की सहायता से अंतरिक्ष से आ रही रेडियो तरंगों और प्रकाशीय संकेतों की टोह लेना है. दूसरी का नाम है 'ब्रेकथ्रू स्टारशॉट', जो नैनोमीटर आकार (1 मिलीमीटर = 10 लाख नैनोमीटर) के अतिसूक्ष्म उपकरणों को लेज़र किरणों की सहायता से 'प्रॉक्सीमा सेंटाउरी' की ग्रहप्रणाली तक पहुंचाने और उसे जांचने-परखने का एक अपूर्व प्रयोग होगा.

लेज़र किरणों की सहायता से 'स्टारशॉट' प्रयोग

पृथ्वी से सारी 'निकटता' के बावजूद 'प्रॉक्सीमा सेंटाउरी बी' तक की सवा चार प्रकाश वर्ष, यानी 400 खरब किलोमीटर से भी अधिक की दूरी एक अकल्पनीय दूरी है. 'ब्रेकथ्रू स्टारशॉट' प्रयोग के अनुसार, लेज़र किरणें 'स्टारशॉट' के नैनो उपकरणों को 60 हजार किलोमीटर प्रतिसेकंड (प्रकाश की गति के पांचवें भाग के बराबर) की गति प्रदान करेंगी. तब भी उन्हें 'प्रॉक्सीमा सेंटाउरी' तक पहुंचने में 20 वर्ष लग जायेंगे. इस समय ऐसा कोई रॉकेट या ऐसी कोई दूसरी तकनीक उलब्ध नहीं है, जो किसी प्रक्षेप्य को इसके 10वें-20वें हिस्से के बराबर भी गति प्रदान कर सके.

2.भारत (ISRO) ने छोड़ा सबसे बड़ा संचार उपग्रह जीसैट-18

- दक्षिण अमेरिका में स्थित फ्रेंच गुयाना से गुरुवार को देश का सबसे बड़ा संचार उपग्रह जीसैट-18 छोड़ा गया।
- शक्तिशाली रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ा गया 3,404 किलोग्राम वजन का यह उपग्रह देश में टेलीविजन, मोबाइल फोन सेवाओं और सूचनाओं के आदान-प्रदान की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक साबित होगा।
- खराब मौसम के चलते एक दिन विलंब से छोड़े गए इस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए यूरोपीय लांचर का इस्तेमाल किया गया। करीब 32 मिनट के बाद उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया गया
- उपग्रह का नियंत्रण कर्नाटक के हासन में स्थित मास्टर कंट्रोल सेंटर से जुड़ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार उपग्रह अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और उससे भेजे जा रहे सिग्नल कंट्रोल रूम को ठीक से मिल रहे हैं।
- उपग्रह धरती से 35,888 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी कक्षा में घूम रहा है।
- जीसैट-18 से इसरो के उन 14 संचार उपग्रहों को ताकत मिलेगी जिनसे भारतीय संचार सुविधाएं चलती हैं। नया उपग्रह 15 साल तक भारतीय संचार व्यवस्था को ताकत देने का कार्य करेगा।

Application:

- इसरो के अनुसार जीसैट-18 से हमारी महत्वपूर्ण संचार सेवाओं को गति मिलेगी। यह हमारे पुराने हो चुके संचार उपग्रहों पर पड़ रहे बोझ को भी कम करेगा। इसरो ने उपग्रह का प्रक्षेपण मिशन कंट्रोल सेंटर से देखा।
- जीसैट-18 यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा लांच किया गया 20 वां इसरो का उपग्रह है। भारी उपग्रहों को छोड़ने के लिए इसरो को एरियन-5 किस्म के शक्तिशाली रॉकेट पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके प्रक्षेपण की सुविधा यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और रूस के पास है।

इसरो ने संचार सुविधाओं के दृष्टिगत दो महत्वपूर्ण उपग्रह जीसैट-17 और जीसैट-11 अगले साल छोड़ेगा। उल्लेखनीय है कि इसरो देश में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए 35 साल से उपग्रह छोड़ रहा है। सबसे पहला उपग्रह एरियन 1 सन 1981 में छोड़ा गया था।

3.रूस का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 : भारत के लिए क्यों खास है

- गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच कई रक्षा समझौतों पर मुहर लगेगी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रूस के साथ होने वाला S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम करार है। 39 हजार करोड़ रुपए वाली इस डील पर नभारत और रूस दस्तखत कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच यदि यह करार हो जाता है तो भारत का आसमान एक तरीके से अभेद हो जाएगा।

- एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की तैनाती से दुश्मन देशों की मिसाइलों को भारतीय वायु सीमा में दाखिल होना एक तरीके से नामुमकिन सा हो जाएगा।

- अत्याधुनिक S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलो मीटर की दूरी से आ रहे दुश्मनों के विमान, मिसाइलों और ड्रोन को एक साथ ट्रैक कर सकता है।
- अपनी वायु सीमा को सुरक्षित और अभेद बनाने में जुटे करार भारत के लिए यह करार बेहद अहम है।
- S-400 की ताकत से यहां तक कि अमेरिका भी खौफ खाता है।
- रूसी रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि S-400 सिस्टम पांचवीं पीढ़ी के अमेरिका के अत्याधुनिक एफ-35 जैसे लड़ाकू विमानों को भी मारकर गिरा सकता है।
- S-400 सिस्टम में 8 लॉन्चर्स, एक कंट्रोल सेंटर, एक शक्तिशाली रडार लगा होता है और इसमें 16 मिसाइलें रिलोड की जा सकती हैं।
- S-400 तीन प्रकार की मिसाइलों पर निशाना साधने में सक्षम हैं और यह दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली में शुमार है। यह अपनी तरफ आ रहे दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रनों को 400 किलोमीटर तक के दायरे में मार गिराने की क्षमता रखता है।

अगर भारत समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो यह चीन के बाद इस मिसाइल प्रणाली का दूसरा ग्राहक होगा। चीन ने पिछले साल तीन अरब डॉलर का करार किया था।

- एस-400 पहले केवल रूसी रक्षा बलों के लिए ही उपलब्ध था। यह एस-300 का उन्नत संस्करण है। अलमाज-आंते ने इसका उत्पादन किया है और रूस में 2007 से यह सेवा में है।

4.साइंटिस्ट ने विकसित किया 'सोलर ट्री', पांच घरों में देता है बिजली

- दुर्गापुर के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट सिबनाथ मैती के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम ने एक 'सोलर पॉवर ट्री' विकसित किया है जो कि पांच घरों में बिजली देता है। मात्र चार वर्ग फुट के स्पेस में बना



यह पेड़ इतनी पर्याप्त सोलर ऊर्जा देता है बिजली पैदा होती है।

- माना जा रहा है कि इस 'सोलर ट्री' में भारत में ऊर्जा संकट की समस्या को हल करने की क्षमता है।
- 'सोलर ट्री' डिजाइन करने वाले सबिनाथ ने बताया ' हर पेड़ को चार वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है जो कि एक सामान्य ऑफिस में डेस्क स्पेस का भी आधा है लेकिन यह 3-5 किलोवाट बिजली उत्पन्न पैदा कर सकता है।'

-दुर्गापुर के नगर निगम के अधिकारियों ने उनसे 10 सोलर पॉवर ट्रीज उपलब्ध कराने को कहा है, वहीं बंगाल में एक थर्मल पॉवर प्लांट ने 120 सोलर पॉवर ट्रीज के इंस्टॉलेशन की गुजारिश की है। प्रत्येक पेड़ की उम्र 25 साल है।

- हाल ही में मुंबई का एक कपल एक प्रोडक्ट 'उल्टा छाता' लेकर आया था जो कि सौर ऊर्जा से वार्षिक रूप से एक लाख लीटर बारिश का पानी पैदा करता है।

स्वदेशी उत्पादों जैसे 'उल्टा छाता' और 'सोलर ट्री' के साथ लगता है कि देशभर के वैज्ञानिक और उद्यमी भारत में ऊर्जा संकट को सुलझाने में लगे हैं।

5.अमेरिका से आजाद हुआ इंटरनेट, अब पारदर्शिता बढ़ेगी

इंटरनेट की खोज अमेरिका में ही हुई थी और 1988 से ही कमोबेश इस पर उसका नियंत्रण रहा है। टेक्सास संघीय अदालत ने एरिजोना, टेक्सास, नेवादा और ओकलाहोमा सरकार की याचिका खारिज करते ही इंटरनेट की दुनिया से अमेरिका का नियंत्रण खत्म हो गया है।


◆ इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबरर्स (आइसीएएनएन) के साथ अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय का अनुबंध शनिवार को समाप्त हो गया। इस बदलाव से इंटरनेट की दुनिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

◆ इंटरनेट की खोज अमेरिका में ही हुई थी और 1988 से ही कमोबेश इस पर उसका नियंत्रण रहा है। सीनेटर टेड क्रूज के नेतृत्व में सांसदों और अधिकारियों का एक धड़ा आइसीएएनएन की आजादी का विरोध कर रहा था।

◆ लेकिन, टेक्सास संघीय अदालत ने एरिजोना, टेक्सास, नेवादा और ओकलाहोमा सरकार की याचिका खारिज करते हुए इसका रास्ता साफ कर दिया था। इन प्रांतों की सरकार का कहना था कि आइसीएएनएन को नियंत्रण मुक्त करना असंवैधानिक है और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है।

◆ आइसीएएनएन के नियंत्रण मुक्त होने से सामान्य इंटरनेट उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होंगे। पर इंटरनेट के भविष्य की तकनीकों और नीतियों पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा।

◆ इंटरनेट की दुनिया में स्थायित्व, पारदर्शिता के लिहाज से यह महत्वपूर्ण कदम है। इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।



=>आइसीएनएन क्या है ?

★कैलिफोर्निया स्थित आइसीएनएन इंटरनेट का एड्रेस सिस्टम संभालती है। सीधे शब्दों में कहें तो डोमेन नेम उपलब्ध कराना इसी संगठन का काम है। इसका गठन अमेरिका ने 90 के दशक में किया था।
- मकसद इंटरनेट को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर सरकारी संगठन की निगरानी से मुक्त रखना था। इसे नियंत्रण मुक्त करने की औपचारिक कवायद मार्च 2014 से शुरू हुई थी।

=>>अब क्या?

आइसीएनएन में भी कई कमियां हैं। पर उसने दिखाया है कि कई पक्षों की भागीदारी वाले मॉडल से इंटरनेट एड्रेस की उलझन भरी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।
◆ अमेरिकी सरकार का एकाधिकार खत्म होने के बाद इसमें शिक्षाविद, विशेषज्ञ, नेटवर्क ऑपरेटर, निजी कंपनियां, उपभोक्ता, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का दखल बड़ेगा।

6. साल लंबा रोसेटा का धूमकेतु अभियान खत्म

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का धूमकेतु (कॉमेट) अभियान बारह साल बाद खत्म हो गया। रोसेटा यान को 67पी/चुरयुमोव-जेरासिमेंको नामक धूमकेतु की सतह पर सफलतापूर्वक क्रैश लैंडिंग करा दी गई।
- इससे पहले यान हाई रिजोल्यूशन ओसिरिस कैमरे से धूमकेतु की सबसे करीब से तस्वीरें लेने में सफल रहा।
- रोसेटा ने महज 20 मीटर की ऊंचाई से यह तस्वीरें ली हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक यह किसी भी यान द्वारा कॉमेट का अब तक का सबसे समीप से लिया गया फोटो है।
- इससे पहले 51 मीटर की ऊंचाई से तस्वीर ली गई थी। इन तस्वीरों के मदद से धूमकेतु की बनावट के बारे में पता लगाना आसान हो जाएगा।
- खासकर गैसीय संरचना, धूल-कण और प्लाजमा के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसकी मदद से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नई सूचनाएं मिल सकेंगी।
- धूमकेतु के साथ चक्कर लगाने वाला रोसेटा यान सौर ऊर्जा से संचालित था। कॉमेट धीरे-धीरे बृहस्पति की कक्षा के साथ सूर्य से दूर जा रहा था। ऐसे में यान को चलायमान रखना संभव नहीं था।
- इसके अलावा सूर्य महीने भर के लिए पृथ्वी और रोसेटा के बीच आने वाला था। ऐसे में यान से संपर्क साधना मुश्किल हो जाता।

★रोसेटा को वर्ष 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। यह 6 अगस्त, 2014 को धूमकेतु पर पहुंचा था।

7. एलसीडी- एलईडी से एडवांस्ड तकनीक ओएलईडी पर जोर" Qus:- क्या है ओएलईडी तकनीक?

मौजूदा समय में ज्यादातर टीवी और स्मार्टफोन डिस्प्ले एलसीडी- एलईडी आधारित हैं। अब बाजार में ओएलईडी डिस्प्ले का प्रचलन बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 तक स्मार्टफोन में एलसीडी डिस्प्ले की जगह आपको ज्यादातर ओएलईडी डिस्प्ले ही दिखाई देंगे।

=>>क्या है ओएलईडी

◆यह एक फ्लैट लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसे दो कंडक्टर्स के बीच पतले ऑर्गेनिक फिल्मस की परतों की सीरीज के जरिये बनाया जाता है।

◆जब उस पर इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित होता है, तो चमकीली लाइट उत्सर्जित होती है।

◆ओएलईडी का इस्तेमाल डिस्प्ले और लाइटिंग के लिए किया जाता है। इससे लाइट निकलती है, लिहाजा इसके लिए व्हाइट बैकलाइट की जरूरत नहीं होती है।

◆ ये बेहद पतले होते हैं, जिस कारण एलसीडी डिस्प्ले के मुकाबले ये ज्यादा सक्षम होते हैं।

◆पतला और सक्षम होने के अलावा यह फ्लेक्सिबल और पारदर्शी भी होता है। यहां तक कि इसे मोड़ा भी जा सकता है।

★ओएलइडी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जो छोटे अणुओं पर आधारित और पॉलिमर्स के साथ मिल कर काम करने वाले होते हैं।

◆ओएलइडी डिस्प्लेज में पेंसिव-मैट्रिक्स या एक्टिव-मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है।

◆एक्टिव-मैट्रिक्स ओएलइडी के लिए पतले फिल्मवाले ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है, जिससे हर पिक्सल को ऑन या ऑफ किया जाता है, लेकिन इससे उच्च रिजॉल्यूशन और ज्यादा बड़ा डिस्प्ले मुमकिन होता है।

=>>कहां देख सकते हैं ओएलइडी डिस्प्ले?

◆मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरों, वीआर हेडसेट्स, लैपटॉप और टीवी में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इसके इस्तेमाल में सैमसंग सबसे आगे हैं और मोबाइल डिवाइस निर्माण में इसका उपयोग करने में वह अग्रणी है। इसके अलावा एप्पल, मोटोरोला, डेल, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, एलजी और लेनोवो जैसी कंपनियों ने भी फोन डिवाइस निर्माण में इसका इस्तेमाल शुरू किया है।

8.इसरो ने रचा इतिहास, पहली बार दो अलग-अलग कक्षाओं में सफलतापूर्वक आठ सैटेलाइट स्थापित

इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया. इसरो ने पीएसएलवी सी-35 के ज़रिए दो अलग-अलग कक्षाओं में सफलतापूर्वक आठ सैटेलाइट स्थापित कर दिए.

=>●आइए जानते हैं इसरो की इस बड़ी सफलता से जुड़े 10 जरूरी तथ्य:-

- 1.दो घंटे से अधिक के इस अभियान को पीएसएलवी का सबसे लंबा अभियान माना जा रहा है। यह पहली बार है, जब पीएसएलवी अपने पेलोड दो अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित कर रहा है.
2. महासागर और मौसम के अध्ययन के लिए तैयार किये गये स्कैटसैट-1 (एससीएटीएटी-1) और सात अन्य उपग्रहों को लेकर पीएसएलवी सी-35 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी.
3. स्कैटसैट-1 से इतर सात उपग्रहों में अमेरिका और कनाडा के उपग्रह भी शामिल हैं. इसरो का 44.4 मीटर लंबा पीएसएलवी रॉकेट दो भारतीय विश्वविद्यालयों के उपग्रह भी साथ लेकर गया था. इसके अलावा तीन उपग्रह अल्जीरिया के हैं और एक-एक उपग्रह अमेरिका और कनाडा का है.
4. स्कैटसैट-1 एक प्रारंभिक उपग्रह है और इसे मौसम की भविष्यवाणी करने और चक्रवातों का पता लगाने के लिए है. इसरो ने कहा कि यह स्कैटसैट-1 द्वारा ले जाए गए कू-बैंड स्कैट्रोमीटर पेलोड के लिए एक 'सतत' अभियान है.
5. कू-बैंड स्कैट्रोमीटर ने वर्ष 2009 में ओशनसैट-2 उपग्रह द्वारा ले जाए गए एक ऐसे ही पेलोड की क्षमताएं पहले से बढ़ा दी हैं.
6. स्कैटसैट-1 के साथ जिन दो अकादमिक उपग्रहों को ले गया है, उनमें आईआईटी मुंबई का प्रथम और बेंगलूरू बीईएस विश्वविद्यालय एवं उसके संघ का पीआई सैट शामिल हैं. प्रथम का उद्देश्य कुल इलेक्ट्रॉन संख्या का आकलन करना है जबकि पीआई सैट अभियान रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए नैनोसैटेलाइट के डिजाइन एवं विकास के लिए है.

7. पीएसएलवी अपने साथ जिन विदेशी उपग्रहों को ले गया है, उनमें अल्जीरिया के- अलसैट-1बी, अलसैट-2बी और अलसैट-1एन, अमेरिका का पाथफाइंडर-1 और कनाडा का एनएलएस-19 शामिल हैं.
8. इसरो ने कहा कि पीएसएलवी सी-35 के साथ गए सभी आठ उपग्रहों का कुल वजन लगभग 675 किलोग्राम है. स्कैटसैट-1 का वजन 371 किलोग्राम है.
9. स्कैटसैट-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश कराया गया. 371 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह को 'पोलर सन सिन्क्रोनस ऑर्बिट' में प्रवेश कराया गया.
10. अन्य सात उपग्रहों को लगभग दो घंटे बाद एक निचली कक्षा में प्रवेश कराया जाना है. पोलर सन सिन्क्रोनस ऑर्बिट में उपग्रह हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख रहता है.

9. पेप्टाइड पॉलीमर

क्या है नई खोज :

वैज्ञानिकों ने एक पेप्टाइड पॉलीमर तैयार किया है, जो किसी भी तरह के बैक्टीरिया को तबाह कर सकता है, यहां तक कि सुपरबग को भी। सितारे के आकार वाला यह पॉलीमर मूल रूप से एक प्रोटीन है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह बैक्टीरिया को तो मारता है, लेकिन हमारे शरीर को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह एंटीबायोटिक्स से ज्यादा बेहतर है जो बक्टेरिया जो superbug का फॉर्म ले रहे हैं उसके सामने बेअसर हो रहे हैं

एंटीबायोटिक्स की दिक्कत

एंटीबायोटिक्स की दिक्कत यह है कि ये शुरुआत में बैक्टीरिया को मारती तो हैं, लेकिन जल्द ही बहुत सारे बैक्टीरिया अपने अंदर इनका प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया को मारने के लिए नई एंटीबायोटिक्स की खोज शुरू हो जाती है। नई एंटीबायोटिक्स ज्यादा प्रभावी होती हैं और बाजार में महंगी होती हैं, दवा कंपनियों के लिए ये ज्यादा मुनाफे का सौदा होती हैं। इसलिए नई एंटीबायोटिक्स की खोज और उनके परीक्षण, ट्रायल वगैरह का भी एक बड़ा तंत्र बन गया है। लेकिन एंटीबायोटिक्स से अपनी इस लड़ाई में बैक्टीरिया अब कहीं आगे पहुंच गए हैं। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया विकसित हो गए हैं, जिन पर नई या पुरानी किसी एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। ऐसे बैक्टीरिया को सुपरबग नाम दिया गया है, जो धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगे हैं। पिछले कुछ समय से यह एक ऐसी समस्या बन गई थी, जिसका चिकित्सा विज्ञान के पास कोई तोड़ नहीं था।

**

10. एंटीबायोटिक की जगह ले सकते हैं नये तारों की आकृति वाले पॉलीमर

वैज्ञानिकों ने छोटे, तारों की आकृति वाले अणुओं को विकसित किया है जो ऐसे घातक रोगाणुओं को प्रभावी तरीके से समाप्त कर सकते हैं जिन्हें मौजूदा एंटीबायोटिक्स खत्म नहीं कर पाते।

- अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन एंटीबायोटिक रोधी बैक्टीरिया के खिलाफ उपचार की नयी पद्धति को रेखांकित करता है जिन्हें आमतौर पर सुपरबग कहा जाता है।

- तारों की आकृति वाली संरचनाएं 'पेप्टाइड पॉलीमर्स' नाम के प्रोटीनों की छोटी श्रृंखला है और यूनीवर्सिटी ऑफ़ मेलबर्न स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग के एक दल ने इन्हें बनाया है।

★ फिलहाल बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों का एकमात्र उपचार एंटीबायोटिक होते हैं।★

★ 'एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक सुपरबग्स के प्रकोप के कारण हर साल एक करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। जबकि पिछले 30 साल में केवल एक या दो नये एंटीबायोटिक्स विकसित हुए हैं। अन्वेषणकर्ता पिछले कुछ साल से पेप्टाइड पॉलीमर्स पर काम कर रहे हैं।

11.इनसैट-3डीआर के सफल प्रक्षेपण व GSLV की सफल उड़ान के साथ भारत ने एक साथ कई आसमान छुए हैं

सन्दर्भ :- जीएसएलवी के जरिये इनसैट-3डीआर के सफल प्रक्षेपण को उभरते भारत की महत्वाकांक्षाओं और वैज्ञानिक क्षमताओं का आदर्श मेल

- अंतरिक्ष अभियानों के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने इनसैट- 3डीआर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी (जियोसिंक्रॉनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल) -एफ 05 के जरिए किया गया. - 2211 किलो वजनी इनसैट- 3डीआर एक अत्याधुनिक मौसमी उपग्रह है. इससे मिली जानकारीयां मौसम विज्ञान, खोज और आपदा- राहत संबंधी अभियानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी.
- यह उपलब्धि भारत के लिए कई मायनों में खास है. नौ प्रायोगिक उड़ानों के बाद यह जीएसएलवी का पहला ऑपरेशनल लांच है. इसके जरिये भारत ने संदेश दे दिया है कि वह भी अरबों डॉलर के व्यावसायिक स्पेस लांचर बाजार में कूदने के लिए तैयार है.
- कम लागत के चलते कई देश उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं. उदाहरण के लिए इसरो अगर यही उपग्रह अमेरिका या रूस जैसे देश से बनवाकर वहीं से उसे लांच करवाता तो इसका खर्च करीब 800 करोड़ रु बैठता जबकि यहां यह काम इसके आधे यानी 400 करोड़ में ही हो गया.
- जीएसएलवी के जरिये ही चांद्र के लिए भारत का दूसरा अभियान चंद्रयान -2 लांच किया जाएगा. अभी तक इस पर अनिश्चितता बनी हुई थी क्योंकि जीएसएलवी के पिछले नौ प्रायोगिक परीक्षणों में से पांच असफल रहे थे. इस कारण जीएसएलवी को नॉटी ब्वॉय भी कहा जाता था. लेकिन अब इस तरह की आशंकाएं काफी हद तक दूर हो गई हैं.
- यह उपलब्धि एक और लिहाज से भी अहम है. क्रायोजेनिक इंजनों की मदद से जीएसएलवी का यह पहला सफल ऑपरेशनल लांच है. इस तरह के इंजनों में ईंधन के तौर पर तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है.

- इससे पहले भी तीन बार जीएसएलवी को क्रायोजेनिक इंजनों की मदद से लांच किया गया था लेकिन, यह प्रायोगिक स्तर पर हुआ था. अब ऑपरेशनल लांच को अंजाम देकर भारत ने क्रायोजेनिक तकनीक के मामले में कुशलता की हर परीक्षा पास कर ली है
- 1990 के दशक में रूस ने पश्चिमी देशों के दबाव में आते हुए भारत को यह तकनीक देने से इनकार कर दिया था. तब भारत ने फैसला किया था कि वह अपने क्रायोजेनिक इंजन खुद बनाएगा. दो दशक बाद अब जब उसने यह उपलब्धि हासिल कर ली है तो जैसे वक्त के चक्के का एक फेरा भी पूरा हो गया है.


12.ISRO का एक और कमाल, देसी रॉकेट जीएसएलवी-एफ05 से लॉन्च हुआ मौसम उपग्रह INSAT-3DR

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी-एफ05 का प्रक्षेपण किया, जिसने मौसम पर निगाह रखने के लिए सैटेलाइट इनसैट-3डीआर को अंतरिक्ष में स्थापित किया।

- इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। इससे पहले इसरो ने 27 अगस्त, 2015 को जियोसिनक्रोनस सैटेलाइट लांच व्हीकल का आखिरी प्रक्षेपण किया था.
- उस समय जीएसएलवी-डी6 का प्रक्षेपण किया था जो अपने साथ संचार उपग्रह जीसैट-6 ले गया था.
- जीएसएलवी-एफ05 की दसवीं उड़ान से 2,211 किलो ग्राम के बहुत ही नये तकनीकी से बना मौसम वेदर सैटेलाइट इनसैट-3डीआर को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा गया। जीएसएलवी-एफ05 उड़ान में इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज चौथी बार जीएसएलवी की उड़ान में लगाया गया है।

★जीएसएलवी-एफ05 की उड़ान काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह सीयूएस से लैस जीएसएलवी की पहली परिचालन उड़ान थी।

♂ जीएसएलवी-एफ05 की संरचना तीन चरणों में की गयी है जिसमें जीएसएलवी-डी5 और डी6 जैसे पूर्व के प्रक्षेपणों की तरह सीयूएस शामिल हैं जिन्होंने जनवरी, 2014 में जीसैट-14 तथा अगस्त, 2015 में जीसैट-6 को कामयाबी से ऑर्बिट में स्थापित किया था.



★जीटीओ पहुंचने के बाद उपग्रह के सौर पैनल तत्काल तैनात हो जाएंगे. कर्नाटक के हासन में स्थित इसरो का मास्टर कंट्रोल प्रतिष्ठान उपग्रह पर नियंत्रण करेगा और ऑर्बिट बढ़ाने का शुरुआती अभियान पूरा करेगा तथा उसे सकारुलर ज्योस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करेगा.

=>इनसैट उपग्रह के उपयोग

★इसरो ने 26 जुलाई, 2013 को फ्रेंच गुयाना से अत्याधुनिक मौसम उपग्रह इनसैट-3डी भेजा था. इनसैट 3डीआर इसके बाद इनसैट 3डी से मिलने वाली सेवा कोस्ट गॉर्ड, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, शिपिंग और डिफेंस सहित दूसरे लोगों को भी मुहैया कराई जा रही ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्च ऑपरेशन और डिफेंस सर्विस का हिस्सा बन जाएगा. इनसैट 3डीआर दस सालों तक काम करेगा.

**

13. ओक्टोबोट

- पारंपरिक रोबोट्स से हटकर यह रोबोट soft matereals से बनाया गया है
- इसका निर्माण harvard के researcher ने किया है
- यह अपनी तरह का पहला रोबोट है, जो पूरी तरह से सॉफ्ट उपकरणों का प्रयोग करके बनाया गया है। इससे हूबहू इंसानों जैसे ढांचे और हरकत वाले रोबोट बनाने का रास्ता साफ हो गया है।
- **बैटरी के बिना ऊर्जा मिलती है**: ओक्टोबोट स्थायी बैटरियों और सर्किट बोर्डों की बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह जिस तकनीक से बना है, उसे माइक्रोफ्लूइडिक्स कहा जाता है।

GENERAL STUDIES HINDI

International affairs and IR

1. सार्क में अहम है भारत की भूमिका

भारत के बहिष्कार और कुछ और देशों के साथ आ जाने के बाद पाकिस्तान में होने वाला सार्क सम्मेलन रद्द हो गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश व भूटान के सहयोग के साथ श्रीलंका तो यह तक कह चुका है कि भारत के बिना सम्मेलन का औचित्य ही नहीं है। जानिए www.gshindi.com की तरफ से आखिर इस संगठन में क्यों अहम है भारत की भूमिका।

A. आर्थिक दृष्टि से :-

1. भारत सार्क में न सिर्फ क्षेत्रफल व जनसंख्या के लिहाज से 70 फीसदी हिस्सेदारी रखता है, बल्कि संगठन की अर्थव्यवस्था में भी उसकी भागीदारी 70 प्रतिशत से ज्यादा है।
2. वर्तमान में हमारा अन्य सार्क देशों के साथ व्यापार 15 बिलियन डॉलर यानी 1002 अरब रुपए के बराबर है।
3. इसमें से 17.5 बिलियन डॉलर का निर्यात है और आयात महज 2.5 बिलियन है।
4. यह दक्षिण एशियाई देशों की भारत पर निर्भरता को दर्शाता है।
5. संगठन के देशों में सबसे ज्यादा व्यापार भारत का बांग्लादेश, श्रीलंका व नेपाल के साथ रहा है। 2013-14 में हमने सार्क के कुल व्यापार का 33.3 फीसदी बांग्लादेश के साथ किया है। वहीं श्रीलंका के साथ यह 26 फीसदी और नेपाल के साथ 20.6 प्रतिशत रहा है।
6. वहीं अगर दूसरे देशों के नजरिए से देखें तो नेपाल और भूटान का 50 प्रतिशत व्यापार तो सिर्फ हमारे साथ ही होता है।

B. सहयोग के मामले में :-

1. चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव या नेपाल, आर्थिक रूप से भारत सभी का सहयोग करता रहा है।
2. यह सहयोग का ही उदाहरण है कि भूटान में हम ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।
3. इसके साथ वह हमसे पर्यटन, शिक्षा, निर्माण और उद्योग में भी और निवेश चाहता है।
4. वहीं पर्यटन, होटल, एयरपोर्ट्स व मतस्य उद्योग में सहयोग बढ़ाना चाहता है।
5. इनके अलावा श्रीलंका को 20 करोड़ डॉलर के भारतीय निवेश के 1 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह भी एक वजह है कि सम्मेलन में शिरकत न करने के भारत के फैसले के बाद इनमें से ज्यादातर समर्थन में आए हैं।
6. इसके अलावा अफगानिस्तान में आर्थिक गलियारे के विकास के साथ नेपाल में भी भारत की परियोजनाएं चल रही हैं।

3. कूटनीतिक नजरिए से :-

1. इतिहास में झांके तो ये सब किसी न किसी तरह से भारत के ही भू-भाग हैं। मौर्य काल में भारत आफगानिस्तान से म्यांमार (शार्क के प्रेक्षक देशों में शामिल) तक था। ऐसे में सांस्कृतिक तौर पर भी हम इन देशों के लिए केंद्र के समान हैं।
2. वहीं अब सार्क के आठ सदस्य देशों में से चार (पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश) भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं।



GENERAL STUDIES HINDI

3. सार्क के किसी और देश की स्थिति ऐसी नहीं है और यही बात हमें कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती

कूटनीति ही नहीं, व्यापार व आर्थिक मदद की बंदौलत...

सार्क में अहम है भारत की भूमिका

भारत के बहिष्कार और कुछ और देशों के साथ आ जाने के बाद पाकिस्तान में होने वाला सार्क सम्मेलन रह गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश व भूटान के सहयोग के साथ श्रीलंका तो यह तक कह चुका है कि भारत के बिना सम्मेलन का औचित्य ही नहीं है। जानिए आखिर इस संगठन में क्यों अहम है भारत की भूमिका।

1 आर्थिक दृष्टि से

भारत सार्क में न सिर्फ क्षेत्रफल व जनसंख्या के लिहाज से 70 फीसदी हिस्सेदारी रखता है, बल्कि संगठन की अर्थव्यवस्था में भी उसकी भागीदारी 70 प्रतिशत से ज्यादा है। वर्तमान में हमारा अन्य सार्क देशों के साथ व्यापार 15 बिलियन डॉलर यानी 1002 अरब रुपये के बराबर है। इसमें से 17.5 बिलियन डॉलर का निर्यात है और आयात महज 2.5 बिलियन है। यह दक्षिण एशियाई देशों की भारत पर निर्भरता को दर्शाता है। संगठन के देशों में सबसे ज्यादा व्यापार भारत का बांग्लादेश, श्रीलंका व नेपाल के साथ रहा है। 2013-14 में हमने सार्क के कुल व्यापार का 33.3 फीसदी बांग्लादेश के साथ किया है। वहीं श्रीलंका के साथ यह 26 फीसदी और नेपाल के साथ 20.6 प्रतिशत रहा है। वहीं अगर दूसरे देशों के नजरिए से देखें तो नेपाल और भूटान का 50 प्रतिशत व्यापार तो सिर्फ हमारे साथ ही होता है।

2 सहयोग के मामले में

चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव व नेपाल, आर्थिक रूप से भारत सभी का सहयोग करता रहा है। यह सहयोग का ही उदाहरण है कि भूटान में हम ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसके साथ वह हमसे पर्यटन, शिक्षा, निर्माण और उद्योग में भी और निवेश चाहता है। वहीं पर्यटन, क्रीडा, पर्यटन व मतस्य उद्योग में सहयोग बढ़ाना चाहता है। इनके अलावा श्रीलंका को 20 करोड़ डॉलर के भारतीय निवेश के 1 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह भी एक बड़ा है कि सम्मेलन में शिरकत न करने के भारत के फैसले के बाद इनमें से ज्यादातर समर्थन में आए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में आर्थिक वित्तियार के विकास के साथ नेपाल में भी भारत की परियोजनाएं चल रही हैं।

3 कूटनीतिक नजरिए से

इतिहास में झूके तो ये सब किसी न किसी तरह से भारत के ही भू-भाग हैं। मौर्य काल में भारत अफगानिस्तान से प्यामार् (सार्क के प्रेक्षक देशों में शामिल) तक था। ऐसे में सांस्कृतिक तौर पर भी हम इन देशों के लिए केंद्र के समान हैं। वहीं अब सार्क के आठ सदस्य देशों में से चार (पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश) भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। सार्क के किसी और देश को स्थिति ऐसी नहीं है और यही बात हमें कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है।



2014 में नेपाल में हुए सार्क सम्मेलन की एक तस्वीर।

1985 में बांग्लादेश के दावा में हुआ था सार्क का प्रथम सम्मेलन।

08 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है सार्क दिवस।

दुनिया का सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन



अफगानिस्तान 23 साल बाद शामिल

1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर्रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद मई 1980 का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार फिर रखा गया। फिर अप्रैल 1981 में सातों (अफगानिस्तान को छोड़कर) देश के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले। इनकी सभिति ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए पांच व्यापक क्षेत्रों की पहचान की। इस तरह 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने मिलकर सार्क की स्थापना की। अप्रैल 2008 में संगठन के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवां सदस्य बना।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) असल में दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। जीडीपी के हिसाब से सार्क की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है। इसके सदस्य देश दुनिया के तीन फीसदी दायरे में फैले हुए हैं और दुनिया की पूरी आबादी का करीब 21 फीसदी हिस्सा इन देशों में रहता है। यानी सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग 1.5 अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है।

31 साल में 12वीं बार नहीं होगा सार्क सम्मेलन

यह पहली बार नहीं जब इस सालाना सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका। इससे पहले 31 वर्षों में 11 बार ऐसी स्थिति बन चुकी है। इससे पहले सम्मेलन 2014 में नेपाल में हुआ था वह भी तीन साल के अंतराल में। वहीं 1989, 1992, 1994, 1996, 1999, 2000, 2003, 2006, 2009 में भी सम्मेलन को कई राजनीतिक कारणों से स्थगित करना पड़ा था। जानकारों का मानना है कि इसमें से अधिकांश बार भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इसके न हो पाने का कारण बने हैं। वैसे इस बार सम्मेलन के रह होने को एशिया में भारत की ताकत के रूप में भी देखा जा रहा है। जाहिर है किसी संगठन में बड़े देश की अहम भागीदारी होती ही है। चाहे फिर वह आर्थिक दृष्टि से हो, कूटनीतिक तरीके से हो या अन्य सहयोग के मामले में।

वैसे तो आपसी विश्वास बढ़ाना है इसका उद्देश्य

- दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करना।
- दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- आपसी विश्वास व एक दूसरे को समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाना।

- आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सख्त सहयोग को बढ़ावा देना।
- अन्य देशों के साथ सहयोग मजबूत करना।
- साझा हित के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों में सहयोग को मजबूत करना।
- समान लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, इसके उद्देश्यों में शामिल है।

• एसएचटी: रहीम सिंह, विदेशनीति के जनकार

है।

2. सार्क को लेकर कभी भी गंभीर नहीं हुआ पाकिस्तान

1- पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में सार्क शिखर बैठक की तैयारी के सिलसिले में सदस्य देशों की बिजली नियामक एजेंसियों की बैठक थी। बैठक में तय होना था कि सदस्य देशों के बीच बिजली का कारोबार किस

तरह से हो। अधिकांश देश इस बारे में नियम बना चुके हैं। भारत और बांग्लादेश में तो बिजली कारोबार शुरू भी हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई तैयारी नहीं हुई है।

- यह सिर्फ एक उदाहरण है कि पाकिस्तान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को कितनी गंभीरता से लेता है।

2- नेपाल में पिछले वर्ष पीएम मोदी ने जब सार्क देशों के लिए विशेष सैटेलाइट छोड़ने का प्रस्ताव किया तो सभी देश इसमें शामिल होने को तैयार थे लेकिन पाकिस्तान उल्टा इस पर संदेह जता रहा है।

3- यह सैटेलाइट सार्क देशों में न सिर्फ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में मददगार साबित होगी बल्कि भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने में भी मदद करेगी।

4- इसी तरह से सार्क देशों के बीच मोटर वाहनों के आवागमन को आसान बनाने के लिए किए गए समझौते को भी पाकिस्तान लागू नहीं कर रहा है जबकि अन्य सभी देश इसके पक्ष में हैं।

5. पाकिस्तान ने यही रवैया रेल क्षेत्र में सहयोग को लेकर अपनाया है।

दरअसल, सार्क को लेकर पाकिस्तान का रवैया कभी सकारात्मक नहीं रहा। आपसी सहयोग बढ़ाने के भारत के हर प्रस्ताव को वह संदेह की नजर से देखता रहा है।

6. इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक-दूसरे को प्रमुख वरीयता प्राप्त राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा देने का ही मुद्दा है।

- भारत ने वर्ष 1996 में पाक को यह दर्जा दिया था लेकिन तब से पाकिस्तान ना-नुकुर कर रहा है। एक बार तो कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बावजूद वहां की सरकार ने इसे लागू नहीं किया। अब तो भारत भी इसे रद्द करने की तैयारी में है।
- पाकिस्तान ने कभी भी सार्क के साथ अपने हितों को जोड़ कर नहीं देखा। सिर्फ पाक के असहयोग की वजह से तीस वर्षों में न तो सार्क क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता लागू हो पाया है और न ही सहयोग का कोई अहम कार्यक्रम लागू हो पाया।
- यही वजह है कि भारत अब सार्क के अन्य सभी देशों के साथ अलग संगठनों के जरिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

◆ अगले महीने गोवा में ब्रिक्स बैठक के साथ ही बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान को मिला कर गठित समूह बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोआपरेशन (बिम्सटेक) की अहम बैठक बुलाई गई है। भारत सार्क के इन छोटे देशों को चीन, रूस जैसे बड़े बाजार से भी जोड़ने का प्रस्ताव दे रहा है।

==>>पाक की कारिस्तानी :-

1. भारत को एमएफएन का दर्जा देने से पीछे हटा
2. मोटर वाहन समझौते को लागू नहीं किया
3. बिजली कारोबार संबंधी नियम तय करने में डाले अड़ंगे
4. सार्क देशों के बीच रेल चलाने के प्रस्ताव को डाला ठंडे बस्ते में

5. सार्क सैटेलाइट छोड़ने के प्रस्ताव पर जताया संदेह

3. म्यांमार के राष्ट्रपति क्याव का भारत दौरा: चीन-भारत के रिश्तों के नजरिए से इसका महत्व

म्यांमार के राष्ट्रपति यू ह्युतिन क्याव 27 से 30 अगस्त 2016 तक भारत के दौरे पर आए. मार्च 2016 में कार्यभार संभालने के बाद उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व को पहली बार मिलने का मौका मिला है.

★ यह क्याव की पहली विदेश यात्रा है और भारत-म्यांमार संबंधों की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

★ गौरतलब है कि राष्ट्रपति क्याव प्रभावशाली नेता आंग सान सू की के वफादार साथी रहे हैं. इनकी नियुक्ति इसलिए की गई थी क्योंकि नियमानुसार सू की, संवैधानिक बाध्यता के चलते राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकती थीं. संविधान अनुसार, जिन लोगों के जीवन साथी या बच्चे विदेशी नागरिक हों, उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता.

- चूंकि सू की के बेटे ब्रिटिश नागरिक हैं, वह स्वयं राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी. इसलिए उन्होंने अपने समर्पित साथी को इस पद की जिम्मेदारी दी.

⇒ वार्ता के मुख्य बिंदु

- यात्रा से दोनों देशों के बीच आपसी विषयों पर परस्पर और व्यापक वार्ता के रास्ते खुले हैं. राष्ट्रपति क्याव को सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला, जिन्होंने कहा 'हर कदम पर सवा सौ करोड़ भारतीय आपके साथ खड़े होंगे. हम दोनों साथी हैं और दोस्त हैं.'

द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही यह संदेश इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव से म्यांमारवासी और राजनेता परेशान हैं. म्यांमार ने हाल ही सुषमा स्वराज के नेपीडो दौरे के दौरान भारत को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया था. राष्ट्रपति क्याव ने स्वराज को भरोसा दिलाया कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने देगा. हाल ही में अपने भारत दौरे में भी क्याव ने अपना यह वादा दोहराया.

- म्यांमार भारत के पूर्वोत्तर और आसियान देशों के बीच एक ऐसी कड़ी है, जिसका इस्तेमाल मध्य स्थल के तौर पर किया जा सकता है. इसलिए यह न केवल पूर्वोत्तर की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक विकास में भी इसकी अहम भूमिका है. इस प्रकार म्यांमार 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का केंद्र है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवम्बर 2014 में नेपीडो में लांच की थी.
- दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के अलावा कृषि, बैंकिंग, विद्युत और ऊर्जा व दालों के व्यापार पर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमति बनी. दोनों देश भारतीय कम्पनियों द्वारा तेल उत्खनन और हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन के निर्माण पर सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए.

➤ भारत ने एक मजबूत और जवाबदेह लोकतंत्र के लिए विभिन्न मोर्चों पर अपने अनुभव साझा करने का प्रस्ताव रखा. इसके अलावा केंद्र-राज्यों और क्षेत्रों के बीच संबंधों और साथ ही जातीय व अल्पसंख्यक मसलों पर अपने अनुभव साझा करने की बात भी कही.

- भारत ने आंग्लोंग सम्मेलन के तहत म्यांमार के राष्ट्रीय एकीकरण और शांति प्रक्रिया के प्रति समर्थन जताया है. यह भी तय किया गया कि विकासात्मक सहयोग के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे. इसके तहत म्यांमार में क्षमता निर्धारण के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत ढांचा मजबूत करने, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और अकादमिक सहयोग पर जोर रहेगा.

=>सू की का चीन दौरा :-

- राष्ट्रपति क्वाव के दौरे पर आए सकारात्मक नतीजों पर संतोष जताने के साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि राजकीय काउन्सलर, वित्त मंत्री और म्यांमार की वास्तविक नेता ने पद ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना.

-जब सू की नजरबंद थीं तो उस वक्त वे सैन्य शासन को चीन से मिल रहे समर्थन के सख्त खिलाफ थीं. पद ग्रहण करने के बाद सू की ने राजनीतिक चतुराई दिखाते हुए चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की जरूरत महसूस की ताकि घरेलू मोर्चे पर अपने ऐजेंडे में सफल हो सकें.

- दोनों देशों के संबंध उस वक्त से खराब होने लग गए थे, जब चीन द्वारा 3.6 अरब अमेरिकी डॉलर के फंड से बनाए जा रहे माइटीस्टोन बांध का निर्माण रद्द कर दिया गया था. यह मुद्दा दोनों देशों के बीच संबंध सुधार में बड़ी बाधा बना हुआ है. सू की ने माइटीस्टोन व अन्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की. बीजिंग में भी उन्होंने यह मामला उठाया.

=>भारत-म्यांमार संबंध

★ सू की के सत्ता संभालने के बाद भारत ने उन तक पहुंचने में काफी देर कर दी. स्वराज नेपीडो पहुंचने वाली पहली भारतीय नेता रहीं, जो सू की के शपथ ग्रहण के साढ़े चार महीने बाद 22 अगस्त को एक दिवसीय यात्रा पर वहां गई थीं. इस देरी की बात को अगर छोड़ भी दिया जाए तो भारत इतना सक्षम है कि वह इस बीते समय की खानापूति आसानी से कर सकता है. दोनों देश धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और पारम्परिक विरासत साझा करते हैं.

★सू की अक्टूबर में ब्रिक्स-बिम्सटेक सम्मेलन में भाग लेने भारत आएंगी. इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से भी मिलेंगी.

=>म्यांमार को क्या मिला?

★भारत के साथ संबंध मजबूत होने से म्यांमार को चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक संतुलन बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही भारतीय निवेश, विशेषज्ञता एवं क्षमता से इसे आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी. म्यांमार में सत्ता परिवर्तन से भारत को रणनीतिक गुंजाइश मिली है.

4. चीन के राष्ट्रपति का बांग्लादेश दौरा : भारत के दो अरब के मुकाबले चीन बांग्लादेश को 24 अरब डॉलर का कर्ज देगा

पिछले 30 वर्षों में बांग्लादेश जाने वाले शी जिनपिंग पहले चीनी राष्ट्रपति हैं

★चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश को 24 अरब डॉलर से अधिक कर्ज देने की मंजूरी देने वाले हैं। यह किसी दूसरे देश द्वारा अब तक बांग्लादेश को दी जाने वाली सबसे बड़ी रकम होगी।

★बांग्लादेश के उप वित्त मंत्री एमए मन्नान के मुताबिक इसका इस्तेमाल ऊर्जा संयंत्र, बंदरगाह और रेलवे जैसी आधारभूत चीजों के निर्माण में किया जाएगा।

★जिनपिंग की यह यात्रा पिछले 30 वर्षों में किसी चीनी राष्ट्रपति की पहली बांग्लादेश यात्रा है। चीन ने इतना बड़ा कर्ज देने का फैसला उस समय किया है जब भारत भी बांग्लादेश में लगातार निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अपनी ढाका यात्रा के दौरान बांग्लादेश को दो अरब डॉलर कर्ज देने का ऐलान किया था।

=>कुल 25 परियोजनाओं में वित्तीय मदद

◆ चीन की बांग्लादेश में 25 परियोजनाओं में वित्तीय मदद देने की योजना है जिसमें 1320 मेगावाट की एक बिजली संयंत्र परियोजना भी शामिल है। बांग्लादेश में ढांचागत निर्माण की दिशा में अभी काफी काम होना है और इसके लिए बड़ी रकम की जरूरत है।

★ चीन बांग्लादेश में कई वर्षों से ठप्प सोनादिया बंदरगाह का काम फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। चीन की जियांगसू इटर्न कंपनी ने बांग्लादेश में पावर ग्रिड को मजबूत करने संबंधी एक अरब 10 करोड़ डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर होने की बात कही है।

=>>भारत को चुनौती :-

◆ पिछले कुछ समय के दौरान विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक मदद के जरिए बांग्लादेश में अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बांग्लादेश अभी तक भारत के सबसे ज्यादा करीब रहा है।

★हालांकि, भारत के कहने के बाद जापान ने भी बांग्लादेश को बंदरगाह और ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए कम ब्याज पर वित्तीय मदद की पेशकश की है।

★ चीन के बांग्लादेश को इतनी बड़ी वित्तीय मदद देने के फैसले को कई हलकों में भारत के असर को चुनौती देने के रूप में भी देखा जा रहा है।

5. ब्रिक्स : क्या, कब और कितना हासिल किया

हर सदस्य-देश के नाम का पहला अक्षर जोड़कर 'ब्रिक्स' संगठन बना है। यह सदस्य देश हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अंग्रेजी में ब्रिक्स का अर्थ हुआ- ईंटें। पश्चिमी जगत की आक्रामक अर्थ-नीतियों के विरुद्ध ईंटों की दीवार खड़ी करना ही ब्रिक्स का मुख्य लक्ष्य है।

- आठवां सम्मेलन :- पांच देशों के इस संगठन का आठवां सम्मेलन गोवा में हो रहा है, भारत इसका अध्यक्ष है।
- 'ब्रिक्स' का पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ।
- दक्षिण अफ्रीका 2011 में इसका पांचवां सदस्य बन गया।

- यह संगठन काफी मजबूत है, लेकिन आश्चर्य है कि इसमें पश्चिमी खेमे का एक भी देश नहीं है। इसमें दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। चीन, रूस और भारत। इन तीन में से दो सुरक्षा-परिषद के सदस्य हैं।

- ब्राजील लातीनी अमेरिका का प्रमुख देश है और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का बड़ा देश है। दूसरे शब्दों में 'ब्रिक्स' की सीमाएं दुनिया के इस पार से उस पार तक फैली हुई हैं।

- इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं कुल मिलाकर 16 खरब डॉलर तक पहुंच गई हैं।
- दुनिया की 53 प्रतिशत यानी आधी से ज्यादा आबादी इन पांच देशों में रहती है।
- दुनिया की कुल आय (जीडीपी) का 30 प्रतिशत भाग इन देशों का है।
- विश्व-व्यापार का 17 प्रतिशत इन देशों के पास है।

इस समय भारत की अर्थ-व्यवस्था का विकास सबसे तेजी से हो रहा है और वही इस वर्ष के सम्मेलन का अध्यक्ष है। वह चाहे तो 'ब्रिक्स' में नई जान फूंक सकता है।

- नव विकास बैंक (न्यू डेवलपमेंट बैंक) की घोषणा, जो भारत की पहल पर 2014 में हुई थी। भारत के केवी कामथ इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय शंघाई में है।
- इसमें सदस्य-राष्ट्र 100 अरब डॉलर की राशि जमा करेंगे।

आलोचना :- इस बैंक को बने चार साल हो गए हैं, लेकिन 100 अरब डॉलर तो दूर का सपना है, अभी तक उसके पास 4 अरब डॉलर भी इकट्ठे नहीं हो पाए हैं।

- रूस की अर्थव्यवस्था यूक्रेन-क्रीमिया के कारण लगे पश्चिमी प्रतिबंधों से संकट में है, चीन की अर्थव्यवस्था भी मंद हो गई है।
- ब्राजील में राजनीतिक उठा-पटक इतनी तेज है कि वह भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है।
- साउथ अफ्रीका ने पांचों देश के बीच मुक्त-व्यापार का भी विरोध किया है।

- ये पांचों देश हर साल मिलते हैं, लेकिन चीन और रूस का लक्ष्य यह है कि अमेरिका की काट कैसे की जाए? कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रूस और चीन की राय अमेरिका के विरुद्ध और एक-जैसी होती है, जैसे 'साउथ चाइना सी', यूक्रेन, आईएसआईएस आदि के बारे में।

- रूस और चीन में सामरिक घनिष्ठता भी बढ़ी है। रूस अधुनातन विमान चीन को सप्लाई कर रहा है और उसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर रहा है।

- चीन 40 अरब डॉलर लगाकर जो एशियाई महापथ बना रहा है, रूस उसका भी मौन समर्थन कर रहा है।

- भारत ने पिछले दिनों जब पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की तो रूस ने यद्यपि भारत का समर्थन किया, लेकिन उस समय रूसी सेनाएं पाक सेना के साथ संयुक्त अभ्यास दूझबा (दोस्ती) के नाम पर कर रही थीं।

- ब्रिक्स का इस्तेमाल भारत चाहे तो अपने हितों की सिद्धि के लिए मजबूती से कर सकता है। जहां तक चीन का सवाल है, व्यापार मंत्रियों की बैठक में चीन ने आश्वासन दिया है कि भारत की वस्तुओं के लिए वह नए-नए बाजार खोलेगा, भारत में अपने 2 अरब डॉलर के विनियोग को 20 अरब डॉलर तक बढ़ाएगा, भारत-चीन व्यापार में आए भयंकर असंतुलन को घटाएगा।

- ब्रह्मपुत्र के बांधों से भारत को नुकसान नहीं होने देगा।

- मसूद अजहर के मामले में चीन अभी तक अटका हुआ है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसे आतंकी घोषित करने का विरोध कर रहा है। -चीन ने परमाणु सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता पर रुख नरम किया है।

- जहां तक रूस का प्रश्न है, उसके साथ हथियारों की खरीद का महत्वपूर्ण समझौता होने वाला है।
- प्रक्षेपास्त्र-रोधी 'ट्रायम्फ', कामोव टैंक और 226 टी हेलिकाप्टर भी भारत खरीदेगा।
- कुंदनकुलम में दो परमाणु संयंत्रों के निर्माण के समझौते पर भी दस्तखत होंगे।
- भारत को तरह-तरह के हथियार बनाने में रूस मदद करेगा।
- भारत में रूस का विनियोग सिर्फ 4 अरब डॉलर है, जबकि भारत का वहां 8 अरब का है। भारत-रूस व्यापार भी 6-7 अरब डॉलर तक सीमित है।
- रूस को यह शिकायत हो सकती है कि भारत अमेरिका के बहुत करीब होता जा रहा है, लेकिन खुद रूस क्या अमेरिका से अपने संबंध घनिष्ठ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था? अब अमेरिका और रूस के बीच कोई बराबरी भी नहीं है।
- रूस यदि पाक को हथियार बेचना चाहता है तो बेचे, लेकिन उसे भारत के विरुद्ध जाने की जरूरत जरा भी नहीं है।

GENERAL STUDIES HINDI

6. रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा: दोनों देशों के मध्य हुए ये अहम समझौता

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे। यहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ अहम मुलाकात की। दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर निम्न समझौते किये गए :-

1-200 कामोव हेलीकॉप्टर पर समझौता

2-एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस 400 पर समझौता

3-आंध्र प्रदेश, हरियाणा में स्मार्ट सिटी

4-भारत-रूस में गैस पाइपलाइन समझौता

- 5-जहाज निर्माण में समझौता
- 6-शिक्षा के क्षेत्र में समझौता
- 6-रेलवे के क्षेत्र में समझौता
- 7-विज्ञान-तकनीक के क्षेत्र में समझौता
- 8-परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता

- इस मुलाकात के बाद साझा बयान में भारत ने कहा रूस हमारा पुराना दोस्त है। एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है। भारत और रूस के बीच अनूठी दोस्ती है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और रूस साथ हैं।

7.भारत और अमेरिका अब एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे

भारत और अमेरिका सैन्य साझेदारी की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गए हैं. तीन दिन की अमेरिका यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

- सैन्य साझेदारी को बढ़ावा देने वाले इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका एक-दूसरे के जल, थल और वायु सैनिक अड्डों को मरम्मत और आपूर्ति जैसी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे. समझौते को इस इलाके के समुद्री क्षेत्र में चीन के दिनों दिन बढ़ते दखल के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है.

-विशेषज्ञों ने इस समझौते को भारत-अमेरिकी सैन्य रिश्तों में मील का पत्थर बताया है.

=> **समझौते में क्या क्या?**

★ मनोहर पर्रिकर और एश्टन कार्टन ने एक साझा बयान में कहा कि इससे संयुक्त अभियानों के लिए रसद आपूर्ति आसान और प्रभावी बनेगी. इस समझौते के बाद दोनों देशों की नौसेनाओं को अलग-अलग अभियानों और अभ्यासों के दौरान एक-दूसरे की मदद करने और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में आसानी होगी.

★भारत में यह समझौता काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है. अमेरिका ने 2002 में भारत के साथ इस समझौते का प्रस्ताव रखा था लेकिन, बात नहीं बन पाई. इस साल की शुरुआत तक भी भारत इस पर राजी नहीं था. लेकिन, इस साल अप्रैल में एश्टन कार्टर के भारत दौरे के वक्त दोनों देशों के बीच इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी. इसके बाद आगे की बातचीत और अलग-अलग मंत्रालयों के अनुमोदन के बाद सोमवार को यह समझौता हो पाया है.

=> **समझौते का विरोध क्यों?**

★अमेरिका का अपने सैन्य साझेदारों के साथ ऐसा समझौता आम माना जाता है. लेकिन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगुआ रहे भारत के लिए इससे कई चिंताएं जुड़ी हैं.

- कांग्रेस और वाम दल इस फैसले की मुखालफत करते रहे हैं. उनका कहना है कि इससे अमेरिका को भारत

में सैन्य ठिकाने बनाने का मौका मिल जाएगा.
- पड़ोसियों से रिश्ते और ज्यादा तकरार भरे होने की सम्भावना

8. भ्रष्टाचार के आरोप में ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ बर्खास्त

- लेटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील में पिछले सालभर से चल रहे संघर्ष के बाद राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ को उनके पद से हटा दिया गया।
- उनकी जगह माइकल टेमर को नया राष्ट्रपति बनाया गया है।

कारण:- आम बजट में गड़बड़ी के आरोपों के बाद डिल्मा को पद से हटाने के लिए सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।

- डिल्मा के हटने के साथ ही उनके उप राष्ट्रपति रहे और अब धुर सियासी विरोधी 75 वर्षीय मिचेल टेमर को ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।
★ टेमर दक्षिणपंथी राजनेता हैं और राउसेफ ने उन पर महाभियोग के जरिये सत्ता हथियाने की कोशिशों का आरोप लगाया था। शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर टेमर, चीन में जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जाएंगे।

=> **ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति थीं डिल्मा राउसेफ**

★ वैसे राउसेफ का जाना व्यापक रूप से संभावित लग रहा है लेकिन यह फैसला एक बड़े राजनीतिक संघर्ष में एक अहम अध्याय माना जा रहा है और इसकी समाप्ति अभी दूर लग रही है। राउसेफ ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति थीं।

★ उन पर संघीय बजट के अपने प्रबंधन में वित्तीय कानूनों का तोड़ने का आरोप है। इस सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले मुख्य न्यायाधीश रिकार्डो लेवांडोव्सकी ने कहा, 'सीनेट ने पाया कि ब्राजील के संघीय गणतंत्र की राष्ट्रपति डिल्मा वाना राउसेफ ने वित्तीय कानूनों का उल्लंघन कर अपराध किया है।

=> **13 साल लंबे वामपंथी शासन का अंत**

महाभियोग प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में राउसेफ को हटाने के पक्ष में 81 सीनेटरों ने वोट किये थे जबकि उनके पक्ष में सिर्फ 61 वोट पड़े थे। जरूरी दो-तिहाई बहुमत से उनके खिलाफ मतदान होने के साथ ही वह तात्कालिक रूप से इस पद के लिए अयोग्य घोषित हो गईं। उनके हटने के साथ ही ब्राजील में 13 साल लंबे वामपंथी शासन का अंत हो गया

9. अमरीका - रूस तनाव चरम पर: क्या ये दूसरे शीत युद्ध की दस्तक है?

रूस ने अमरीका के साथ परमाणु समझौता तोड़ दिया है और अमरीका ने सीरिया पर रूस से बातचीत खत्म कर दी है।

★ दो परमाणु शक्ति वाले इन बड़े देशों में बढ़ती तकरार से पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है।

=>> **जानिए क्या है पूरा मामला और इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर होगा?**

=>>परिप्रेक्ष्य , क्या था दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता?

- प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले यूरेनियम को संवर्धित कर प्लूटोनियम बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों में किया जाता है।

- पूरी दुनिया में करीब 1,600 टन प्लूटोनियम का भंडार मौजूद है। इसमें से ज्यादातर परमाणु हथियार रखने वाले देशों के पास है और उनमें भी सर्वाधिक रूस के पास है।

★साल 2000 में दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के तहत उन्हें अपने भंडार में अतिरिक्त प्लूटोनियम का कम से कम 34-34 टन, अपने संयंत्रों में नष्ट करना था।

★ अमरीकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये 68 टन प्लूटोनियम 17,000 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त होता है।

- दोनों देशों के बीच ये समझौता परमाणु क्षमता को घटाने और परमाणु ईंधन को चरमपंथी गुटों की पहुंच से बचाने के लिए था।

★साल 2010 में उन्होंने इस समझौते पर दोबारा मुहर लगाई थी।

=>>समझौता क्यों निलंबित

◆ इसी साल अप्रैल में रूस ने कहा था कि अमरीका जिस प्रक्रिया से प्लूटोनियम का निपटान कर रहा था, उससे उसे वापस निकालकर परमाणु हथियार में इस्तेमाल किया जा सकता है।

◆हालांकि अमरीका ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि निपटान का तरीका समझौते का उल्लंघन नहीं है।

◆विशेषज्ञ असली वजह साल 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया को अलग किए जाने के बाद, अमरीका और यूरोपीय संघ के द्वारा रूस के खिलाफ लगाए कई प्रतिबंध मानते हैं।

◆रूस ने समझौते को दोबारा लागू करने के लिए अमरीका के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनमें सितंबर 2000 के बाद सैन्य गठबंधन नैटो में जुड़ने वाले देशों में अमरीका की ताकत कम करने और रूस से सभी प्रतिबंध हटाना शामिल हैं।

=>>अमरीका-रूस रिश्तों में इतनी खट्टास क्यों आ गई है?

◆ पिछले महीने से सीरिया में रूसी और सीरियाई सेना के हमले तेज़ होने के बाद से अमरीका और रूस के बीच तनाव बढ़ा और अमरीका ने सीरिया युद्ध पर रूस के साथ बातचीत को निलंबित कर दिया।

◆ दोनों देशों में समझौता हुआ था जिसके मुताबिक सीरिया में युद्धविराम लागू होना था और इसके सफल होने की स्थिति में अमरीका और रूस जेहादियों को निशाना बनाने के लिए संयुक्त सैन्य सेल बनाने पर सहमत हुए थे।

◆ अमरीका ने सीरिया और रूस पर नागरिकों, अस्पतालों और मानवीय सहायता संगठनों को निशाना बनाकर हमले तेज़ करने का आरोप लगाया है।

=>>क्या ये दूसरा शीत युद्ध की तरफ़ ले जाएगा?

★ सीरिया में रूस और अमरीका के बीच का तनाव अब छद्म युद्ध की शकल ले रहा है जहां दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

★ "इसे दूसरा शीत युद्ध तो नहीं कह सकते क्योंकि तब हालात अलग थे पर स्थिति बहुत डरावनी है और किसी नए रूप के शीत युद्ध से आर्थिक मंदी से जूझ रही पूरी दुनिया को ही नुकसान होगा."

★ शीत युद्ध के वक्त अमरीका पूंजीवादी देश था और रूस साम्यवादी. अब दोनों देश पूंजीवादी हो गए हैं और दोनों के ही दुनिया के कई हिस्सों में उनके आर्थिक और सामरिक सरोकार हैं.

★ परमाणु समझौता निलंबित किए जाने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने अमरीका पर आरोप भी लगाया है कि रूस की तरफ़ अमित्रतापूर्ण क़दम उठाकर उसने सामरिक स्थिरता के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है.

- किसी तीसरी ताकत की कमी की वजह से ये द्विपक्षीय तनाव और बढ़ा है और इसका हल करने के लिए दुनिया के अलग-अलग देशों को जल्द साथ आने की ज़रूरत है.

10. भारत- नाइजीरिया संबंध : भारतीय उपराष्ट्रपति की नाइजीरिया यात्रा

भारतीय उपराष्ट्रपति की नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी ने भारत से उद्योग, व्यापार, विज्ञान-तकनीक, ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया है।

- नाइजीरिया ने अपने देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी भारत का सहयोग मांगा है।

- भारत ने भी कई क्षेत्रों में बेहतर तालमेल और निवेश की राह आसान बनाने के अलावा नाइजीरिया में दाल पैदा करने की संभावनाएं टटोली हैं। भारत ने इसके पहले कुछ अन्य अफ्रीकी देशों व खासकर मोजाम्बिक में दाल उगाने की तैयारी की है।

★ नाइजीरिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।★

★ अबुजा में दोनों देशों के नेताओं की भेंट के वक्त भारत-नाइजीरिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति कायम हुई।

★ सहयोग के अलावा दोनों देशों ने आतंकवाद पर लगाम लगाने की ज़रूरत बताई है।

★ भारत व नाइजीरिया जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और ऊर्जा सुरक्षा आपसी सहयोग के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग का फायदा दोनों देशों को मिलेगा।

नाइजीरिया ने उम्मीद जताई है कि उपराष्ट्रपति की नाइजीरिया यात्रा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग को गति देने में सहायक बनेगी।

◆ नाइजीरिया में भारत से निवेश की व्यापक संभावनाएं देख रहा है।

◆ यहां टाटा समूह, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो, बिरला सीमेंट, रैनबैक्सी, एस्सार समेत सौ से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं।

◆ केवल फार्मा सेक्टर में ही 33 भारतीय या भारत से जुड़ी कंपनियां यहां मौजूद हैं।

◆ करीब 18 करोड़ आबादी वाले नाइजीरिया में टेलीकॉम सेवा दे रही एयरटेल के तीन करोड़ ग्राहक हैं।

★नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कच्चा तेल (कूड) उत्पादक देश है। भारत कुल जरूरत का 12 फीसद कूड नाइजीरिया से आयात करता है।

11. भारत और नेपाल के संबंध हुए गतिशील; भारत ने नेपाल में समावेशी संविधान की वकालत

संदर्भ:- नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और द्विपक्षीय समझौते

★भारत का नेपाल के साथ करीबी रिश्ता रहा है लेकिन हाल के समय में चीन नेपाल पर अपना कुछ असर रखने की कोशिश में जुटा है। ओली ने चीन के साथ गहरा सहयोग विकसित करने का प्रयास किया था। नेपाल ने ओली के प्रधानमंत्री रहने के दौरान चीन के साथ परिवहन और पारगमन संधि की थी।

★नेपाल पिछले साल सितंबर में नये संविधान के अंगीकार करने के बाद से ही राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। करीब पांच महीने तक चले मधेसी आंदोलन के चलते भारत के साथ लगते प्रमुख व्यापारिक मार्ग बंद हो गए थे और नेपाल में जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत हो गयी थी। यह आर्थिक नाकेबंदी फरवरी में खत्म हुई थी। नेपाल ने मधेसी संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था जिससे भारत ने स्पष्ट इनकार किया था।

★ सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नेपाल ने भारत से कहा कि वह भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपने को इस्तेमाल नहीं होने देगा।

★ भारत ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री से कहा कि सभी वर्गों की आकांक्षाओं को समावेशित कर देश का संविधान लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उसने उसके बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण में सहयोग का वादा भी किया।

★ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के साथ सघन बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने तीन समझौतों पर दस्तखत किए।

1. उनमें से एक के तहत भारत नेपाल को भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के वास्ते 75 करोड़ डालर देगा और दूसरा तराई क्षेत्र में सड़कें बनाने से जुड़ा है। पिछले साल विनाशकारी भूकंप से नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी थी। ये फैसले काठमांडो पर अपना प्रभाव बढ़ाने की चीन की बढ़ती कोशिशों के बीच काफी अहम माने जा रहे हैं।

2. व्यापार बढ़ाने, रेल एवं सड़क संपर्क में सुधार लाने तथा नेपाल में भारत द्वारा लागू की जा रही बड़ी बुनियादी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने का फैसला किया।

3. भारत अगली ऋण सुविधा पर राजी हुआ है और उसने हिमालयी राष्ट्र के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 50,000 मकान बनाने के लिए दो लाख के बजाय तीन लाख रुपये देने के नेपाल के अनुरोध को मान लिया है।

★नये संविधान के कुछ प्रावधानों का मधेसी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर मधेसी भारतीय मूल के हैं। मधेसी कहते आ रहे हैं कि संविधान के कुछ प्रावधान उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिये पर डाल देंगे। कुछ

महीने पहले लंबे समय तक चले प्रदर्शन एवं आर्थिक नाकेबंदी के चलते नेपाल और भारत के बीच तनाव पैदा हो गया था।

#विस्तार से

- बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मोदी ने प्रचंड से कहा, 'आप नेपाल की शांति में उत्प्रेरक शक्ति रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके बुद्धिमतापूर्ण नेतृत्व में नेपाल आपके विविधतापूर्ण समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं का समावेशन करते हुए समग्र वार्ता के जरिए संविधान लागू करने में सफल होगा।'
- नेपाल कुछ महीने से असहज राजनीतिक परिवर्तन से जूझ रहा है। के पी शर्मा ओली ने नये संविधान के खिलाफ मधेसियों के विरोध के कारण उत्पन्न ताजे राजनीतिक उठापठक के चलते जुलाई में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
- भारत का मनना है कि बिल्कुल नजदीक पड़ोसी और दोस्ताना राष्ट्र होने के नाते नेपाल की शांति, स्थिरता और समृद्धि ही हमारा साक्षा उद्देश्य है। नेपाल की विकास यात्रा के हर कदम पर हमें आपके साझेदार होने का गर्व रहा है।'
- भारत नेपाल के साथ विकास साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। भारत नेपाल की जनता और सरकार की प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करेगा। भारत तराई सड़कों के दूसरे चरण, विद्युत पारेषण लाइनों, सबस्टेशनों, कास्की में पोलिटेकनिक जैसे नयी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधा देने पर राजी हो गया है।
- दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि नेपाल और भारत के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हैं तथा रक्षा एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच करीबी सहयोग जारी रहेगा। दोनों देशों के बीच खुली सीमा हमारे लोगों के बीच सहयोग एवं अंतर्संवाद का बड़ा मौका प्रदान करती है। लेकिन हमें उन तत्वों के खिलाफ चौकसी जारी रखने की जरूरत है जो इस सीमा का दुरुपयोग करना चाहते हैं।'
- खुले आसमान, सीमापार विद्युत व्यापार, पारगमन मार्ग, सीमापार कनेक्टिविटी की भारत की पहलों से निश्चित ही नेपाल को फायदा होगा तथा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी।
- दोनों देश वर्तमान पनबिजली परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और पारेषण लाइनों के विकास एवं क्रियाशील करने पर बल देने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि सभी विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिये कड़ी निगरानी पर सहमति बनी।
- नेपाल पर चीन के बढ़ते प्रभाव पर उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ भारत का रिश्ता अनूठा है और सभी पड़ोसियों का समान इतिहास और सांस्कृतिक संबंध नहीं रहा है। इस संबंध की अनोखी प्रकृति देखिए।
- दोनों देश अपने साझे बौद्ध धरोहरों को प्रदर्शित करने तथा आयुर्वेद एवं अन्य पारंपरिक उपचार पद्धतियों के विकास पर ध्यान देने पर सहमत हुए।

12. दक्षिणी चीन सागर में नौवहन स्वतंत्रता का भारत ने किया समर्थन

रणनीतिक दक्षिण चीन सागर (एससीएस) क्षेत्र में चीन की जोर अजमाइश के बीच से वहां से गुजरने वाले समुद्री लेन को वैश्विक व्यापार के लिए मुख्य मार्ग करार देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून का पूर्ण सम्मान किए जाने पर बल दिया।

- दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने 11वें पूर्व एशिया सम्मेलन (ईएएस) में अपने संबोधन में कहा कि मुद्दे के हल के लिए ताकत की धमकी या इस्तेमाल से मामला जटिल हो जाएगा और शांति एवं स्थायित्व पर असर पड़ेगा।

- मोदी की लाओस में उनके समकक्ष थॉंगलोउन सिसोउलिथ के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यह मुद्दा उठा था और दोनों देशों का दक्षिण चीन सागर पर समान रुख था।

- भारत मानता है कि दक्षिण चीन सागर में आवागमन के समुद्री लेन वैश्विक व्यापार के मुख्य मार्ग हैं तथा विवादों के समाधान के लिए ताकत की धमकी या इस्तेमाल से मामला बिगड़ेगा एवं शांति एवं स्थायित्व पर असर पड़ेगा।

★ 'भारत अंतरराष्ट्रीय कानून, जो खास तौर पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि में परिलक्षित है, के आधार पर नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।'

★ बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा के समाधान में भारत का अपना इतिहास उदाहरण के रूप में काम आ सकता है।

★ भारत का बयान ऐसे समय में आया है जब विवादास्पद दक्षिण चीन सागर में चीन की जोर अजमाइश चल रही है और क्षेत्रीय चुनौतियां उभर रही हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय स्वामित्व को लेकर फिलीपिन, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया और ब्रूनेई के साथ विवाद में उलझा हुआ है। यह एक ऐसा जलमार्ग है जहां से भारत का आधा व्यापार होता है।

★ पहले भी दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के न्यौते पर गए भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्खनन पर चीन एतराज कर चुका है। समझा जाता है कि दक्षिण चीन सागर में तेल एवं गैस के भंडार हैं।



★भारत और अमेरिका अंतरराष्ट्रीय जल में आवागमन की स्वतंत्रता का आह्वान करते रहे हैं जो चीन के लिए असहज करने जैसा है। दक्षिण चीन सागर पर उसके दावे को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फिलीपिन के पक्ष में खारिज कर दिया था।

★ भारत समुद्री संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण क्षरण के रोकथाम और समुद्री अर्थव्यवस्था के दोहन में अपने अनुभव साझा करते हुए साझेदारी कर सकता है।

- भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देशों को साझा सुरक्षा चुनौतियों पर चौकस रहने की जरूरत है और उसके लिए भारत इसी साल समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग पर दूसरा ईएस का आयोजन करेगा। प्राकृतिक आपदाओं को मुख्य चिंता बताते हुए प्रधानमंत्री ने समेकित पहलों और कार्रवाई तैयार करने में भारत के सहयोग की घोषणा की।

Asean Summit में फिलीपीन्स ने पेश किए सबूत, साउथ चाइना सी पर दबाव में आया चीन

समिट के दौरान फिलीपीन्स ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के अवैध तरीके से कब्जे के सबूत पेश किए। वहीं जापान ने भी कहा कि चीन लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे वह चिंता में है।

Argument of Philippines

- समिट के दौरान फिलीपीन्स के रक्षा विभाग ने कहा कि हम साउथ चाइना सी में चीन की मौजूदगी और गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। ये गतिविधियां परेशान करने वाली हैं।
- फिलीपीन्स की ओर से प्रस्तुत तस्वीरों में दिखाया गया कि चीन क्षेत्र में अपने पोतों की तैनातगी कर रहा है।

Concern of Japan

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आसियान लीडर्स से कहा कि साउथ चाइना सी में चीन जिस तरह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, जापान उससे चिंतित है। आबे ने कहा कि ईस्ट और साउथ चाइना सी में एकपक्षीय तरीके से हालिया स्थिति को बदलने की कोशिशों से मैं काफी चिंतित हूं।

What china said:

चीन ने फिलीपीन्स के दावों को खारिज कर दिया है। चीन का कहना है कि दक्षिणी चीन सागर विवाद को लेकर फिलीपीन्स जानबूझकर झूठ फैला रहा है। वहीं सुरक्षा जानकारों का मानना है कि फिलीपीन्स द्वारा स्कारबॉरो शोल में चीन के अवैध आइलैंड के निर्माण का दावा काफी अहम भूमिका निभा सकता है।

=>क्यों है इस क्षेत्र को लेकर विवाद

★चीन दक्षिण चीन सागर में 12 समुद्री मील इलाके पर हक जताता है। इस इलाके को 12 नॉटिकल मील टेरिटोरियल लिमिट कहते हैं। ये इलाका दक्षिण चीन सागर में बने आर्टिफिशियल आइसलैंड के आसपास का ही है।

★चीन के अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश (ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया) भी इस इलाके पर अपना दावा जताते हैं। पिछले महीने बराक ओबामा के साथ मीटिंग में शी जिनपिंग ने कहा था कि वे इस इलाके में मिलिट्री तैनात नहीं करना चाहते। हालांकि, अमरीका को लगता है कि चीन यहां मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा रहा है। इसलिए वह इस इलाके में आवाजाही कर रहा है।

=>साउथ चाइना सी में तेल और गैस के कई बड़े भंडार:-

★साउथ चाइना सी में तेल और गैस के कई बड़े भंडार दबे हुए हैं। अमरीका के मुताबिक, इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है।

★इस समुद्री रास्ते से हर साल 7 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस होता है।

★ चीन ने 2013 के आखिर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर पानी में डूबे रीफ एरिया को आर्टिफिशियल आईसलैंड में बदल दिया था।

12. ASEAN सम्मेलन में हिस्सा लेने लाओस पहुंचे पीएम मोदी

- 14वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 11वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को लाओस पहुंच गए। सम्मेलन के दौरान एजेंडे में नौवहन सुरक्षा, आतंकवाद, आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग जैसे मसले होंगे।
- विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विषय भी पीएम मोदी के एजेंडे में होंगे। भारत दक्षिण एशियाई देशों के साथ भौतिक और डिजिटल सम्पर्क बढ़ाने और आधुनिक एवं एक दूसरे से जुड़ी दुनिया का उपयोग आपसी फायदे के लिए करने को इच्छुक है।
- हमारी एकट ईस्ट नीति के संदर्भ में आसियान महत्वपूर्ण साझेदार है और यह हमारे उत्तरपूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इस दौरान उनके एजेंडा में नौवहन सुरक्षा, आतंकवाद, आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय होंगे।
- आसियान के साथ हमारी सामरिक साझेदारी हमारे सुरक्षा हितों और क्षेत्र में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों एवं अवसरों के बारे में चर्चा करने को प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध सही अथरे में ऐतिहासिक हैं। हमारे जुड़ाव एवं पहल को एक शब्द से व्यक्त किया जा सकता है और वह 'कनेक्टिविटी' है।
- हम अपनी भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के बीच वृहत सम्पर्क बढ़ाने के साथ अपने संस्थागत संबंधों को मजबूती प्रदान करना और एक दूसरे से जुड़ी आधुनिक दुनिया का लाभ हमारे अपने लोगों के साझे फायदे के लिए करना चाहते हैं।
- - दोनों शिखर सम्मेलन निर्धारित है। इन शिखर सम्मेलनों में आसियान के 10 राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख और पूर्वी एशियाई सम्मेलन में 18 देश हिस्सा ले रहे हैं। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के नेता अनेक क्षेत्रीय, अंतरराष्ट्रीय हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे जिसमें नौवहन सुरक्षा, आतंकवाद, परमाणु अप्रसार और पलायन जैसे विषय शामिल होंगे।

13. इराकी कुर्दिस्तान में वाणिज्यिक दूतावास खोलकर भारत ने एक तीर से कई शिकार किए हैं

भारत का इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल में वाणिज्य दूतावास खोलना अस्थिरता से जूझ रहे पश्चिमी एशिया के साथ इसके कूटनीतिक संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह फैसला लंबे समय से अटका रहा. चिंता यह थी कि भारत के इरबिल में वाणिज्य दूतावास खोलने को इस अर्धस्वायत्त क्षेत्र की आजादी की महत्वाकांक्षाओं को उसकी कूटनीतिक मान्यता के तौर पर देखा जाएगा.

- नई दिल्ली का यह कदम न सिर्फ स्वागतयोग्य है बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि उसे बदलती हकीकतों के साथ बदलने में ही भलाई है, यह अहसास हो चुका है.
- पहली हकीकत यह है कि इराकी कुर्दिस्तान आर्थिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र है जो लाखों भारतीयों को रोजगार और कई भारतीय कंपनियों को अवसर देता है.
- दूसरा, भले ही तेल बेचने का इसका फैसला बगदाद में बैठी सरकार के साथ इसके टकराव का सबब बन रहा हो, लेकिन यह भी सच है कि इस इलाके के ऊर्जा संसाधन भारत के दीर्घकालिक हित में हैं.
- तीसरी और आखिरी बात यह है कि इराकी कुर्दिस्तान इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वैश्विक अभियान की बुनियाद है और इस्लामिक स्टेट की विदाई के लंबे समय के बाद भी वह अल कायदा जैसे दूसरे जिहादी संगठनों से निपटने की दिशा में भारत का अहम साझीदार रहेगा.
- इसलिए इरबिल में वाणिज्य दूतावास की मौजूदगी अहम है. यह भारत के लिए उन संस्थाओं और समूहों के साथ संवाद के दरवाजे खोलेगी जो इसके दीर्घकालिक आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिहाज से अहम हैं. यह एक ऐसा पहलू है जो जातीय और क्षेत्रीय खाइयों के चलते अस्थिरता से जूझ रहे इराक की संप्रभुता का सम्मान करने की जिद्दी हठ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है.
- इरबिल में भारत को अपनी कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज करने में इतना समय लग गया, इससे एक बड़ी समस्या का भी संकेत मिलता है. यह बताता है कि अपने पश्चिम में बसे इस इलाके, जिससे उसके इतने बड़े आर्थिक और ऊर्जा हित जुड़े हैं, के साथ संवाद का पुल बनाए रखने के लिए भारत के पास संसाधनों की कितनी कमी है.
- भारत की खुफिया सेवाओं और सेना में पश्चिम एशिया की भाषाओं और इस इलाके की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का टोटा है. यही हाल विदेश मंत्रालय का भी है. मोसुल में भारतीय कामगारों के अपहरण के बाद भारत अधर में लटक गया था. वह बगदाद और इस्तांबुल में बैठे अविश्वसनीय वार्ताकारों पर निर्भर था. बड़े संकटों के नुकसान भी बड़े होते हैं. इसलिए जरूरत इस बात की है कि संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने की दिशा में व्यापक कार्यक्रम चलाकर ये कमियां दूर की जाएं.
- कई दशक तक भारत यह मानकर चलता रहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में व्यवस्था बनाकर रखेगा. इसके चलते यहां एक के बाद एक तानाशाह पैदा हुए. अब यह मानकर भी चला नहीं जा सकता क्योंकि यह महाशक्ति अब ऊर्जा के लिए पश्चिम एशिया पर पहले से कहीं कम निर्भर है. भविष्य


में चीन और भारत को यहां अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए और कोशिशें करने की जरूरत महसूस हो सकती है. उस अनिश्चित भविष्य के लिए तैयारियां शुरू करने का समय आ चुका



National Issues

1. बच्चों की मौत मामले में भारत की स्थिति सबसे खराब

- आर्थिक विकास के तमाम दावों के बावजूद भारत बच्चों की मृत्यु रोकने के मामले में नाकाम साबित हो रहा है। वर्ष 2015 में पांच साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा बच्चों की मौत भारत में हुई है।
- ब्रिटिश पत्रिका लैनसेट में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में 13 लाख से अधिक बच्चे अपना पांचवां जन्मदिन नहीं मना सके। इसके अलावा सुरक्षित मातृत्व के मामले में भी देश का प्रदर्शन खराब है।
- इस सिलसिले में बांग्लादेश ने जहां बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं भारत और नेपाल अपनी स्थिति सुधारने में नाकाम साबित हुए हैं। इसके अलावा भारत में हृदय रोग से मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
- हालांकि, लकवे से निपटने में भारत और पाकिस्तान ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी तरह बांग्लादेश और नेपाल ने सांसें के हल्के संक्रमण का मुकाबला बेहतर ढंग से किया है।



रिपोर्ट में कहा गया है कि किडनी की बीमारी से मौत का पहले जो आकलन किया गया था, असल में स्थिति उससे ज्यादा गंभीर है। चीन, भारत व रूस की बड़ी आबादी किडनी की बीमारियों से ग्रसित है और यह लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है।

GENERAL STUDIES HINDI

2. ग्लोबल हंगर इंडेक्स: भुखमरी के मामले में भारत का हाल श्रीलंका और नेपाल से भी गया गुजरा

सन्दर्भ :- दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने वाला भारत 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' में शामिल कुल 118 देशों की सूची में 97वें पायदान पर है भुखमरी के मामले में भारत का हाल श्रीलंका और नेपाल से भी गया गुजरा है



-> विश्व की चमकती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत भुखमरी के लिहाज से सबसे गरीब देशों के साथ खड़ा दिखता है.

-> ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में भारत कुल 118 देशों की सूची में 97वें पायदान पर है. अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक के जरिए अलग-अलग देशों में भुखमरी की स्थिति का आकलन किया जाता है.

-> इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में भुखमरी की स्थिति काफी गंभीर है. इस सूचकांक में शामिल देशों को शून्य से लेकर 100 के बीच का स्कोर दिया गया है. 100 की संख्या भुखमरी के मामले में सबसे बदतर स्थिति को दिखाती है.

- सूचकांक में भारत का स्कोर 28.5 है. उसके पड़ोसी श्रीलंका और नेपाल तक उससे बेहतर स्थिति में हैं. दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन सूचकांक में 29वें, नेपाल 72वें, म्यांमार 75वें, श्रीलंका 84वें और बांग्लादेश 90वें पायदान पर हैं.

- पड़ोसी देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो भारत से नीचे 107वें पायदान पर है.

- सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में अर्जेंटीना, बोस्निया, हर्जगोविना, बेलारूस और ब्राजील शामिल हैं.

- सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, जांबिया और हैती इस सूचकांक में सबसे निचली पांत में हैं.

3. भारत का हेल्थ सेक्टर खुद बीमार, कौन करेगा उपचार

भारत उन देशों में शामिल है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने GDP का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं। भारत Health Sector पर GDP का सिर्फ 1.16 प्रतिशत हिस्सा खर्च करता है। चीन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने GDP का 3 प्रतिशत और ब्राजील 4 प्रतिशत से ज्यादा खर्च करता है।

- World Health Organization के मुताबिक सभी देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर GDP का पांच फीसदी हिस्सा खर्च करना चाहिये।
- 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर का Ratio कायम रखने के लिए भारत को 2020 तक 4 लाख डॉक्टरों की जरूरत होगी।
- भारत में 1 हजार लोगों पर सिर्फ 1.6 Hospital Beds उपलब्ध हैं यानी एक हजार लोगों पर दो से भी कम बेड।

=>भारत में मानवीय विकास का विश्लेषण

- भारत भले ही G20 देशों में, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो...लेकिन G20 के दूसरे सदस्य देशों की तरह, यहां के Living Standards का मुकाबला करने के लिए भारत को अभी लंबी दूरी तय करनी है। Human Development Index की रैंकिंग से ये पता चलता है, कि किसी देश में लोगों का जीवन कैसा है ? इसके लिए अपेक्षाएं, शिक्षा और Per Capita Income जैसी बातों का विश्लेषण किया जाता है...
- United Nations Development Programme ने वर्ष 2015 में, जो Global Human Development Index जारी किया था, उसमें भारत दुनिया के 188 देशों की लिस्ट में 130वें स्थान पर था।

Human Development Index तीन मुख्य बातों पर आधारित होता है, पहला आधार है... आयु और स्वस्थ जीवन, दूसरा आधार है शिक्षा और ज्ञान की पहुंच और तीसरा आधार है जीवन का स्तर।

- इस लिस्ट में नॉर्वे पहले स्थान पर है...जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है।

- G20 में शामिल 20 देशों की रैंकिंग का विश्लेषण करने पर ये पता चलता है कि Human Development Index में इन बीस देशों में भारत आखिरी नंबर पर है।

★यहां हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, कि भारत की जनसंख्या काफी ज़्यादा है...और अगर आबादी बढ़ी होगी, तो जीवन का स्तर अच्छा नहीं होगा और उसे सुधारने में भी मुश्किलें आएंगी... नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने वाले भारत की चुनौतियां ज़रा दूजी किस्म की हैं.. फिर भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द Human Development Index में भी भारत की रैंकिंग सुधरेगी।

4. निजी अस्पताल कर देते हैं सिजेरियन

चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के साथ ही मातृत्व मृत्युदर में भी सुधार हुआ लेकिन सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में प्रसव के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।दिल्ली सरकार के जन्म पंजीकरण के आंकड़ों के मुताबिक:

- निजी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों के मुकाबले ऑपरेशन (सिजेरियन) करके प्रसव अधिक कराया जाता है।
- शहरी क्षेत्र के निजी अस्पतालों में तो 48.50 फीसद बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से पैदा हुए।
- जबकि सरकारी अस्पतालों में 82 से 85 फीसद सामान्य प्रसव कराया जाता है।

- शहरी क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में 18.01 फीसद बच्चों का जन्म ही ऑपरेशन से हुआ।
 - वहीं निजी अस्पतालों में 48.50 फीसद बच्चों का जन्म ऑपरेशन करके किया गया।
- यह आंकड़े बताते हैं कि निजी अस्पतालों में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है।

क्या है कारण :

- बड़ा कारण यह है कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर व्यावसायिक हित को ध्यान में रखकर पैसे के लिए सिजेरियन डिलीवरी कराना अधिक पसंद करते हैं।
- इसके अलावा लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। बड़े निजी अस्पतालों में संपन्न परिवारों की गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए पहुंचती हैं।
- पढ़ी-लिखी व पेशेवर महिलाएं भी प्रसव पीड़ा से बचने के लिए सिजेरियन डिलीवरी का चयन करने लगी हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि ज्यादातर मामलों में निजी अस्पतालों का व्यावसायिक हित अधिक हावी रहता है।

केन और बेतवा नदियां जुड़ेंगी

- उत्तर प्रदेश से निकलने वाली केन और मध्य प्रदेश से निकलने वाली बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जाएगा
- इससे पूरे बुंदेलखंड को पानी दिया जाएगा।
- इससे दोनों राज्यों की छह लाख हेक्टेयर कृषि भूमि इस योजना से सिंचित होगी

5. PDS : देशभर में 2.62 करोड़ फर्जी राशन कार्ड आए सामने

- केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार आधार कार्ड लिंक किए जाने से देशभर में 2.62 करोड़ फर्जी राशन कार्ड सामने आए हैं। इन्हें खत्म कर दिया गया है।

- अभी तक आधार कार्ड से राशन कार्डों को लिंक करने का 66 फीसद कार्य पूरा हुआ है।

2018 तक इस कार्य को शत प्रतिशत कर लिया जाएगा।

**

लिंग जांच विज्ञापनों पर search engines रोक लगाए

SC ने online search engines को हिदायत देते हुए कहा की वो समाज के हित में बाध्य है की वो लिंग परिक्षण के online दिखने वाले विज्ञापनों पर ban लगाए

लिंग जांच कानून क्या है?
कहीं आप कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं ?

सरकार ने लिंग जांच रोकने के उद्देश्य से गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 कानून बनाया है जिसे हम पीसीपीएनडीटी एक्ट कहते हैं

इस कानून के अन्तर्गत गर्भ में पल रहा भ्रूण, लड़का है या लड़की, ये जानना कानूनन अपराध है।

विक्रियक एवं विक्रिसालयों से संबंधित पीसीपीएनडीटी कानून के तहत अपराध

- विक्रियक का पंजीकरण कराये बिना सोनोग्राफी मशीन का इस्तेमाल करना।
- गर्भ में पल रहे लिंग के लिंग चयन व निषेधन की जानकारी देना।
- गर्भवती महिला से संबंधित जानकारी एवं रिकार्ड का स्वतंत्र रखाव न करना।
- लिंग जांच व लिंग चयन से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन देने पर उसे 3 साल की जेल और 10 लाख/- से अधिक का जुर्माना हो सकता है।

पीसीपीएनडीटी कानून के तहत अपराध

- गर्भवती महिला को लिंग जांच व लिंग चयन करवाने के लिए प्रेरित करना अथवा उस पर दबाव बनाने वाला व्यक्ति।

कानून के तहत दण्ड प्रावधान

- कोई भी व्यक्ति, तकनीकी विशेषज्ञ, विक्रियक, अल्ट्रासाउण्ड संचारक अथवा तकनीकी सहयोगी गर्भधारण पूर्व अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग चयन/जांच करता/करती है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और 50,000 से 10,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

<http://gshindi.com>

Page 64 / 123

उनको एक निश्चित समयानुसार "doctrine of auto block" के तहत यह जल्दी ही लागू कर देना चाहिए
क्या है लिंग जांच क़ानून

पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 'पीएनडीटी' एक्ट 1996, के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है।

**

6. इस्राइल ने सुझाया उपाय, जिससे सुलझ सकता है दशकों पुराना कावेरी विवाद" (माइक्रो ड्रिप इरिगेशन)

पिछले कई सालों से कर्नाटक और तमिलनाडु, कावेरी के पानी को लेकर आमने सामने हैं. दशकों से चला आ रहा यह विवाद तब और गंभीर हो गया जब इस साल कर्नाटक में मॉनसून में भारी कमी देखी गई.

लेकिन इसके साथ ही जानकारों ने यह चिंता भी जताई है कि बारिश में लगातार कमी के बावजूद इन राज्यों में उन फसलों को उगाया जा रहा है जिसमें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है.

गौरतलब है कि कर्नाटक में गन्ना उगाया जाता है, वहीं तमिलनाडु में धान के खेत हैं. दोनों में ही पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है. पिछले चालीस सालों में जौ उगाना किसानों ने लगभग बंद कर दिया है. राज्य सरकार ने अपनी ओर से किसानों को नकदी फसल उगाने के प्रति जागरूक करने की कोई कोशिश नहीं की है.

हालांकि हाल ही में बेंगलुरु में हुए एक कार्यक्रम में इस्राइल ने इस संकट से निपटने का एक तरीका सुझाया है. "Open a door to Israel" नाम के इस सम्मेलन में इस्राइल के वाणिज्य दूतावास ने दिखाया कि किस तरह 'माइक्रो ड्रिप इरिगेशन' के माध्यम से इस देश ने सिंचाई में पानी की खपत को 50 प्रतिशत तक कम किया है.

इज़राइलियों का दावा है कि इस तकनीक को उपजाऊ बनाने के तरीके से जोड़कर गन्ने की उपज 133 प्रतिशत बढ़ सकती है।

=>> इस्राइल ने तकनीक और सिंचाई की बात STUDIES HINDI

इस्राइल को उसकी बंजर ज़मीन के लिए जाना जाता था लेकिन उसने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. अब इस देश का दावा है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा पानी है.

ड्रिप सिंचाई, खराब पानी की रिसाइक्लिंग और समुद्र के पानी से नमक हटाने की तकनीक से यह मुमकिन हो सका है. वैसे इन सभी तकनीकों को पैराग्वे और अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे सूखाग्रस्त इलाकों में भी अपनाया गया है.

इस्राइल की सरकार का कहना है कि उन्होंने जल संरक्षण योजना में भारत सरकार को मदद देने का प्रस्ताव दे दिया है. वह स्थापित श्रेष्ठ केंद्रों के ज़रिए इस क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.

★अगर आप अपने खेत को लबालब कर देंगे तो इससे काफी पानी बर्बाद होगा. लेकिन अगर खेत में सिर्फ उतना ही पानी रिसाया जाए जितनी उस फसल को जरूरत है तो बात बन सकती है. यह प्रक्रिया काफी गुणकारी है और दुनिया भर में सफल भी है.

★इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़े. तमिलनाडु में बारिश की कमी की वजह से पानी की भारी मार है और कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में काफी हिंसक प्रदर्शन हुए. ऐसा अनुमान है कि कर्नाटक में सिंचाई के लिए कावेरी के पानी का 65 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने के आदेश के बाद कर्नाटक में कई जगहों पर विरोध ने हिंसक रूप ले लिया जहां लोगों ने 'हम अपना खून देंगे, कावेरी का पानी नहीं' जैसे नारे लगाए.

**

7. भूजल प्रदूषण, अंधाधुंध दोहन गंभीर चुनौती, सरकार ने सुधार के लिए कसर कसी

भूजल पर सिंचाई, ग्रामीण एवं शहरी पेयजल आवश्यकताओं के लिए उसके अंधाधुंध दोहन के कारण उत्पन्न गंभीर चुनौती के बीच सरकार ने इससे निपटने के लिए

1. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को आगे बढ़ाने,
2. राष्ट्रीय भूजल सुधार कार्यक्रम,
3. समग्र जल सुरक्षा के लिए उसे मनरेगा से जोड़ने,
4. जल क्रांति और अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने की पहल की है।

Grownwater situation in India:

- जल संसाधन पर एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्यतः भूजल स्वच्छ होता है लेकिन देश के विभिन्न भागों से भूजनित एवं मानव जनित प्रदूषण की सूचनाओं की भी पुष्टि हुई है।
- देश के स्तर पर बात करें तो 10 राज्यों के 89 जिलों में भूजल आर्सेनिक से प्रभावित है। इसी प्रकार से 20 राज्यों के 317 जिले भूजल में फ्लोराइड से प्रभावित हैं। 21 राज्यों के 387 जिले भूजल में नाइट्रेट से और 26 राज्यों के 302 जिले लौह तत्वों से संदूषित पाये गए हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भूजल पर सिंचाई की आवश्यकता की 60 प्रतिशत, ग्रामीण पेयजल आवश्यकताओं की 85 प्रतिशत और शहरी जल आवश्यकताओं की 50 प्रतिशत निर्भरता है। विगत 40 वर्षों में कुल सिंचाई क्षेत्र की वृद्धि में भूजल का योगदान 80 प्रतिशत से अधिक है। जीडीपी में इसका लगभग 9 प्रतिशत योगदान है।

- वर्ष 1975 से खाद्य और फाइबर की पैदावार के लिए भारतीय कृषि विश्व में भूजल के सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप सामने आई है। ऐसे में भूजल के स्थायित्व की स्थिति भविष्य की बड़ी चुनौती है।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय भूजल सुधार कार्यक्रम, समग्र जल सुरक्षा के लिए उसे मनरेगा से जोड़ने, जल क्रांति और अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने की पहल की गई है।

रिपोर्ट में भूजल प्रबंधन की मुख्य चुनौतियाँ हैं-

1. तीव्र एवं अधिक भूजल की निकासी,
2. कृषि के लिए जल का अकुशल उपयोग,
3. विशेष रूप से कठोर चट्टानों में भूजल स्रोतों का स्थायित्व,
4. अपर्याप्त विनियामक तंत्र
5. केंद्र एवं राज्य स्तर पर कर्मचारियों की कमी वाले भूजल संस्थान,
6. भूजल के सामुदायिक प्रबंधन के लिए जल प्रयोक्ता संगठनों का न होना तथा
7. भूजल गुणवत्ता में गिरावट आदि बताये गए हैं।
 - भूजल दोहन और प्रबंधन कार्य नीति के तहत रिपोर्ट में कहा गया है कि भूजल के नये और अब तक अप्रयुक्त स्रोतों का दोहन, भूजल स्रोतों के संवर्धन के लिए व्यापक पुनर्भरण, जल निकायों के स्थायित्व और पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए जल निकायों के संरक्षण के माध्यम से वर्षा जल संचयन, चेक बांध, फार्म तालाब का निर्माण, प्राकृतिक वनों, पवित्र उपवनों, अक्षय खांचे का संरक्षण आदि के माध्यम से जल संचयन शामिल हैं।
 - भूजल के स्तर में लगातार गिरावट आने और देश के 20 राज्यों के दो करोड़ लोगों के जल विषाक्तता से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त होने की खबरों के बीच सरकार से स्वच्छ भारत अभियान के तहत फ्लोराइड, आर्सेनिक विषाक्तता से निदान की दिशा में प्रभावी पहल की मांग की गई है।
 - फ्लोराइड नॉलेज एंड एक्शन नेटवर्क एवं वाटर पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, देश के विभिन्न इलाकों में लोगों के फ्लोरोसिस एवं अन्य जल विषाक्तता से जुड़ी बीमारी से ग्रस्त होने की रिपोर्ट आई है। फ्लोराइड और उसके प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की गंभीरता की जानकारी सामने आए सात-आठ दशक बीत जाने के बाद भी न तो कोई प्रभावी कार्यवाही और न ही इसके निदान के लिए कोई ठोस कार्यक्रम जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं।
 - जल क्षेत्र से जुड़ी संस्था सहस्त्रधारा के एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में हर साल 230 घन किलोलीटर पानी धरती से खींचा जाता है और इसका 60 प्रतिशत उपयोग खेती में सिंचाई के लिए और 40 प्रतिशत पेयजल के लिए होता है।
 - एक तरफ जल के पारंपरिक स्रोत जैसे कुएं, पोखर आदि ग्रामीण इलाकों से खत्म होते जा रहे हैं और दूसरी ओर शहरों में कई सौ किलोमीटर दूर से पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जा रहा है। नदियों के पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं, पर उनका दोहन जारी है।

8. अरविंद सुब्रमण्यम समिति के दलहन समस्या से सम्बंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपी

Background

दलहन उत्पादन को बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में सरकार ने समिति गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट हाल ही में सरकार को सौंपी है।

समिति के मुख्य सुझाव :

- **MSP बढ़ाए** :कमेटी के मुताबिक तुअर दाल का एमएसपी मौजूदा 52 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो किया जाना चाहिए। इसी तरह उड़द की दाल का एमएसपी 60 रुपए प्रति किलो और चना का एमएसपी 40 रुपए प्रति किलो किया जाना चाहिए। कमेटी का साफ कहना है कि अगर दाल की कीमतों का एमएसपी बढ़ाया जाता है तो इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी।

Pulse Of The Nation
A Government Committee Suggested Deep Reforms To Address Pulses Shortages

MSP AND PROCUREMENT		IN THE LONG TERM	
ARVIND Subramanian panel wants procurement on war footing	NEW AGENCIES under PPP to handle procurement	Increase in productivity and production	No bans on exports or ad hoc controls
HIGH LEVEL committee to monitor purchases	₹10,000 CRORE more for procurement	Take pulses out of APMC	More research on pulses, GM option
2 MILLION TONNE buffer stock to be build gradually	HIGHER MSPS to encourage pulses cultivation	Change in the way MSP calculated	

- **Procurement** :कमेटी ने दालों की सरकारी खरीद की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सिफारिश की है। कमेटी का कहना है कि वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सचिव की एक कमेटी बनाई जाए, जो इस पर लगातार नजर रखे। ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दालों की खरीद जमीन पर भी हो रही है।
- दालों की सरकारी खरीद की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा 20 लाख टन दाल स्टोर करने की क्षमता भी तैयार की जानी चाहिए। कमेटी का ये भी मानना है कि किसानों को दलहन के उत्पादन पर दस से पंद्रह रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जानी चाहिए। दालों के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगे प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।
- दालों के आयात पर प्रतिबंध को पूरी तरह से खत्म करने की भी बात कही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इस बात को भी स्वीकार किया कि पिछले कुछ दिनों में दालों के होलसेल कीमतों में

काफी कमी आई है, लेकिन खुदरा बाजार में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इस दिशा में सरकार को काम करने की जरूरत है।

- चूंकि आयात का विकल्प सीमित है, अतः हमें घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- समिति ने दालो पर रिसर्च का भी जोरदार समर्थन किया और GM technology को अपनाने की बात भी कही

**

9. सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रदर्शन का पहला वार्षिक आकलन: स्वास्थ्य संकेतकों में भारत कोमोरोस एवं घाना से भी नीचे

कई स्वास्थ्य संकेतकों पर किए गए एक वैश्विक अध्ययन के नतीजों में भारत को 188 देशों में 143वें पायदान पर रखा गया है। जारी किए गए अध्ययन के नतीजों में मृत्यु दर, मलेरिया, साफ-सफाई और वायु प्रदूषण सहित कई चुनौतियां भी गिनाई गई हैं।

- सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रदर्शन के पहले वार्षिक आकलन से जुड़ी अध्ययन रिपोर्ट प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका 'लैंसेट' में प्रकाशित और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पेश की गई। इसमें कहा गया, 'तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत को 143वें पायदान पर रखा गया है और वह कोमोरोस एवं घाना जैसे देशों से भी नीचे है।'

- हालांकि, भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आगे रहा। पाकिस्तान को 149वें जबकि बांग्लादेश को 151वें पायदान पर रखा गया।
- साफ-सफाई, वायु प्रदूषण, मृत्यु दर जैसे मामलों में भारत का खराब प्रदर्शन इसे भूटान, बोत्सवाना, सीरिया और श्रीलंका जैसे देशों से भी नीचे ले गया है।
- जिन स्वास्थ्य संकेतकों का आकलन किया गया उनमें मलेरिया भी शामिल है। इस मामले में भारत को महज 10 अंक हासिल हुए यानी देश का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसी तरह, साफ-सफाई के मामले में भारत को महज आठ अंक और पीएम-2.5 के मामले में सिर्फ 18 अंक मिले।
- पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में भारत को 39 अंक मिले जबकि मातृ मृत्यु दर के मामले में इसे 28 अंक हासिल हुए
- बहरहाल, भारत का प्रदर्शन उपेक्षित मौसमी बीमारियों (एनटीडी) की रोकथाम के मामले में अच्छा रहा और उसे 80 से ज्यादा अंक मिले।
- उपेक्षित मौसमी बीमारियां, संक्रामक रोगों, हृद से ज्यादा वजन और शराब के नुकसानदेह उपभोग के विविध समूह हैं। साल 2015 में स्वास्थ्य संबंधी एसडीजी सूचकांक आइसलैंड, सिंगापुर और स्वीडन में सबसे ऊंचा था और फिनलैंड को चौथे एवं ब्रिटेन को पांचवें पायदान पर रखा गया था।

10. विश्व स्तर पर प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है हिन्दी

हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है और जितना अधिक हम हिंदी और प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में करेंगे, उतनी ही तेज गति से भारत का विकास होगा।

★ भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। हिंदी जन साधारण द्वारा बोली जाने वाली एक सरल भाषा है। हिंदी पुरातन भी है और आधुनिक भी। इसी विशेषता के कारण हिंदी को भारत की राजभाषा का सम्मान प्राप्त है।

★ आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी का महत्व और भी बढ़ गया है। हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज विदेशों में अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

★ जितना अधिक हम हिंदी और प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में करेंगे, उतनी तेज गति से भारत का विकास होगा।

★ हिंदी भारतवर्ष की विविधता में एकता का भी प्रतीक है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, सी. राजगोपालाचारी जैसे महापुरुषों ने हिंदी को भारत की संपर्क भाषा के रूप में अपनाकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी।

★ हिंदी भारतीयता की चेतना है तथा सभी प्रांतीय भाषाओं की संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है। हिंदी और भारतीय प्रांतीय भाषाओं के साहित्य के परस्पर अनुवाद को हमें बढ़ावा देना होगा।

★ हिंदी और भारतीय प्रांतीय भाषाओं के साहित्य के परस्पर अनुवाद को बढ़ावा देने से हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं में संबंध और गहरा होगा।

★ लोगों को एक दूसरे के ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होगा। भारत में लोग जब यह समझेंगे कि हमारा अतीत और वर्तमान और हमारा साहित्य और संस्कृति एक है, तब राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत होगी।

★ भारत सरकार द्वारा विकास योजनार्य तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

★ इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं।

★ विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कार्यरत है।

★सरकार द्वारा हिंदी में अच्छे कार्य के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत शील्ड प्रदान की जाती है। हिंदी में लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार का प्रावधान है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार पुरस्कार प्रदान करती है। इन प्रोत्साहन योजनाओं से हिंदी के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

★ हिन्दी की शक्ति और क्षमता से हम भली-भांति परिचित हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है।

**

11. ऑनर किलिंग और राजनीतिक हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है

देश में परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर हत्या (ऑनर किलिंग) के मामले बढ़ गए हैं। 2014 और 2015 के बीच देश भर में इनकी संख्या में करीब सात गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2015 के आंकड़ों के अनुसार 2014 में ऑनर किलिंग के 28 मामले सामने आए थे, जो 2015 में बढ़कर 251 हो गए। ऑनर किलिंग के सबसे ज्यादा 168 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। इसके बाद गुजरात में 25 और मध्य प्रदेश में 14 मामले सामने आए।
- ऑनर किलिंग के 192 मामलों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 के तहत और 59 मामलों को धारा-304 (आपराधिक मानव वध) के तहत दर्ज किया गया। 2014 में ऑनर किलिंग के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर था। इसके बाद पंजाब और महाराष्ट्र थे।
- दिलचस्प बात यह है कि 2014 में ऑनर किलिंग के मामलों में दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों के नाम नहीं थे। लेकिन 2015 में ऐसा नहीं हुआ। केरल में ऐसे पांच, आंध्र प्रदेश में दो और तमिलनाडु व तेलंगाना में एक-एक मामले सामने आए हैं। एनसीआरबी ने 2014 से ऑनर किलिंग के मामलों को हत्या के मामलों से अलग करके दर्ज करना शुरू किया है।
- 2015 में प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों की वजह से क्रमशः 1,379 और 1,568 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश और गुजरात प्रेम संबंधों के चलते हत्या के मामले में सबसे ऊपर रहे। 2015 में इस वजह से उत्तर प्रदेश में 383 और गुजरात में 122 लोग मारे गए। बिहार में प्रेम संबंधों की वजह से 140 लोगों की हत्या हुई। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर ऑनर किलिंग का एक भी मामला सामने नहीं आया।
- एनसीआरबी के मुताबिक 2015 में देश में हत्या की कुल 32,127 घटनाएं हुईं। इनमें 56 लोगों को जातीय और 27 लोगों को सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाया गया। राजनीतिक कारणों से कुल 96 लोगों की हत्या हुई। इसमें भी उत्तर प्रदेश ही सबसे ऊपर रहा। यहां कुल 28 लोग मारे गए। इसके बाद झारखंड में 15, केरल में 12, मध्य प्रदेश में 10 और कर्नाटक में आठ लोग मारे गए। एनसीआरबी के मुताबिक 135 लोगों की हत्या जादू-टोने के मामले में हुई जबकि 24 बच्चों को मानव बलि का शिकार बनाया गया।

Note :- एनसीआरबी के आंकड़ों पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। तमाम आकलनों में कहा गया है कि राज्य सरकारें कानून-व्यवस्था में अपने प्रदर्शन को बेहतर दिखाने के लिए मामलों को दर्ज करने से परहेज करती हैं।

**

12. मध्यप्रदेश का रेप के मामलों में देश में नंबर वन स्थान

★नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2015 के आंकड़े जारी हो गए हैं। हर बार की तरह रिपोर्ट में दिखाया गया है कि देश में हर क्षेत्र में अपराध बढ़े हैं।

★ बच्चों से लेकर महिलाएं और आम इनसान, कोई सुरक्षित नहीं है। न सड़क पर सुरक्षा की गारंटी है, न ऑफिस में कोई भरोसा करने लायक बचा है।

★बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बावजूद देश में बेटियां और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाजा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2015 की ताजा रिपोर्ट से लगाई जा सकती है जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले साल 34 हजार से भी अधिक दुष्कर्म के मामले दर्ज किये गये।

★एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुष्कर्म की 34,651 वारदातें हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4391 वारदातें बालिका हितैषी योजनाओं के कारण पहचान बना चुके मध्यप्रदेश में हुई। इसी अवधि में महाराष्ट्र में 4,144, राजस्थान में 3,644, उत्तर प्रदेश में 3,025 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए।

★एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2014 के मुकाबले 2015 में दुष्कर्म की घटनाओं में कमी देखनी को मिली है।

★जहां 2015 में 34651 दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज की गयी वहीं 2014 में यह आंकड़ा 36735 था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 4437 मामले ऐसे दर्ज किये गये हैं जिनमें दुष्कर्म करने की कोशिश की गई।

★अपराधों में राजधानी दिल्ली जहां पहले नंबर पर है वहीं दूसरे नंबर पर मुंबई है। जहां अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां सायबर अपराध 50 फीसदी बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

- देश में लक्ष्यद्वीप ऐसा राज्य (केंद्र शासित) है, जहां न तो दुष्कर्म का कोई मामला दर्ज हुआ और न दुष्कर्म के प्रयास का ही।

*

13. दुनिया में नशीली दवाओं के उत्पादक देशों में भारत का नाम भी

दुनिया में नशीली दवाओं के उत्पादक देशों में 21 देशों के साथ भारत का नाम भी शामिल है। अमेरिका ने नशीली दवाओं के उत्पादक देशों की सूची जारी की है।

- इस सूची में शामिल अन्य देशों में अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलीविया, म्यांमार, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती,

हॉंदुरास, जमैका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, पेरू और वेनीजुएला शामिल हैं।

- इस संबंध में जारी अधिसूचना में बोलीविया, म्यांमार और वेनीजुएला को उन देशों में बताया है जो पिछले 12 महीनों में ऐसी नशीलीदवाओं की रोकथाम से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाने और उनके खिलाफ पहल करने में स्पष्ट रूप से नाकाम रहे।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति बन रही है कि नशीली दवा रोधी कार्यक्रम तैयार होने चाहिए और इनका क्रियान्वयन स्वास्थ्य में सुधार और लोगों की सुरक्षा के साथ साथ हिंसा और समाज को होने वाले अन्य दुष्परिणामों को रोकने तथा कम करने के उद्देश्य से करना चाहिए।
- अमेरिका में हेरोइन में सस्ते कृत्रिम ओपियाॅड विशेष तौर पर फेंटानिल ज्यादा से ज्यादा मिलाया जा रहा है। शोध से पता चलता है कि फेंटानिल और इससे जुड़ी दवाएं हेरोइन से 25-50 गुना अधिक असरदार हो सकती हैं।

14. कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी पर छिड़ी सियासी जंग

दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरा विश्वयुद्ध जल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए ही लड़ा जाएगा। वर्ष 1992 से सन 2000 तक वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर Ismail Sera-geldin ने कहा था कि 21वीं सदी में युद्ध पानी पर अधिकार जमाने के लिए लड़े जाएंगे, पेट्रोल और तेल के कुओं के लिए नहीं। इस दौर में ये बात बिलकुल सही साबित हो रही है।

इस समय दुनिया के कई देश पानी को लेकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जबकि भारत के दो राज्यों... यानी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी को लेकर राजनीतिक युद्ध चल रहा है।

Background:

- कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वो अगले 10 दिनों तक हर रोज कावेरी नदी से 15 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है।
- कर्नाटक सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने का फैसला किया है.. जिसके बाद कावेरी बेसिन में आने वाले इलाके मैसूर और मंड्या में हिंसक प्रदर्शनों की आशंका

Why demand by Tamil Nadu

तमिलनाडु ने अपने किसानों द्वारा उगाई जा रही सांबा यानी धान की फसल को बचाने के लिए 20 हजार क्यूसेक पानी की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक को Live and Let Live यानी जिओ और जीने दो के सिद्धांत का पालन करने की सलाह दी थी।

तमिलनाडु का कहना है कि उसने कावेरी नदी के किनारे पर 3 लाख एकड़ यानी करीब 12 हजार वर्ग किलोमीटर ज़मीन को कृषि के लिए विकसित किया है। इसलिए तमिलनाडु की कावेरी नदी पर निर्भरता काफी ज्यादा है।

Views of Karnataka

- कर्नाटक का कहना है कि कावेरी नदी को लेकर पहले जितने भी समझौते हुए हैं..उनमें कर्नाटक का हक मारा गया है।
- कर्नाटक के कई राजनीतिक दलों, किसानों और संगठनों का कहना है कि तमिलनाडु को पानी देने उनके राज्य में पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा और कृषि के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा। जबकि तमिलनाडु के किसान 15 हजार क्यूसेक पानी को भी कम बता रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि इस पानी के इस्तेमाल से वो अपनी सांबा यानी धान की फसल को बचा नहीं पाएंगे.. उन्हें ज्यादा पानी की ज़रूरत है।
- कर्नाटक सरकार का तर्क है कि तमिलनाडु को इतना पानी देने के बाद राज्य में लोगों के पास पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं बचेगा।
- कर्नाटक के सरकारी विभाग का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के चमराज नगर..मैसूर..मंड्या..हसन और बेंगलुरु इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी।

History of dispute

दरअसल, कावेरी नदी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच का ये विवाद करीब 135 साल पुराना है। फिलहाल यह समझना जरूरी है कि कैसे जिंदगी देने वाला पानी लड़ाई झगड़े की वजह बन जाता है और लोगों की जान लेने लगता है।

कावेरी नदी का उदगम कर्नाटक के कोडागु में होता है...802 किलोमीटर लंबी ये नदी तमिलनाडु के 44 हजार वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक के 32 हजार वर्ग किलोमीटर इलाके से होकर गुज़रती है।



Basic problem of water:

- दुनिया भर में पानी की इतनी किल्लत है कि कोई भी राज्य और कोई भी देश अपने हिस्से का पानी किसी और को नहीं देना चाहता। यही वजह है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगला विश्वयुद्ध पानी को लेकर हो सकता है।
- इस वक़्त दुनिया के 120 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है।

- दुनिया के हर 6 लोगों में से एक पानी के गंभीर संकट से गुज़र रहा है दुनिया में 43 देशों के 70 करोड़ लोग पानी की भयानक कमी से जूझ रहे हैं।
- दुनिया भर में भू-जल के 20% भंडार पूरी तरह सूखने की स्थिति में हैं। अनुमान है कि 2025 तक दुनिया में 180 करोड़ लोगों के पास पानी नहीं होगा।
- World Economic Forum ने जल संकट को दुनिया के 10 बड़े खतरों में जगह दी है।
- ये भी चिंता का विषय है कि दुनिया की 86 फीसदी से ज़्यादा बीमारियों की वजह दूषित पानी है।

Problem world over:

- इराक और सीरिया में ISIS के खिलाफ चल रहा चल रहा युद्ध भी जलसंकट की देन माना जाता है।
- 2011 में सीरिया में भयंकर सूखा पड़ा था और लोगों ने अपने अपने इलाकों से शहरों की तरफ पलायन शुरू कर दिया था।
- सूखे और बदहाली से परेशान लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे और धीरे धीरे ये प्रदर्शन गृहयुद्ध में बदल गया जिसने बाद में सीरिया में ISIS को जन्म दिया।

History of Kavery dispute:

- कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद करीब 135 वर्ष पुराना है।
- भारत में ब्रिटिश राज के वक्त कर्नाटक princely state of mysore के तहत आता था जबकि तमिलनाडु मद्रास presidency का हिस्सा था
- कावेरी नदी को लेकर 1892 में princely state of mysore और मद्रास presidency के बीच एक समझौता हुआ।
- 1910 में मैसूर के राजा नलवडी कृष्णराजा वोडियर ने चीफ इंजीनियर Sir. M.Visves-Varaya के साथ मिलकर कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव दिया...जिसे मद्रास ने ठुकरा दिया।
- इसके बाद 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर एक समझौता हुआ..जिसका पालन दोनों राज्य कुछ वर्षों तक करते रहे।
- 1956 में भारत के राज्यों को पुनर्गठित किया गया इस पुनर्गठन के दौरान..तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी का नक्शा बदल गया।
- इसके बाद कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी आमने सामने आ गए।
- विवाद को देखते हुए 1970 कावेरी Fact Finding कमेटी बनाई गई..तमिलनाडु ने बड़े कृषि क्षेत्रों का हवाला दिया और ज्यादा पानी मांगा..जबकि कर्नाटक ने ब्रिटिश काल में बनाई गई योजनाओं को इसके लिए दोषी ठहराया।
- ज्यादा बड़ा कृषि क्षेत्र होने की वजह से तमिलनाडु अपने लिए ज्यादा पानी मांग रहा था..लेकिन कर्नाटक इसके लिए तैयार नहीं था।
- विवाद का हल ना निकलने पर 1990 में कावेरी Water Disputes Tribunal की स्थापना की गई।

- Tribunal ने 16 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद..2007 में अपना फैसला सुनाया। Tribunal ने दोनों राज्यों के बीच 1892 और 1924 में हुए समझौतों को सही पाया।

Awards by Tribunal::

- Tribunal ने कावेरी नदी का 58 प्रतिशत पानी तमिलनाडु को 37 प्रतिशत पानी कर्नाटक को... 4 प्रतिशत केरल को और 1 प्रतिशत पुदुचेरी को देने का फैसला सुनाया था। लेकिन इस फैसले को पूरी तरह मानने के लिए कभी भी कोई राज्य तैयार नहीं हुआ।

Why this dispute after tribunal award:

- जब कभी दक्षिण भारत के इन इलाकों में मॉनसून की बारिश अच्छी नहीं होती है...तो इन राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद बढ़ जाता है।
- पिछले 20 वर्षों में कई बार सुप्रीम कोर्ट और कावेरी Supervisory Committee को विवाद सुलझाने के लिए दखल देना पड़ा है।

Water situation in India

- पानी के क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ी Consulting Firm EA Water की एक स्टडी के मुताबिक 2025 तक भारत, पानी की भयानक कमी वाला देश बन जाएगा।
- जमीन से पानी निकालने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है। इसी वजह से भारत का ground water level तेज़ी से कम हो रहा है।
- दुनिया के जल संकट वाले 20 बड़े शहरों में भारत के 5 शहरों के नाम शामिल हैं। ये शहर हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद।
- सरकार ने माना है कि देश के करीब 3 लाख गांवों में पीने के पानी की सप्लाई नहीं है। करीब 66 हजार गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी काफी दूषित है।
- 2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण भारत में पीने के पानी तक सिर्फ 35 फीसदी ग्रामीण आबादी की पहुंच ही है। करीब 22 फीसदी ग्रामीण परिवारों को पानी लेने के लिए एक किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है।
- भारत के 9 राज्य यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु... गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं।

Other River dispute in India:

- 1969 में गोदावरी नदी के जल बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश और ओडिशा आमने-सामने आ गए थे। 1969 में ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी को लेकर लड़ाई चली।
- 1969 से लेकर 1979 तक नर्मदा नदी को लेकर गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान एक दूसरे से टकराते रहे।
- 1986 में हरियाणा और पंजाब, रावी और ब्यास नदी के जल बंटवारे के विवाद को लेकर पहली बार ट्राइब्यूनल पहुंचे, लेकिन ये विवाद आज तक नहीं सुलझा है।

- कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच अब भी कानूनी लड़ाई चल रही है।
- वंसधारा नदी के जल बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा को भी ट्राइब्यूनल जाना पड़ा।
- - इसी तरह गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच महादेवी नदी को लेकर विवाद चल रहा है।

River dispute in other parts of the world:

- दुनिया में भी कई जगहों पर नदियों के जल बंटवारे को लेकर कई देश आमने-सामने हैं।
- 2011 में सीरिया के दारा शहर में युवाओं ने गवर्नर पर पानी के गलत बंटवारे के इल्जाम लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे।
- सीरियाई बॉर्डर पर टर्की की तरफ से बनाए जा रहे बांधों की वजह से आतंकी संगठन ISIS ने टर्की को कई बार धमकी दी थी
- ISIS का कहना है कि इससे रक्का शहर में मौजूद असद झील सूख रही है जो ISIS के लिए पानी का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसे लेकर ISIS ने कई बार टर्की से बदला लेने की धमकी भी दी है।
- चीन भी यांग्जे नदी पर कई बांध बना रहा है, जिससे चीन के पड़ोसी देश कंबोडिया और वियतनाम नाराज़ हैं।
- ताजिकिस्तान अमु नदी पर बांध बना रहा है जिससे उसका पड़ोसी देश उज़्बेकिस्तान नाराज़ है, उज़्बेकिस्तान ने ताजिकिस्तान के साथ संबंध तोड़ने की धमकी भी दी है।
- सिंधु नदी पर भारत की प्रस्तावित हाइड्रो परियोजनाएं पाकिस्तान से हज़म नहीं हो रहीं और वो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी शिकायत करता रहता है।
- जॉर्डन नदी, इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच चले आ रहे लंबे संघर्ष की गवाह रही है, दोनों देश इस नदी पर अपना अपना हक जताते रहे हैं।
- पानी का युद्ध भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रहा है।

**

15.सबको शिक्षा देने के लक्ष्य को हासिल करने में अभी 50 साल पीछे है भारत

कहते हैं, शिक्षा के बिना किसी भी देश का 'संपूर्ण विकास' संभव नहीं है। शिक्षा, को आप 'विकास या तरक्की' की मां भी कह सकते हैं। शिक्षा के बिना व्यक्ति ना तो अपना विकास कर सकता है, और ना ही देश और समाज का कल्याण कर सकता है। और आज मुझे आपको ये जानकारी देते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, कि सबको शिक्षा दिए जाने के लक्ष्य को हासिल करने में भारत फिलहाल 50 साल पीछे है। देश के हर वर्ग को चिंता में डालने वाली ये बात, यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट में कही गई है।

क्या है रिपोर्ट में

- रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत को वर्ष 2030 तक सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक बदलाव लाने पड़ेंगे

- ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट कहती है, कि वर्तमान रुझानों के आधार पर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के लक्ष्य को हासिल करने में भारत, करीब आधी सदी यानी 50 साल पीछे रहेगा
- रिपोर्ट के मुताबिक, भारत वर्ष 2050 में प्राइमरी एजुकेशन, वर्ष 2060 में लोवर सेकेंड्री एजुकेशन और वर्ष 2085 में अपर सेकेंड्री एजुकेशन का लक्ष्य हासिल कर पाएगा।
- रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है, कि भारत में 6 करोड़ से ज्यादा बच्चों को बहुत कम या बिल्कुल भी औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती। जबकि देश में 1 करोड़ 11 लाख बच्चे लोवर सेकेंड्री एजुकेशन यानी निम्न माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले काफी ज्यादा है।
- ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, कि भारत को शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।

-यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्ड के तहत दूसरे उद्देश्य के तौर पर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का लक्ष्य रखा गया था जिसका मकसद वर्ष 2015 तक दुनिया के हर बच्चे को प्राइमरी स्कूलिंग तक शिक्षा देना था।

-ये लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में बदलाव लाकर, इसका नाम सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास का लक्ष्य रख दिया।

-जिसके तहत वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को हासिल करना है।

-सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत यूनाइटेड नेशंस का एक उद्देश्य ये भी है कि सबको उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए।

16. भारत में शिक्षा के हालात का गंभीर विश्लेषण

★ अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है 'Teaching is the one profession that creates all other professions' यानी शिक्षा देना ही इकलौता ऐसा काम है जो बाकी सभी तरह के पेशों को जन्म देता है। यानी शिक्षकों के बिना किसी भी सभ्य और समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हम ये समझना चाहते हैं कि देश के भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों का वर्तमान कैसा है? वो कैसे हालात में शिक्षा देने जैसा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं? उन्हें इस काम के बदले में क्या मिलता है? और भारत में शिक्षक बन जाना, घर चलाने की गारंटी क्यों नहीं माना जाता? अक्सर हम भारत में शिक्षा के हालात पर बात करते हैं लेकिन आज हम पूरी व्यवस्था को शिक्षकों की नज़र से देखेंगे।

- भारत में इस वक्त करीब 3 लाख 74 हजार शिक्षकों की कमी है और इस कमी का खामियाजा सिर्फ छात्रों को नहीं बल्कि शिक्षकों को भी भुगतना पड़ता है क्योंकि इससे मौजूदा शिक्षकों पर बोझ पड़ता है और शिक्षा की गुणवत्ता खराब होती है।

- 2013 से 2014 के दौरान की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत के 2 लाख 57 हजार 680 स्कूलों में शौचालय नहीं थे। स्कूल में शौचालय का अभाव सिर्फ छात्रों के लिए नहीं शिक्षकों के लिए भी परेशानी की वजह बनता है।
- भारत में एक ट्रेड टीचर की औसत सैलरी 50 हजार रुपये प्रति महीना है लेकिन देश के कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों को 2 हजार रुपये से लेकर 8 हजार रुपये प्रति महीने तक की सैलरी दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि इतनी कम सैलरी में बच्चों को शिक्षा देना कितना मुश्किल काम होता होगा
- बिहार में एड-हॉक पर काम करने वाले शिक्षकों को 5 हजार रुपये प्रति महीना मिलते हैं। इन शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों की तरह दूसरी सुविधाएं नहीं दी जातीं। कई बार ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि जितने पैसों के लिए शिक्षकों से साइन करवाए जाते हैं असलियत में उन्हें उतने पैसे नहीं मिलते। वैसे भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम सैलरी पाते हैं।

-लक्जमबर्ग में एक टीचर की औसत मासिक सैलरी 5 लाख 50 हजार रुपये हैं।

-इसी तरह जर्मनी में एक शिक्षक प्रति महीने 3 लाख 66 हजार रुपये कमा लेता है।

-कनाडा में ये औसत 3 लाख 50 हजार रुपये प्रति महीने का है।

-जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक टीचर महीने में औसतन 3 लाख रुपये की सैलरी लेता है।

- भारत अपने एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता है लेकिन हमारा सिस्टम ना तो स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना पा रहा है और ना ही शिक्षकों को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। हमारे देश में सेना में भर्ती होने वाले एक सिपाही को करीब 21 हजार रुपये, एक किसान को करीब 6 हजार 426 रुपये और एक शिक्षक को करीब 20 हजार 250 रुपये प्रति महीने सैलरी के तौर पर मिलते हैं।
- आप कह सकते हैं कि देश को भोजन, सुरक्षा और शिक्षा देने वाले किसान, सेना के जवान और शिक्षकों को वो हक नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। हमारे देश में अक्सर जय जवान और जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, शिक्षक को भगवान माना जाता है लेकिन हम इन तीनों को ही इनका हक नहीं दे पाते हैं
- जब से शिक्षा का बाजारीकरण शुरू हुआ है। शिक्षा का स्तर गिरा है। बहुत सारे लोग अब इसे भारत निर्माण से जुड़ा पेशा मानने के बजाय अपनी जेबें गर्म करने वाला पेशा मानने लगे हैं। ब्लैक बोर्ड को ब्लैक चेक की तरह इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों पर सवाल जरूर उठाने चाहिए लेकिन एक सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए कि क्या हम उन शिक्षकों को वो सम्मान दे पाते हैं जो सबकुछ छोड़कर देश के निर्माण में जुटे रहते हैं।

- सरकार द्वारा किए गए एक औचक निरीक्षण में पता लगा कि देश के सरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत शिक्षक अनुपस्थित थे जबकि सिर्फ आधे ही शिक्षक की कक्षाओं में पढ़ा रहे थे। शिक्षकों की क्लास बंद करने की आदत से देश को हर साल 9 हजार 968 करोड़ रुपये का नुकसान होता है
- एक बड़ी समस्या ये भी है कि भारत में शिक्षकों को अक्सर दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अक्सर जनगणना, चुनावों की इ्यूटी, मिड डे मील और पोलियो मिशन जैसे कामों में लगा दिया जाता है जिससे ना सिर्फ छात्रों का नुकसान होता है बल्कि पाठ्यक्रम पूरा कराने का दबाव भी शिक्षकों पर भी पड़ता है।
- यहां हमें ये भी समझना होगा कि भारत अपने शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में पिछड़ता जा रहा है। शिक्षकों के साथ कई बार छात्रों के माता पिता ठीक व्यवहार नहीं करते। बच्चे की खराब प्रदर्शन का सारा दोष शिक्षकों पर मढ़ देते हैं।
- आम तौर पर भारत में शिक्षकों की नौकरी को आराम की नौकरी माना जाता है लेकिन असलियत में शिक्षक बहुत दबाव में काम करते हैं और उन्हें सिर्फ थोड़ा सा सम्मान चाहिए होता है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। आपको बताते हैं कि शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में दुनिया के बाकी देशों की क्या स्थिति है।
- ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स के मुताबिक शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में चीन सबसे आगे है। चीन में 75 प्रतिशत छात्र अपने शिक्षकों की इज्जत करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं।
- चीन में अध्यापक की नौकरी को डॉक्टर की नौकरी जैसा दर्जा हासिल है
- चीन, टर्की, साउथ कोरिया और इजिप्ट में सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं उनके बच्चे बड़े होकर शिक्षक बनें।
- इस सर्वे में भारत को शामिल नहीं किया गया था इसलिए भारत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए हमें लगता है कि भारत में शिक्षकों को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। भारत वो देश रहा है जहां गुरुओं को हमेशा सम्मान दिया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत भारत में ही हुई थी।
- भारत में शिष्यों ने हमेशा गुरुओं को सम्मान दिया है, भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसे छात्र ने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को दे दिया था लेकिन अब ज़माना बदल गया है। गुरु दक्षिणा जैसे शब्द को रिश्वत से जोड़ दिया गया है अब छात्र शिक्षकों को अंगूठा काटकर देने की बजाय अंगूठा दिखा देते हैं और सिर्फ छात्र ही नहीं कई बार सिस्टम भी शिक्षकों को अंगूठा दिखाता है।
- एक वक्त था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था यानी शिक्षा की जो किरण भारत से निकलती थी वो पूरी दुनिया को रौशन करती थीं। हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही गुरुओं के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया। सबसे पहला नाम है 5वीं सदी ईसा पूर्व में पैदा हुए सिद्धार्थ जिन्होंने अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान की तलाश शुरू की और बाद में भगवान बुद्ध

कहलाए. उन्होंने कहा था कि सत्य की खोज में प्रश्न पूछने चाहिए और उत्तर की तलाश में भटकने से संकोच नहीं करना चाहिए।

- चाणक्य एक ऐसे ही शिक्षक थे जिन्होंने राजनीति और अर्थ शास्त्र के मायने बदल दिए। उन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया और विचार को व्यवहार में बदलने की शिक्षा दी। तीसरी सदी में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की और शिक्षा देने के लिए कहानियों का उपयोग किया। विष्णु शर्मा ने शिक्षा के ज़रिए तीन राजकुमारों को, योग्य प्रशासक के रूप में तब्दील कर दिया था।
- पांचवी सदी में आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ऐतिहासिक खोजें कीं। आर्यभट्ट ने ही दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया। भारत को विश्वगुरु बनाने में आर्यभट्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी। सातवीं सदी में आदि शंकराचार्य ने देश में शास्त्रार्थ की परंपरा शुरू की। उन्होंने जीवन में तर्क को सबसे ऊंचा दर्जा दिया और सत्य की खोज करने वालों के लिए 4 पीठों की स्थापना की
- 14वीं सदी में पैदा हुए कबीर भी एक ऐसे ही शिक्षक थे जिन्होंने सरल दोहों के माध्यम से समाज की बुराईयों पर कटाक्ष किया और लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की शिक्षा दी। ये वो गुरु हैं जिन्होंने भारत वर्ष का निर्माण किया। भारत को नई दिशा दी। इन सभी महापुरुषों का जीवन आधुनिक शिक्षकों के लिए एक संदेश है क्योंकि शिक्षा के माध्यम चाहे जितने भी आधुनिक हो जाएं शिक्षा की मूल भावना हमेशा एक ही रहती है। लेकिन आपको ये जानकर अफसोस होगा कि जैसे जैसे भारत आधुनिक हो रहा है, वैसे-वैसे भारत में शिक्षकों की भूमिका को छोटा करके आंका जाने लगा है।

GENERAL STUDIES HINDI

Editorials (English News Papers)

1. ब्रिक्स से चीन के हित सधते हैं पर, क्या भारत के बारे में भी यह कहा जा सकता है?

IndianExpress (द इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय)

सन्दर्भ :- भारत के नीति नियंताओं को गंभीरता से यह सोचने की जरूरत है कि वे ब्रिक्स से क्या हासिल करना चाहते हैं.

★ आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जब अलग-अलग देशों के नेता गोवा में मिल रहे हैं तो भारत के विदेश नीति नियंताओं को गंभीरता से यह सोचने की जरूरत है कि वे सबसे अजब इस वैश्विक गठबंधन से क्या हासिल करना चाहते हैं.

Background:

ब्रिक्स गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओ नील का विचार था जो 2001 में अस्तित्व में आया. जिम का मानना था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन- जिसमें बाद में दक्षिण अफ्रीका भी जोड़ दिया गया- की तरक्की की रफ्तार विकसित देशों से ज्यादा होगी और इसलिए उन्हें अपने हितों के लिए अपना गठबंधन बनाना चाहिए.

International Institutions and Brics

ऐसा ही हुआ है. ब्राजील, रूस और भारत जी-7 देशों में सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाले इटली के पास आ गए हैं जबकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. फिर भी जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की बात आती है तो वहां यूरोप और अमेरिका का ही दबदबा है.

★ ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक मंदी से दुनिया को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है. उनके खाते में नव विकास बैंक (एनडीबी) की स्थापना जैसी कुछ ठोस उपलब्धियां भी दर्ज हो चुकी हैं.

◆ इस सबके बावजूद यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अहम मसलों पर ब्रिक्स देश एक सुर में बोलेंगे. ब्रिक्स समक्षों को अपने संबोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत है. लेकिन इसी मुद्दे पर ब्रिक्स देशों में काफी मतभेद दिख जाता है.

◆ चीन अपने अहम सहयोगी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा जबकि रूस को अमेरिका की नीयत पर विश्वास नहीं है. दरारें और भी हैं. ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार हो.

◆ चीन का रुख इसके उलट है. चीन चाहता है कि ब्रिक्स देशों में मुक्त व्यापार का विस्तार हो जबकि बाकी ऐसा नहीं चाहते. छोटे-छोटे मुद्दों तक पर हाल यही है. कुछ समय पहले जब परंपरा को तोड़ते हुए आईएमएफ के लिए एक गैर यूरोपीय मुखिया के चयन की बात आई तो भी ब्रिक्स देशों में एकराय नहीं बन सकी.

★आगे समस्याएं बढ़ने ही वाली हैं क्योंकि चीन की आर्थिक प्रगति को देखते हुए ब्रिक्स के उसके प्रभुत्व वाले एक गठबंधन के रूप में सिमट जाने की संभावना है. चीन का 'नॉमिनल जीडीपी' अब बाकी सदस्य देशों के कुल योग से भी ज्यादा है.

★एनडीबी भी इसलिए ही वजूद में आया कि वह चीन के विराट एजेंडे के अनुकूल है. चीन को लगता है कि यह बैंक मध्य एशिया और इससे आगे के बाजारों को उसके उद्योगों से जोड़ने वाले सड़क और रेल मार्ग बनाने में मदद करेगा.

★एनडीबी उन लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के लिए भी एक विकल्प होगा जो अब आईएमएफ और विश्व बैंक के दबाव का सामना कर रहे हैं और चीन ही है जो इसका सबसे ज्यादा उठाने की स्थिति में है.


★गोवा में ब्रिक्स के नेता बराबरी के दर्जे के साथ बात करेंगे लेकिन यह सबको पता है कि ब्रिक्स की गाड़ी चीनरूपी इंजन के सहारे ही आगे बढ़ सकती है. क्या इससे भारत के भी हित सधते हैं? अगर हां तो कैसे, सवाल यह है.

Reference:- <http://indianexpress.com/article/opinion/editorials/brics-summit-indias-foreign-policy-brazil-russia-china-south-africa-3083229/>

2. ग्लोबल वार्मिंग को रोकना अकेले भारत की जिम्मेदारी नहीं है (The Hindu)

सन्दर्भ:- अमीर देशों को समझना होगा कि पेरिस या किगाली जैसे समझौते तभी प्रभावी होंगे जब वे विकासशील देशों को तकनीक देने में उदारता दिखाएँ।

- हालांकि इसे होने में सात साल लग गए फिर भी मॉन्ट्रियल संधि को सुधारने और ग्लोबल वार्मिंग में अहम भूमिका निभाने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) का उत्सर्जन बड़ी हद तक घटाने के लिए हुआ किगाली समझौता एक बड़ी उपलब्धि है.
- इस तरह के रसायनों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर और एयरकंडीशनर उद्योग में किया जाता है. इनका इस्तेमाल घटाने पर सहमति बनना कितना अहम है यह इससे भी साफ होता है कि वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक अगर इनका इस्तेमाल यूं ही चलता रहा तो इस सदी के आखिर तक दुनिया के औसत तापमान में आधे डिग्री की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है.



- जैसा कि पर्यावरण से जुड़ी दूसरी वार्ताओं के दौरान वह करता है, रवांडा में हुए इस समझौते के दौरान भी भारत ने अपने लिए इस मकसद के लिए तय समयावधि में ढील देने का दबाव बनाया.
- आखिर में इस पर सहमति बनी कि भारत 2028 से एचएफसी के इस्तेमाल पर रोक लगाना शुरू करेगा और 2047 तक इस रसायन के इस्तेमाल में कमी के लिए तय की गई अधिकतम सीमा तक पहुंच जाएगा.
- ब्रिक्स में उसके सहयोगियों चीन, ब्राजील और अफ्रीकी देशों के लिए यह आंकड़ा 2024 और 2045 है.
- हालांकि एक प्रशंसनीय कदम उठाते हुए भारत ने एचएफसी 23 के उत्पादकों को आदेश दे दिया है कि वे खुद इसके उत्पादन पर लगाम लगाएं और धीरे-धीरे इसे बंद कर दें.

★रेफ्रिजरेशन उद्योग में इस्तेमाल होने वाले इस रसायन का ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा योगदान है. भारत का यह फैसला बहुत अहम है क्योंकि यहां लोगों की आय बढ़ रही है और इसके साथ ही रेफ्रिजरेटर्स और एयरकंडीनशर्स की बिक्री भी जिससे एचएफसी का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है.

★मॉन्ट्रियल समझौते को लागू करते हुए भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि वह 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत तय अपने लक्ष्यों को नई और स्वच्छ तकनीकी से इस तरह कैसे जोड़े कि वैश्विक बाजार में दूसरे देशों से होड़ ले सके.

★इसके लिए उसे संबंधित उद्योगों को एचएफसी के हाइड्रोकार्बन, अमोनिया और कार्बन डाइ ऑक्साइड जैसे विकल्प जल्द से जल्द मुहैया करवाने होंगे और वह भी कम लागत पर.

★एक लिहाज से यह बदलाव भारत के लिए प्रगति की लंबी छलांग लगाने का भी मौका है. हालांकि मकसद आखिरकार पर्यावरण की सुरक्षा ही होना चाहिए.

★यह भी याद रखना जाना चाहिए कि ओजोन परत की रक्षा के लिए 1985 में हुए विएना समझौते (जो बात में मॉन्ट्रियल समझौते के जरिये लागू हुआ) के बाद बहस का एक लंबा दौर चला था. इस दौरान रेफ्रिजरेटर्स की पिछली पीढ़ी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बस के मुख्य उत्पादक इन रसायनों और ओजोन परत में हुए छेद के बीच किसी जुड़ाव की ही बात को ही खारिज करते रहे.

★लेकिन विज्ञान ने जनता और राजनीतिक वर्ग की राय बदली और इन रसायनों का उत्पादन बंद हुआ. इसी तरह पेरिस समझौते- जो किगाली समझौते से और मजबूत हुआ है- के बाद विकासशील देशों की विकसित देशों से यह उम्मीद ठीक ही है कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए स्वच्छ तकनीक देने में उनके साथ उदारता बरती जाए.

★ग्लोबल वार्मिंग के नतीजों को देखते हुए उन देशों को इस मदद के लिए बहस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जिनकी ऐतिहासिक रूप से यह समस्या पैदा करने में कोई भूमिका नहीं रही है.

**

[3. अब यूनीक आईडी से सभी जर्जों के काम पर नजर रखी जा सकेगी \(नेशनल ज्युडिशियल डाटा](#)

[गिड](#) Times of India: Editorial

- केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और 24 उच्च न्यायालयों सहित देश के सभी जजों को यूनीक आईडी उपलब्ध कराने जा रही है. इसके जरिए उच्चतम न्यायालय हरेक जज के कामकाज पर नजर रख सकेगा.
- किसी जज ने अपने करियर में कितने मामलों की सुनवाई की, कितनी बार टाली, कितने फैसले दिए, इसमें कितना वक्त लगा, आदि पूरी जानकारी उच्चतम न्यायालय को मिल सकेगी
- यह जानकारी जजों की यूनीक आईडी के साथ नेशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर रहेगी. अभी इस तरह की विशिष्ट जानकारी किसी केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है.
- एनजेडीजी पर उपलब्ध यह जानकारी आम जनता की पहुंच में भी रहेगी. केन्द्र अपनी ई-कोर्ट परियोजना के दूसरे चरण के तहत यह कवायद कर रहा है.
- इस परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी निगरानी रख रही है. केन्द्र ने इस व्यवस्था के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं.
- एनआईसी इसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है. इसका नाम केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) है. इस पर पूरी जानकारी उपलब्ध होगी.
- देश में इस वक्त निचली अदालतों में करीब 16 हजार जज हैं जबकि उच्च न्यायालयों (सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट) में यह संख्या लगभग 650 है. इन सभी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे सीआईएस पर अपनी यूनीक आईडी के तहत अपने फैसलों/मामलों आदि की जानकारी अपडेट करें या कराएं.
- अगर कभी किसी जज की अदालत में कोई नहीं हो सका तो उन्हें अपनी आईडी पर इसका कारण भी बताना होगा.
- अब तक अदालती फैसलों आदि की जानकारी अभी संबंधित न्यायालयों की वेबसाइट पर रहती है. लेकिन यह भी इस हिसाब से नहीं होती कि किस जज ने कितने फैसले दिए. यही नहीं, जजों के एक से दूसरी अदालत में तबादले के बाद या उच्च अदालतों में उनकी पदोन्नति के बाद उनके बारे में पिछली जानकारी मिलना भी खास मुश्किल होता है.
- ई-कोर्ट परियोजना के दूसरे चरण में देश के सभी न्यायाधीशों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे. ताकि वे अपील और मुकदमों की प्रति उसी पर देख सकें और निर्देश व फैसले भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ जारी कर सकें.
- अदालतों के कामकाज को पेपरलेस बनाने की दिशा में यह कवायद की जा रही है

**

4. पानी पर लगी यह आग देश को झुलसा रही है; समस्या के कारण और समाधान के सुझाव

सन्दर्भ- कावेरी जैसे विवादों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय जल आयोग बनना चाहिए. हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय

- पड़ोसी तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बार-बार अवहेलना करने के बाद आखिरकार कर्नाटक मान गया है. इससे पहले राज्य की विधानसभा ने कहा था कि पानी सिर्फ पीने के लिए छोड़ा जाएगा.

- अतीत में जब भी बरसात कम हुई है, इन दोनों राज्यों में इस तरह के विवाद होते रहे हैं.

- हर बार यह झगड़ा सितंबर में होता है जब तमिलनाडु में धान की फसल का समय होता है.

- 2002 में तमिलनाडु और कर्नाटक के

मुख्यमंत्रियों ने तब प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी से अनुरोध किया था कि वे इस मुद्दे में दखल देकर इसे सुलझाएं.

कावेरी नदी घाटी कावेरी और इसकी पांच सहायक नदियों हेमावती, भवानी, काबिनी और अमरावती से मिलकर बनती है.

- समस्या की जड़ यह है कि तमिलनाडु बहुत पहले से सिंचाई आधारित खेती करता रहा है और नदी के ऊपरी इलाके में स्थित कर्नाटक में यह काम बाद में शुरू हुआ.
- इस विवाद की जड़ें 19वीं सदी तक जाती हैं. तब मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर राज्य के बीच कावेरी को लेकर 1892 में एक समझौता हुआ था.
- इसी तरह का एक समझौता 1924 में हुआ. कर्नाटक बार-बार इन समझौतों की बात करता है. उसका आरोप है कि इनमें उसके साथ भेदभाव हुआ.
- आईएएस अधिकारी रहे एस गुहन ने एक किताब लिखी है. द कावेरी डिस्प्यूट : टुवाइस रिंकंसिलिएशन शीर्षक से लिखी इस किताब में कई अहम सुझाव दिए गए हैं. तमिलनाडु को कर्नाटक से लड़ते रहने के बजाय खुद को भी सुधारना चाहिए. जैसे कि वह अपनी

TROUBLED WATERS

TIMELINE OF THE CAUVERY WATER DISPUTE


1892: Madras Presidency and the princely state of Mysore **sign an agreement to share Cauvery water**

1924: Deal inked to **resolve dispute** over water-sharing

May 1990: Supreme Court directs Centre to constitute **Cauvery Water Disputes Tribunal**

Feb. 5, 2007: Tribunal announces **final award**

Feb. 12: Karnataka protests against **'biased' award**



WATER GUSHES OUT OF THE KALLANAI DAM BUILT OVER THE CAUVERY IN TIRUCHI, TAMIL NADU

May 13, 2014: Justice B.S. Chauhan **appointed new chairman of the Tribunal**

July 15: Tribunal to hear pending applications on the award **after a gap of 7 years**

सिंचाई व्यवस्था में सुधार करे, खेती का ढर्रा बदले, भूजल का संरक्षण करे और ऐसे इंतजाम भी करे कि बारिश का पानी बेकार न बह जाए.

- इस देश में यह समस्या सिर्फ कावेरी के पानी को लेकर नहीं है. उड़ीसा और छत्तीसगढ़ महानदी के पानी को लेकर झगड़ रहे हैं. दरअसल हमारे जल संकट की एक वजह हमारी गड़बड़ सिंचाई नीति भी है.
- इस देश में कई इलाके हैं जहां बारिश कम होती है लेकिन वहां सिंचाई की परियोजनाएं बस कागजों पर ही हैं. दूसरी समस्या यह है कि कई राज्यों में जल संसाधन निजी हाथों में दिए जा रहे हैं. इस सदी की शुरुआत में आंध्र प्रदेश ने अपना सिंचाई विकास निगम ही खत्म कर दिया.
- यह लोगों के लिए संदेश था कि अपना इंतजाम खुद करें. नतीजे में और बोरवैल खुदने लगे और भूजल स्तर गिरता चला गया जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ती गईं.
- साफ है कि केंद्रीय जल आयोग इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है. इसे खत्म करे इसकी जगह एक राष्ट्रीय जल आयोग बनाया जाना चाहिए.

**

5. चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का बहाव रोकना क्या भारत के लिए कूटनीतिक संदेश है?

सन्दर्भ :- सिंधु नदी जल समझौते पर भारत के सख्त रुख के बाद आशंका जाहिर की गई थी कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को बाधित करने की कोशिश कर सकता है

- पाकिस्तान के 'सदाबहार' मित्र चीन ने अपनी सबसे महंगी पनबिजली परियोजना - लाल्हो के निर्माण के लिए तिब्बत स्थित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी शियाबुकू में पानी का बहाव रोक दिया है. इस फैसले से भारत में ब्रह्मपुत्र का बहाव प्रभावित होने की आशंका है.
- शियाबुकू नदी पर बन रही लाल्हो परियोजना में 74 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया है. इस परियोजना के अंतर्गत चीन के शिगाजे क्षेत्र में काम चल रहा है. यह क्षेत्र सिक्किम से लगा हुआ है.
- ब्रह्मपुत्र यहीं से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है. इस परियोजना की शुरुआत जून, 2014 में हुई थी और 2019 तक इसके पूरा हो जाने की बात कही गई है.

=> चीन की सफाई, भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे

- चीन के द्वारा नदियों के बहाव में छेड़छाड़ करना कोई नई बात नहीं है. पिछले साल ही चीन ने ब्रह्मपुत्र पर निर्मित जाम पनबिजली स्टेशन का संचालन शुरू किया है, जिसे लेकर भारत ने अपनी चिंता जाहिर की थी.
- यह तिब्बत में सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन है.
- हालांकि, चीन भारत की चिंताओं पर लगातार कहता रहा है कि परियोजना की वजह से भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे. उसने सफाई दी है कि बांध के निर्माण से नदी का बहाव प्रभावित नहीं

होगा. चीन ने अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्यधारा पर तीन और पनबिजली परियोजनाओं की मंजूरी दी है.

=>>> **क्या यह भारत के लिए कूटनीतिक संदेश है!**

- भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी. इसमें भारत ने संधि के प्रावधानों के तहत अपने हिस्से के अधिकतम पानी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है.
- इस फैसले से पाकिस्तान में सिंधु नदी के जलप्रवाह में कमी आने की संभावना है. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ऐसी आशंका जाहिर की गई थी कि चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में बाधा उत्पन्न कर सकता है.
- हालांकि लाल्को परियोजना का निर्माण दो साल से चल रहा है लेकिन चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का प्रवाह इस समय रोके जाने को सिंधु नदी जल समझौते पर भारत के रुख के खिलाफ कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है.

6. भारत में दवा नियमन:- दवाओं पर नजर रखने वाली व्यवस्था को खुद दवा की जरूरत है

#The_Economics_Times की संपादकीय

भारत में दवाओं को मंजूरी देने और उनके कारोबार पर नजर रखने की जो व्यवस्था है उसका होना न होना बराबर है. रैनबैक्सी के घोटाले को दुनिया के सामने लाने वाले और स्वास्थ्य कार्यकर्ता दिनेश ठाकुर की एक हालिया रिपोर्ट कुछ ऐसा ही संकेत करती है. इसके मुताबिक दवा उद्योग पर निगरानी रखने वाली व्यवस्था की कमियों और इसमें चल रही गड़बड़ियों को फौरन दुरुस्त करने की जरूरत है.

Problem in India:

- दवा कारोबार के नियमन की बात करें तो देश में यह व्यवस्था काफी बिखरी हुई है. हमारे यहां दवा उत्पादन का लाइसेंस देने वाली 36 इकाइयां हैं जो अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं. कोई भी उत्पादक एक राज्य से लाइसेंस लेकर अपनी दवा पूरे देश में बेच सकता है.
- अगर किसी दवा का कोई बैच निर्धारित से कम गुणवत्ता का (एनएसक्यू) हो तो इसके असर देश और इसके बाहर तक हो सकते हैं. रिपोर्ट में ऐसे कई अध्ययनों का हवाला दिया गया है जो कहते हैं कि देश में खरीदी जाने वाली दवाओं का 20 फीसदी या उससे ज्यादा हिस्सा ऐसा ही है.

Institutional mechanism that exist today:

- नियमित रूप से दवाओं के सैंपल लेना और उनकी जांच करना द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) और राज्य स्तर पर इस तरह की संस्थाओं का काम है.
- लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह काम अवैज्ञानिक और अपारदर्शी तरीके से किया जाता है. भारत में दुनिया की फार्मसी बनने की क्षमता है. लेकिन यही हालत रही तो ऐसा होना बहुत दूर की कौड़ी है.

What needs to be done:

इसलिए जरूरत इस बात की है कि नियमन और निगरानी की इस व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हो. ठाकुर की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी राज्य में दवा का कोई घटिया सैंपल मिलता है तो ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे देश भर से उस दवा का पूरा बैच वापस लिया जा सके.

- साफ है कि हमें एक ज्यादा केंद्रीय नियामक की जरूरत है .रिपोर्ट के लिए यह काम सीधे-सीधे ड्रग्स एंड कॉसमेटिक रूल 1945 को सुधार कर हो सकता है.
- इसमें यह भी कहा गया है कि एनएसक्यू का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाए ताकि उत्पादकों की विश्वसनीयता कभी भी जांची जा सके .रिपोर्ट के मुताबिक दवाओं की सरकारी खरीद के लिए भी अलग से कानून बनना चाहिए ताकि उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके.
- कुल मिलाकर बात का सार यह है कि हमें फार्मा क्षेत्र की नियामक व्यवस्था में सुधार के मोर्चे पर अग्रसक्रियता दिखानी होगी .तभी लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दवा कारोबार का भी.

source:http://blogs.economictimes.indiatimes.com/et-editorials/fix-indias-fragmented-drug-regulation/?_ga=1.110124677.1479903747.1475053979


7.साइबर सुरक्षा सीमा सुरक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है

The_Economic_Times का संपादकीय

लगातार ऑनलाइन हो रही दुनिया में साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी कानूनी ढांचा बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. द इकॉनॉमिक टाइम्स की संपादकीय)

- रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन पर अगर कोई साइबर हमला हो तो वे तत्काल इसकी जानकारी दें नहीं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह अल्टीमेटम देकर इस नियामक संस्था ने ठीक और वैश्विक मानकों के अनुरूप कदम ही उठाया है.
- बढ़ते साइबर हमलों के बाद अमेरिका में भी नियामक अपनी सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त सजग न रहने वाले बैंकों के साथ सख्त रुख अपना रहे हैं. बीते साल अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पास किया था जो बैंकों को कानूनी झंझटों से मुक्त करते हुए उन्हें जांचकर्ताओं के साथ साइबर खतरों से जुड़ी जानकारी साझा करने की इजाजत देता है.
- भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए. बैंकों ही नहीं, सभी कंपनियों के लिए साइबर हमलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए. अक्सर बैंक और कंपनियां इस डर से यह जानकारी नहीं देते कि कहीं उनके शेयरों का दाम न गिर जाए. लेकिन जब कानून बन जाएगा तो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा.
- अभी कंपनियां ऐसे हमलों की जानकारी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को दे सकती हैं. लेकिन जरूरत इस बात की है कि साइबर हमलों पर नजर रखने, उनकी जांच-पड़ताल करने और उनसे बचाव के उपाय खोजने के लिए फौरन एक विशेषज्ञ संस्था बनाई जाए.

- 2015 में गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन के गठन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी. इसके तहत साइबर क्राइम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, निगरानी, फॉरेंसिक इकाइयों की स्थापना, इस दिशा में पुलिस और बाकी न्यायिक ढांचे की क्षमताएं बढ़ाने जैसे कई काम होने थे. लेकिन ये सभी काम घोंघे की रफ्तार से हो रहे हैं.
- साइबर हमले करने वाले अक्सर जिन देशों पर हमला करने की ताक में रहते हैं उनमें से एक भारत भी है. लेकिन यहां प्राइवसी और डेटा की सुरक्षा के लिए मौजूद कानूनी ढांचा अभी बहुत आदिम स्तर का है. जो कानून हैं भी उनका अनुपालन न के बराबर हो रहा है.
- जैसे-जैसे बैंकिंग, कारोबार और बाकी दूसरी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं वैसे-वैसे साइबर सुरक्षा भी शीर्ष प्राथमिकता का सवाल बनती जा रही है. इसलिए न सिर्फ कानून में सुधार होना चाहिए बल्कि उसका पालन सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था में भी.



- source:http://mms.businesswire.com/media/20160229005084/en/511110/5/2016_ISACA_RSA_Study_Infographic.jpg?download=1

8. पेरिस जलवायु समझौता : भारत ने हामी तो भर दी है लेकिन, असल चुनौती इसके बाद शुरू होती है

पेरिस में हुए जलवायु समझौते पर अमल करते हुए भारत को बहुत बड़ी चुनौतियों से दो-चार होना है. उसे इसकी तैयारी करनी होगी.

Why in news:

केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह पिछले साल पेरिस में हुए जलवायु समझौते पर दो अक्टूबर को दस्तखत कर देगी. यह फैसला स्वागत योग्य है. यह बताता है कि भारत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की दुनिया की साझा कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध है.

- दुनिया भी इस बात को समझती है कि भारत के लिए यह काम बेहद चुनौतीपूर्ण है .एक तरफ उसे अपनी विशाल आबादी को गरीबी के दलदल से निकालने के लिए ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है तो इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन भी घटाना है
- अभी भारत ने जो रास्ता अपनाया हुआ है उसमें जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता कुछ ज्यादा ही है .अब जब जलवायु समझौता अमल में आने की तैयारी में है और सभी देश इस पर सहमत होकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा.

यह तय ही लग रहा है कि पेरिस में जो फैसला हुआ है उस पर दस्तखत करने की आखिरी समयसीमा यानी अप्रैल 2017 से पहले अमल शुरू हो जाएगा. कुल उत्सर्जन के 47.79 हिस्से के लिए जिम्मेदार 61 देशों ने इस पर अब तक दस्तखत कर दिए हैं.

- अब बचते हैं यूरोप के कुछ देश और यूरोपीय संघ जिसे ब्रिटेन के संघ से बाहर निकल जाने के बाद अपने लक्ष्यों की समीक्षा करनी है.
- लक्ष्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के कुल वैश्विक उत्सर्जन के 55 फीसदी हिस्से के लिए जिम्मेदार देश इस समझौते पर दस्तखत कर दें. परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश न मिलने के बाद भारत ने पेरिस समझौते पर जो अनिच्छा दिखाई थी उसे पीछे छोड़कर उसने प्रशंसनीय काम किया है. हालांकि आखिर में उसे ऐसा करना ही पड़ता क्योंकि यूरोप के आने के बाद पेरिस समझौते का आगे बढ़ना तय था
- जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कोई देश अपनी प्रतिबद्धताओं से अब पीछे नहीं हट सकता. इसलिए स्वच्छ ईंधन पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है. पेरिस समझौते पर अमल के बाद आने वाले वर्षों में ऊर्जा के इस्तेमाल के हर पहलू की बारीकी से निगरानी करनी होगी.
- हमारी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र अभी तकनीकी रूप से इस काम के लिए सक्षम नहीं हैं. हमें अपनी बिजली ग्रिड को इस तरह सुधारना होगा कि इसमें स्वच्छ ऊर्जा का प्रवाह बढ़े. यह जल्द से जल्द किए जाने की जरूरत है क्योंकि भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य तय किया है उस तक पहुंचना ग्रिड की क्षमताओं में सुधार के बिना संभव नहीं होगा.
- फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को रोकने के लिए एक नई और सख्त नीति बनानी होगी.
- इस तरह के बड़े कदम तभी उठाए जा सकते हैं जब राज्य सरकारें भी सक्रियता के साथ इस काम में सहयोग करें. अभी तो उनमें से कई इस चर्चा में ठीक से शामिल तक नहीं हो पाए हैं.

- यह स्थिति बदलनी होगी और कार्रवाई के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा. तभी 100 अरब डॉलर सालाना वाले उस कोष से एक बड़ी रकम पाने का हमारा दावा मजबूत होगा जिसे दुनिया के अमीर देशों ने 2020 तक वजूद में लाने का वादा किया है.
- बुनियादी रूप से देखा जाए तो एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए जो जीवाश्म ईंधनों पर और ज्यादा टैक्स लगाए और इससे मिले पैसे को सोलर पैनलों, एलईडी, साइकिलों और पर्यावरण के लिए अनुकूल ऐसे ही विकल्पों को प्रोत्साहन देने पर खर्च किया जाए

reference: <http://m.thehindu.com/opinion/editorial/editorial-on-indias-ratification-of-paris-agreement-joining-the-climate-high-table/article9150724.ece>

**

9. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) से सरकार और रिजर्व बैंक के बीच का समीकरण सुधरता है तो इससे सबका भला होगा

The Asian Age का संपादकीय

सन्दर्भ :-अभी तक सरकार और रिजर्व बैंक ब्याज दरों को लेकर अक्सर टकराव की मुद्रा में रहे हैं.

Why in news: आने वाले चार अक्टूबर को पहली बार नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) नई मौद्रिक नीति का ऐलान करेगी. छह सदस्यों की इस समिति में तीन प्रतिनिधि सरकार के हैं और तीन रिजर्व बैंक के.

- सरकार ने अपने तीन प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा की है. रिजर्व बैंक यह काम काफी पहले कर चुका है. अगर किसी मुद्दे पर सदस्यों की राय बराबरी से बंटी तो निर्णायक वोट आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का होगा.
- अभी तक सारी शक्ति गवर्नर के पास ही रहती थी. रिजर्व बैंक का मुखिया इससे पहले वजूद में रही उस पांच सदस्यीय तकनीकी परामर्श समिति की सिफारिशों की उपेक्षा कर सकता था जो उसे मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले ब्याज दरों पर 'इनपुट' देती थी.
- एमपीसी सरकार और रिजर्व बैंक के बीच जरूरी पुल की तरह काम करेगी. अभी तक ये दोनों अक्सर ब्याज दरों को लेकर टकराव की मुद्रा में रहते आए हैं. दोनों के उद्देश्य अलग रहे.
- सरकार का जोर विकास पर रहा और रिजर्व बैंक का महंगाई को कम रखने पर. इसलिए बैंक हमेशा मौद्रिक नीति अपने हिसाब से बनाता रहा. अक्टूबर 2012 में तो तत्कालीन गवर्नर डी सुब्बाराव और यूपीए सरकार में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बीच टकराव इस हद तक बढ़ गया था कि चिदंबरम ने कह दिया कि विकास भी महंगाई जितनी ही बड़ी चुनौती है और अगर सरकार को इस चुनौती से निपटने के रास्ते पर अकेले चलना है तो वह अकेले ही चलेगी.
- टकराव की इसी पृष्ठभूमि में एमपीसी का गठन हुआ था. अब देखना होगा कि क्या यह नई कवायद विकास बनाम महंगाई की इस बहस को सुलझा पाती है या नहीं. कड़ियों का मानना है कि

महंगाई और विकास को सिक्के के दो पहलुओं की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलने वाले कारकों की तरह देखा जाना चाहिए.

- पिछले गवर्नर रघुराम राजन हमेशा कहते रहे कि महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ती है जिन्हें आवास, खाने, दवाइयों और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है.
- आवास जैसे मुद्दे सरकार की जिम्मेदारी हैं और अगर इन पर उसका नियंत्रण नहीं है या वह कमजोर तबकों के लिए सस्ते विकल्प उपलब्ध नहीं करवा पाती तो यह उसकी असफलता है. दूसरी तरफ यह भी ध्यान देना होगा कि अगर अपेक्षित विकास नहीं होगा तो वे रोजगार के अवसर भी पैदा नहीं होंगे जिनसे लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है.
- उम्मीद करनी चाहिए कि एमपीसी का गठन विकास बनाम महंगाई के इस मुद्दे को सुलझा सकेगा और सरकार और रिजर्व बैंक के बीच तालमेल को उस दिशा में ले जा सकेगा जिसमें सबका भला हो. आशा यह भी है कि इससे सरकार समाज के कमजोर तबके के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पहले से ज्यादा संवेदनशील बनेगी.

**

10. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की नई वजह

Times of India का संपादकीय

सन्दर्भ:- सरकार ने जिला स्तर पर जजों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) शुरू करने की घोषणा की है।

- केन्द्र सरकार जिला जजों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है.
- द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर की निचली अदालतों में इस वक्त जजों के करीब 4,400 पद खाली हैं. इनमें जिला जजों के पद भी शामिल हैं.
- उच्च न्यायालयों को भी जज बनाने के लिए सक्षम वकील नहीं मिल पाते. इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की परीक्षा के बारे में सोचा जा रहा है. यह परीक्षा संघ लोकसेवा आयोग आयोजित करेगा.
- फिलहाल इन सभी पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग उच्च न्यायालयों के मार्गदर्शन में परीक्षाएं आयोजित करते हैं. एआईजेएस शुरू होने के बाद वे जिला जजों को छोड़कर सिविल जज और मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिए अपनी परीक्षा प्रक्रिया जारी रख सकेंगे.
- रिपोर्ट के मुताबिक, 1961, 1963 और 1965 में हुए मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में एआईजेएस के प्रस्ताव पर पहली बार विचार किया गया था. लेकिन उस वक्त यह ठंडे बस्ते में चला गया क्योंकि कुछ राज्यों और उच्च न्यायालयों ने इस पर अपनी आपत्तियां जताई थीं.

- हालांकि इसके बाद 1977 में संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एआईजेएस का प्रावधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन भी किया गया. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार ने भी 2012 में कोशिश की. उसने विधेयक का मसौदा भी तैयार कर लिया. लेकिन इस बार भी कुछ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के विरोध के बाद यह कोशिश ठंडी पड़ गई.
- विरोध करने वाले मुख्य न्यायाधीशों की दलील थी कि एआईजेएस उनके अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी है.
- ऐसे में, यह जिक्र करना जरूरी है कि मोदी की सरकार इस प्रस्ताव को लाने पर ऐसे समय में विचार कर रही है जब उसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजाे की नियुक्ति और पदोन्नति की मान्य प्रक्रिया को लेकर रस्साकशी चल रही है.
- इस संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को उच्चतम न्यायालय पहले ही 'असंवैधानिक' करार देकर खारिज कर चुका है. कॉलेजियम प्रणाली के लिए भी केन्द्र की ओर सुझाए गए मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है.
- सुप्रीम कोर्ट को एमओपी के उस प्रावधान पर खास तौर पर आपत्ति है, जिसके तहत केन्द्र सरकार को कॉलेजियम की कोई भी सिफारिश राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खारिज करने का अधिकार होगा.
- इसके अलावा उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने के प्रावधान पर भी शीर्ष अदालत ने आपत्ति जताई है.

**

11. मराठा आंदोलन : समाधान आरक्षण नहीं, आर्थिक सुधार है

Times Of India का संपादकीय

Why in News:

मराठा समुदाय का यह आंदोलन फिर चेता रहा है कि रोजगार के बिना विशाल युवा आबादी देश के लिए वरदान के बजाय अभिशाप बन सकती है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादकीय)

- महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में उमड़ती मराठा समुदाय की मौन रैलियों ने वहां सरकार और राजनीतिक नेतृत्व, दोनों को असहज कर दिया है. इस आंदोलन की चिंगारी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के गैंगरेप से भड़की थी. लेकिन अब इसकी मुख्य मांग यह है कि मराठाओं को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए.
- मराठा राज्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्व रखने वाली जाति रही है. महाराष्ट्र में इस समुदाय की आबादी 30 फीसदी से ऊपर है. इसने राज्य को 18 में से 13 मुख्यमंत्री दिए हैं. पर अब मराठाओं को लग रहा है कि विकास की दौड़ में वे पीछे छूट गए हैं.
- इस समुदाय की ज्यादातर आबादी सूखे की आशंका वाले इलाकों में रहती है और उसके पास छोटी-छोटी जोत वाली जमीनें हैं जिनसे इस मुश्किल समय में उसकी जिंदगी की गाड़ी नहीं खिंच पा रही. इससे पहले सत्ता में रही कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मराठाओं के लिए 16 फीसदी आरक्षण की

घोषणा की थी लेकिन, उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. मौजूदा भाजपानीत सरकार इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गई थी लेकिन, वहां भी यही फैसला बरकरार रहा.

- मराठा समुदाय का यह आंदोलन बताता है कि देश में रोजगार का संकट कितना गहरा गया है. अगर शिक्षा और रोजगार बढ़ती आबादी के साथ ताल न मिला पाएं तो युवा आबादी का यह विशाल भंडार फायदों के बजाय त्रासदी में तब्दील हो सकता है.
- मंडल और ओबीसी आरक्षण ने इस विचार को वैधता दी है कि सरकार को मुख्य रूप से खेती पर निर्भर जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए.
- यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में कापू, हरियाणा में जाट और गुजरात में पटेल समुदाय ने सरकारों की नींद हराम कर रखी है. अब इस कड़ी में अगला नाम महाराष्ट्र के मराठा समुदाय का भी जुड़ गया है.
- इसका समाधान सिर्फ यही है कि ऐसे आर्थिक सुधार किए जाएं जिनसे रोजगार बढ़ें.
- आरक्षण का दायरा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकारी नौकरियां सीमित हैं.
- मराठा और जाट समुदायों को आरक्षण की मांग मान भी ली जाए तो इससे दूसरे समुदायों में भी असंतोष बढ़ेगा और जातिगत टकरावों के लिए मंच तैयार हो जाएगा. अब इसका जोखिम नहीं लिया जा सकता.

**

12. सुपरबग से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध के खिलाफ विश्व युद्ध (The Hindu)

सन्दर्भ:- संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बार का प्रमुख मुद्दा antibiotic resistance ही है।

जिस bacteria का विश्लेषण आज हम करेंगे, वो देश के छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इस bacteria का नाम है सुपरबग। सुपरबग वो bacterias होते हैं, जिन पर antibiotic दवाएं काम करना बंद कर देती हैं।

- मेडिकल Journal The Lancet में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक Sepsis (सेप्सिस) नामक बीमारी से पीड़ित 26 प्रतिशत भारतीय बच्चों की मौत जन्म लेने के 72 घंटों में ही हो गई। ये शोध 2011 से शुरू हुआ था और तीन वर्षों तक चला और इसके नतीजे अब प्रकाशित हुए हैं।
- नवजात बच्चों में Sepsis और pneumonia जैसी बीमारियां बहुत आम बात हैं। और ज्यादातर मामलों में बच्चों का सफल इलाज कर दिया जाता है। लेकिन SuperBug की वजह से अब बच्चों पर antibiotic दवाएं असर नहीं कर रही हैं।
- यानी इन बच्चों के शरीर में antibiotic दवाओं के प्रति Resistance यानी प्रतिरोध पैदा हो गया है। इस प्रतिरोध को पैदा करने वाले bacterias को ही सुपरबग कहा जाता है। ये स्टडी दिल्ली के तीन बड़े अस्पतालों के ICU में भर्ती 13 हजार 530 नवजात बच्चों पर की गई।
- तीन वर्षों तक चली इस स्टडी में डॉक्टरों ने पाया कि 53 प्रतिशत बच्चे 3 अलग अलग तरह के सुपरबग की चपेट में आ गए थे। इनमें से करीब 14 प्रतिशत बच्चों के शरीर पर AntiBiotic दवाएं

असर नहीं कर रही थीं। और इनमें से 26 प्रतिशत मामलों में सुपरबग की बजह से नवजात बच्चों की मौत हो गई। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 60 हजार से ज्यादा बच्चों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है, क्योंकि उन पर AntiBiotics असर नहीं करतीं। ये पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इस बार **antibiotic resistance** का मुद्दा प्रमुख है, और आज यही मुद्दा United Nations General Assembly में एक High Level मीटिंग में उठाया जा रहा है।
- इतिहास में ऐसा सिर्फ चौथी बार हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वास्थ्य से जुड़ा कोई मुद्दा शामिल किया गया है। इससे पहले सिर्फ HIV, Non communicable Diseases और Ebola का मुद्दा ही United Nations की सबसे बड़ी बैठक में शामिल किया गया है।
- यह कह सकते हैं कि antibiotic resistance भी दुनिया के लिए आतंकवाद जितनी बड़ी और गंभीर समस्या है। AntiBiotic दवाओं का असर खत्म होने से हर साल दुनिया भर में 7 लाख लोगों की मौत हो जाती है।

परेशानी की बात ये है कि एंटीबायोटिक दवा खा-खाकर भारतीयों के शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो गये हैं कि उन पर कई एंटीबायोटिक दवाओं का असर होना ही बंद हो गया है। पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा Antibiotics का इस्तेमाल करता है। एक स्टडी के मुताबिक Antibiotic resistance 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी महामारी बन जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अभी हर साल कैंसर से पूरी दुनिया में 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन 2050 तक Antibiotic resistance की वजह से हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत होगी यानी ये कैंसर से भी बड़ा खतरा है।

Why this superbug:

- Darwin की थ्योरी के मुताबिक Evolution यानी क्रमिक विकास कुदरत की तरफ से की गई एक जरूरी व्यवस्था है। प्राकृतिक तौर पर इस Evolution में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन शरीर में मौजूद हानिकारक bacterias खुद को तेजी से बदल रहे हैं। और इंसानों को मार रहे हैं।
- ये सब कुछ Antibiotics के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। Antibiotics को नाकाम करने वाले SuperBug सभी तरह के जीवों में पाए जा रहे हैं, इनमें छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जानवर और यहां तक की फसलें भी शामिल हैं।
- आम लोगों की धारणा है कि एंटीबायोटिक दवाओं से कोई नुकसान नहीं होता।इसीलिए जरा-सी सर्दी-जुकाम या मामूली दर्द होने पर भी लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। लेकिन चिंता की बात ये है कि दुनिया के लिए, बड़े बड़े Nuclear हथियारों से भी बड़ा खतरा वो छोटे छोटे bacterias हैं, जिन्हें हम इंसानों ने अमर बना दिया है।
- WHO के मुताबिक खून का Infection यानी Sepsis, निमोनिया, TB, HIV का संक्रमण, AIDS, मलेरिया और Urinary Tract Infection जैसी बीमारियों के खिलाफ ज्यादातर Antibiotics दवाएं बेअसर हो चुकी हैं। और जल्द ही ऐसा होगा कि बच्चों के जन्म के समय में आने वाली परेशानियों,

नवजात बच्चों को होने वाले Infections, कूल्हे और घुटने के Replacement, अंग प्रत्यारोपण के मामलों में इस्तेमाल होने वाली Antibiotics बेकार हो जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले 40 वर्षों में किसी भी नई श्रेणी की Antibiotic दवा नहीं खोजी गई है।

What will be the effect:

- Antibiotic Resistance वाले बैक्टेरिया का इलाज नहीं खोजा गया तो जल्द ही पूरी दुनिया में हर साल करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जानवर बेमौत मरने लगेंगे। फसलें खराब होने लगेंगी और कई तरह के अनाज खाने लायक नहीं रहेंगे।
- 2050 तक Antibiotics के नाकाम होने की वजह से Global GDP को 3.5 प्रतिशत का नुकसान होगा। आप कह सकते हैं कि जब भी आप थोड़ी सी परेशानी और मामूली से सर्दी जुकाम में भी Antibiotics का सेवन करते हैं, तो आप अपने साथ साथ पूरी दुनिया को संकट में डाल रहे होते हैं। ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही होगी लेकिन सच यही है कि जिस तरह आपकी दिनचर्या Ozone लेयर को नुकसान पहुंचाती है, Carbon Emmission करती है और उससे पूरी पृथ्वी को नुकसान होता है, उसी तरह बात बात पर Antibiotics का सेवन करना भी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है

GENERAL STUDIES HINDI

Governance and Ethics

1. पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पुलिस सुधार की वर्तमान स्थिति

2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार संबंधी निर्णय दिए हुए दस वर्ष पूरे हो रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने जब इस संबंध में निर्देश दिए थे तो लगा था कि जल्द ही पुलिस की कार्यशैली बदल जाएगी और उसके चलते उसकी छवि भी सुधर जाएगी।

=> **पुलिस सुधार (police reform) कहाँ तक बढे?**

- दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सच तो यह है कि पुलिस के काम में और गिरावट आई है। बीते दस वर्षों में पुलिस का राजनीतिकरण और बढ़ा है। इसके साथ ही प्रशासनिक तंत्र की आपराधिक तत्वों से गठजोड़ में भी वृद्धि हुई है। इस गठजोड़ के बारे में वोहरा समिति ने 1993 में ही आगाह किया था।
- यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित पुलिस कमीशन ने कहा था कि पुलिस को एक भ्रष्ट और दमनकारी संस्था के रूप में देखा जाता है और संपूर्ण देश में उसकी हालत अत्यंत असंतोषजनक है
- कमीशन ने यह भी कहा था कि पुलिस में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। 114 साल पहले की गई यह टिप्पणी ऐसी है कि लगता है आज-कल में ही किसी विशेषज्ञ ने की है। इतने सालों में पुलिस में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन और सुधार नहीं हुआ।
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1979 से 1981 के बीच आठ विस्तृत रिपोर्ट दीं। पुलिस के कार्यकलाप का इतना विशद एवं समग्रता से पहले कभी परीक्षण नहीं हुआ।
- 1996 में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार हेतु एक जनहित याचिका दाखिल की गई। दस वर्ष बाद 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
- सुप्रीम कोर्ट अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी खुद कर रहा है, फिर भी राज्य सरकारों की हीलाहवाली बरकरार है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि 17 राज्यों ने अपने नए पुलिस अधिनियम बना लिए हैं, क्योंकि ये अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे बचने के लिए बनाए गए हैं।

=> **क्या था 2006 में आया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय :-**

- 2006 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं वे तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक केंद्र और राज्य सरकारें इस विषय पर अपना अधिनियम नहीं बना लेतीं।
- चालाक नेताओं ने इस फैसले से बचने के लिए ऐसे अधिनियम बनाए जो वर्तमान व्यवस्था को ही कानूनी जामा पहनाने के समान हैं। अन्य राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन का दिखावा करते हुए जो शासनादेश पारित किए उनसे यही स्पष्ट होता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित किया गया या उसे तोड़मरोड़कर उसके प्रभाव को कम किया गया।

- 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने **जस्टिस थॉमस समिति का** गठन किया कि वह उसके फैसले के अनुपालन पर अपनी आख्या दे। इस समिति ने 2010 में अपनी रिपोर्ट में हैरत प्रकट करते हुए कहा कि सभी राज्यों में पुलिस सुधारों के प्रति उदासीनता है।
- 2013 में पुलिस सुधारों को लेकर जस्टिस वर्मा समिति ने भी विस्तृत टिप्पणी की। इस समिति का गठन दिल्ली में निर्भया कांड के बाद महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी कानूनों को सख्त बनाने के लिए किया गया था। समिति ने स्पष्ट कहा था कि पुलिस में बुनियादी सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है।
- जस्टिस थॉमस समिति द्वारा निराशा व्यक्त करने और जस्टिस वर्मा समिति द्वारा कोर्ट के आदेशों के अनुपालन को जरूरी बताने का राज्यों पर कोई असर नहीं हुआ। इसकी एक बानगी यह रही कि उत्तर प्रदेश में मनमाने ढंग से महानिदेशकों की नियुक्ति अल्पअवधि और यहां तक कि दो-तीन महीने के लिए की गई।

Conclusion:

- राज्य सरकारों और साथ ही देश के नेतृत्व को यह समझना होगा कि आधुनिक एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण और विधि के शासन के लिए पुलिस सुधार आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य हैं।
- इन सुधारों से पुलिस की कार्यशैली स्वच्छ और प्रभावी होगी, अधिकारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता होगी, मानवाधिकारों का संरक्षण होगा और देश में कानून का राज होगा। आज हम एक सामंतवादी पुलिस की जकड़ में हैं। आवश्यकता है एक ऐसे पुलिस की जो जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें और प्रतिदिन के कार्यों में कानून को लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

2. बहामास लीक : कर चोरी में 475 भारतीय कंपनियां भी शामिल

पनामा पेपर्स लीक के महज पांच महीने बाद ही अब बहामास लीक सामने आया है। इसमें सामने आई जानकारीयां चौंकाने वाली हैं।

- कर चोरी के लिए दुनियाभर की एक लाख 75 हजार से ज्यादा कंपनियां, ट्रस्ट और फाउंडेशन कैरेबियाई टैक्स हेवन 'बहामास' में रजिस्टर्ड हैं। इनमें 475 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं।
- ये कंपनियां माइन्स एंड मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल इस्टेट, फैशन मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हैं। इनमें से कुछ कंपनियों का नाम पनामा पेपर्स लीक में भी आ चुका है। इनमें देश के बड़े-बड़े घरानों के मालिकों का भी नाम शामिल है।
- ये नए दस्तावेज जर्मन अखबार के हाथ लगे हैं, जिसने इन्हें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से साझा किए हैं। यह मामला भारत के लिहाज से इसलिए भी अहम हो जाता है।

- कारण, 30 सितंबर भारत सरकार की इनकम टैक्स डिस्कलोजर स्कीम की आखिरी तारीख घोषित की है। इस स्कीम के तहत लोगों को अपनी ब्लैक मनी को 45 फीसद कर चुका कर व्हाइट मनी में बदला जा सकता है।

3. सभ्यता एवं संस्कृति में अन्तर

- प्रायः सभ्यता और संस्कृति को समानार्थी समझ लिया जाता है, जबकि ये दोनों अवधारणाएँ अलग-अलग हैं। तथापि विभेद ठीक वैसा ही है, जैसे हम एक फूल को सभ्यता और उसकी सुगन्ध को संस्कृति कहें।

- सभ्यता से किसी संस्कृति की बाहरी चरम अवस्था का बोध होता है। संस्कृति विस्तार है तो सभ्यता कठोर स्थिरता। सभ्यता में भौतिक पक्ष प्रधान है, जबकि संस्कृति में वैचारिक पक्ष प्रबल होता है। यदि सभ्यता शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा।

=>सभ्यता और संस्कृति में अंतर

☆ सभ्यता और संस्कृति में निम्नलिखित अन्तर पाये जाते हैं-

- 1.सभ्यता और संस्कृति में मौलिक अन्तर यह है कि, सभ्यता का सम्बन्ध जीवन यापन या सुख-सुविधा की बाहरी वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का सम्बन्ध आन्तरिक वस्तुओं से।
2. सभ्यता की माप की जा सकती है, किन्तु संस्कृति की माप नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए - ऐसा बता देना अधिक आसान है कि साइकिल की अपेक्षा मोटरगाड़ी अधिक उपयोगी है, किन्तु प्रमाण प्रस्तुत करना कठिन है कि पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है। इसके लिए कोई भी मापदण्ड नहीं है।
3. सभ्यता की उन्नति अल्पकाल में होती है, जबकि संस्कृति विस्तृतकालीन सभ्यता की परिणति है।
4. सभ्यता का प्रसार तीव्र गति से होता है, किन्तु संस्कृति का प्रसार धीरे-धीरे, लेकिन लगातार होता है।
5. सांस्कृतिक वस्तुएँ प्रतियोगिता रहित होती हैं, किन्तु सभ्यता का आधार प्रतियोगिता है। दो आविष्कारों में प्रतियोगिता होती है, किन्तु आध्यात्मिकता में कोई प्रतियोगिता नहीं होती।
6. सभ्यता साधन है, जबकि संस्कृति साध्य है। साध्य का तात्पर्य अन्तिम लक्ष्य से है, जिसमें असीम सन्तुष्टि का अनुभव होता है और इस असीम सन्तुष्टि की प्राप्ति के लिए जो विधि अपनाई जाती है, उसे साधन कहते हैं।
7. काण्ट ने सभ्यता और संस्कृति के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सभ्यता बाह्य व्यवहार की वस्तु है, परन्तु संस्कृति नैतिकता की आवश्यकता होती है तथा यह आन्तरिक व्यवहार की वस्तु है।
8. सभ्यता यह बताती है कि 'हमारे पास क्या है', और संस्कृति यह बताती है कि, 'हम क्या हैं'।
9. सभ्यता में सुधार किया जा सकता है, किन्तु संस्कृति में नहीं। साधारण व्यक्ति भी श्रेष्ठ आविष्कारों में सुधार कर सकता है, किन्तु प्रतिष्ठित कवि और कलाकार की कविता व कलाकृति में साधारण व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता।

10. संस्कृति में गहराई होती है, जबकि सभ्यता में गहराई का अभाव होता है। मोटर और ट्रैक्टर की मशीन का ज्ञान सभी को हो सकता है, किन्तु संस्कृति की गहराई तक सब व्यक्ति नहीं पहुँच सकते।
11. 'एक संस्कृति तब ही सभ्यता बनती है, जबकि उसके पास एक लिखित भाषा, दर्शन, विशेषीकरणयुक्त श्रम विभाजन, एक जटिल विधि और राजनीतिक प्रणाली



Internal Security

1. भारत को आतंकवाद से ज्यादा नक्सलवाद से खतरा : अमेरिकी रिपोर्ट


देश को आतंकवादियों से ज्यादा खतरा नक्सलवादियों से है। अब ये बात एक इंटरनेशनल रिसर्च में भी साबित हो गई है। पिछले वर्ष भारत में आतंकी हमलों में 61 प्रतिशत से ज्यादा लोग नक्सली हमलों में मारे गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इससे ये भी साबित होता है कि हमारे घर के दुश्मन हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक हैं। भारत में माओवादियों का संगठन दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है।

किसने दी है यह रिपोर्ट : ये रिपोर्ट अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के रिसर्च और एजुकेशन सेंटर, START ने तैयार की है। ये रिसर्च सेंटर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट यानी विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर पूरी दुनिया में आतंकवाद पर रिसर्च करता है।

रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :

- इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में पूरी दुनिया में 28 हजार 328 आतंकी हमले हुए, जिनमें 35 हजार 320 लोगों ने जान गंवाई।
- आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद भारत चौथे नंबर पर है।
- 2015 में भारत में कुल 791 आतंकी हमले हुए, जिनमें 43 प्रतिशत हमले नक्सलियों ने किए।
- ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में माओवादीओं का संगठन दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है।
- दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों की सूची में तालिबान सबसे ऊपर है। जिसने 2015 में 1 हजार 93 आतंकी हमले किए। जिनमें कुल 4 हजार 512 लोगों की मौत हुई।
- ISIS दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। जिसने पिछले वर्ष 931 हमलों को अंजाम दिया और इन हमलों में 6 हजार 50 लोगों की मौत हुई।
- इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बोको हरम है, जिसने 2015 में 491 आतंकी हमले किए और इन हमलों में 5 हजार 450 लोगों को मार डाला।
- इसके बाद चौथे नंबर पर भारत के माओवादी हैं, जिन्होंने 2015 में 343 हमले किए और इन हमलों में 176 लोग मारे गए। जबकि इस दौरान भारत में हुए आतंकवादी हमलों में 113 लोग मारे गए। यानी आतंकी हमलों से ज्यादा लोग नक्सली हमलों में मारे गए।

ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में आतंकी हमलों में किडनैप या बंधक बनाने की



घटनाओं में 3 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। 2014 में बंधक बनाने या किडनैपिंग की 305 घटनाएं हुई थीं, जो 2015 में बढ़कर 862 हो गईं। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमने भारत में नक्सलवाद पर आज बहुत ही विस्तृत रिसर्च की है, जिसमें हमारे सामने कई चौंकाने वाली जानकारियां भी आई हैं।

-2005 से 2016 तक नक्सली हमलों में कुल 7 हजार 187 लोग मारे गए।

-इन 12 वर्षों में हुए नक्सली हमलों में 2 हजार 914 आम नागरिक भी मारे गए।

-जबकि 1 हजार 840 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए।

-हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 हजार 433 नक्सलियों को मार भी गिराया।

★माओवादी भारत के लिए एक ऐसी बीमारी बन चुके हैं, जिसका कोई इलाज फिलहाल नहीं दिख रहा है। भारत के 17 राज्यों के 118 जिलों में माओवादी सक्रिय रूप से आतंक फैला रहे हैं। 2015 में एक RTI के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया था कि, पिछले 10 वर्षों में नक्सली संगठन CPI (Maoists) ने 489 ट्रेनिंग कैंप्स लगाए थे, जिनमें 40 हजार नक्सलियों को गुरिल्ला वॉरफेयर और हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी।

★नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PLGA के पास 9 हजार से लेकर 12 हजार तक नक्सली लड़ाके बताए जाते हैं। नक्सलियों ने वसूली को अपना मुख्य धंधा बनाया हुआ है और इस वसूली का सालाना कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपये का है। इस पैसे के ज़रिए ही ये लोग आधुनिक हथियार खरीदते हैं। लोकसभा में दिए गए एक आंकड़े के मुताबिक नक्सली, हर साल 140 करोड़ रुपये की वसूली करते हैं।

2. आखिर क्यों हुआ उरी पर हमला

- उरी, जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले का एक कस्बा है, जो तीन तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरा हुआ है।
- उरी में तीन तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी POK है। उरी से PoK का एक बॉर्डर तो मात्र 6 किलोमीटर दूर है और वहां घुसपैठ की आशंकाएं सबसे ज्यादा हैं।
- इसीलिए कश्मीर में उरी का सामरिक महत्व सबसे ज्यादा है। कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने में उरी में सेना का ये कैंप एक ढाल की तरह काम करता है।
- इसीलिए यहां पर भारतीय सेना का थल सेना के ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी है, यहां पर 12 से 13 हजार जवान मौजूद रहते हैं।
- उरी ही वो जगह जहां से पूरी LoC पर जवान और उनके लिए सामान की सप्लाई होती है।
- 947 में कश्मीर में भारतीय सेना की तैनाती से लेकर अब तक उरी सामरिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है।
- नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट भी यहां बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा ज़मीन के नीचे बना हुआ है ताकि युद्ध की स्थिति में इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को कोई नुकसान न हो।

- यहां से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद की दूरी 70 किलोमीटर है।
- पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण ज़रिया माना जाने वाला अमन सेतु भी उरी सेक्टर में ही है।

उरी की इसी भौगोलिक परिस्थिति का फायदा आतंकवादियों ने उठाया और भारतीय सीमा में घुसपैठ करके उन्होंने आर्मी के इन्फैंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया।

PoK में आतंकवादी कैंप

- आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर इस आतंकी हमले का इल्ज़ाम है और जैश-ए-मोहम्मद PoK में बहुत सारे Terror Camps चला रहा है।
- जैश-ए-मोहम्मद ने ना सिर्फ उरी में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है बल्कि पठानकोट एयरबेस और देश की संसद पर हुए आतंकवादी हमलों में भी जैश-ए-मोहम्मद का ही हाथ था।
- अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक PoK में Terror Camps की संख्या 50 से 160 के बीच हो सकती है। ये Terror Camps PoK की राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर लाहौर तक फैले हैं।
- हर Terror Camp में 40 से 50 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और 30 से 35 दिन की Training के बाद इन आतंकवादियों को Loc के पास Launch Pads पर भेज दिया जाता है। इन Launch Pads से आतंकवादी भारत में दाखिल होते हैं और हमलों को अंजाम देते हैं।
- Pok में जिन इलाकों में ज्यादातर Terror Camps चलाए जाते हैं वो हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद, शवाई नाल्लाह, गढ़ी दुपट्टा, दुध-नियाल, और शम्स उल हक।
- इसके अलावा पाकिस्तान के लाहौर, गुजरांवाला, मंगला, मनसेहरा, north west frontier province और भीमबर जैसे इलाको में अलग अलग Terror Camps में आतंकवादियों को भारत के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
- और फिर ये आतंकवादी Loc से सटे इलाकों से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं और कई बार कामयाब भी हो जाते हैं। जैश-ए-मोहम्मद भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है।

3. What option open to India after URI attack

★इस हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ रोष है और अब सरकार पर भी पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का दबाव बन रहा है। भारतीय सेना की तरफ से भी ये कहा गया है कि सही जगह और सही वक्त पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन सवाल है कि वो सही वक्त कब आएगा?

- उरी में सेना के जवानों पर हुए हमले के बाद कहा जा रहा है कि भारत को PoK यानी Pak Occupied Kashmir में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमले करने चाहिए।
- उरी में आतंकी हमले के बाद LOC के आसपास बड़े स्तर पर भारतीय सेना ऑपरेशन चला सकती है। सेना के कैंप और ठिकानों की सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा।
- इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भरोसे में लेकर कश्मीर में सेना को कार्रवाई की और छूट दी जाएगी।

- भारत ने पाकिस्तान को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी घेरने की तैयारी कर ली है।
- पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने की कोशिश की जाएगी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी UN में ये मुद्दा उठा सकती हैं।

4. आखिर भारत में आतंकी हमले कब तक होते रहेंगे?

क्या हम आतंवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते?

- उरी में सेना के जवानों पर आतंकी हमले के बाद पूरे देश के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या हम पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी से हमेशा डरते रहेंगे? क्या हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सिर्फ कूटनीतिक रास्तों पर ही चलेंगे? लोगों के मन में ये बात भी आती है कि भारत इतना मजबूर क्यों है?
- कहते हैं कि कूटनीतिक रास्तों पर चलने से मंजिल मिल तो जाती है लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है और अब शायद देश इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। हालांकि, आपको ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध और आतंकवादी ठिकानों पर हमला, भारत के लिए एक मुश्किल फैसला क्यों है?
- इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। भारत अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ने कई मौकों पर साफ किया है कि वो भारत को सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान एक आत्मघाती देश है, जिसके पास मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है।
- जबकि भारत दुनिया की इकनॉमिक सुपरपावर बनने जा रहा है, भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते कई तरह की अंतरराष्ट्रीय संधियों से बंधा हुआ है, भारत परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए करना चाहता है, ना कि पड़ोसियों में खोफ पैदा करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध में उलझना भारत के लिए भी बहुत घातक साबित होगा।
- इसके अलावा किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी करने में वक्त लगता है। इसके लिए सेना के अलग-अलग अंगों को मिलकर कार्रवाई करनी होती है और भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ती है। इस वक्त भारतीय सेना के पास तोपों की कमी है और भारत अभी अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है।
- जबकि Pok में सैन्य कार्रवाई करना बहुत आसान विकल्प नहीं है, क्योंकि PoK एक दुर्गम इलाका है और सिर्फ PoK से आतंकवादियों का खात्मा करके पाकिस्तान की जेहाद फैक्ट्री पर पूरी तरह

ताला नहीं लगाया जा सकता। आतंकवादियों के ठिकानों और Camps पर हवाई हमला करना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इंटेलेजेंस और सर्विलांस की कमी सटीक निशाना साधने में मुश्किल पैदा कर सकती है।

-क्योंकि अगर एयर स्ट्राइक में ज़रा सी भी चूक हो जाती है, तो आम नागरिकों के मारे जाने का खतरा बढ़ जाता है।

-और एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत बेगुनाहों का खून बहता हुआ नहीं देख सकता।

-एयर स्ट्राइक में माहिर अमेरिका और इज़रायल जैसे देश भी 100 प्रतिशत सफलता के साथ दुश्मनों पर हमले नहीं कर पाते।

-अफगानिस्तान, सीरिया, इराक़ और गाज़ा में हवाई हमलों में कई बार आम लोग मारे जाते हैं।

-परमाणु हमला किसी देश को मिनटों में तबाह कर सकता है। लेकिन कूटनीतिक तौर पर किए गए हमले, पाकिस्तान को बार बार तिल तिलकर मरने पर मजबूर कर देंगे।

- अगर इंटरनेशनल मॉनेट्री फंड और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगा देंगे तो, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी और पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां अमेरिका जैसे देशों को दोहरा रवैया भी भारत के लिए मुश्किल पैदा करता है।
- जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला होता है तो वो किसी भी देश में घुसकर बदला ले लेता है। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की ज़मीन पर सैन्य कार्रवाई की और पाकिस्तान को इसका पता भी नहीं लगने दिया। लेकिन अगर भारत, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर हमला करने के लिए अमेरिका से मदद मांगता है तो अमेरिका खुलकर भारत का साथ नहीं देता।
- शायद अमेरिका जानता है कि भारत की पाकिस्तान वाली समस्या खत्म होते ही, भारत की हथियारों की जरूरत भी कम हो जाएगी और तब अमेरिका के लिए भारत हथियारों का बड़ा बाज़ार नहीं रहेगा। इससे अमेरिका के आर्थिक हितों को बड़ा नुकसान हो सकता है और अमेरिका के लिए आर्थिक हितों से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस दौर का सच यही है कि भारत कूटनीति कर रहा है जबकि अमेरिका व्यापार कर रहा है।

5.Pakistaan के खिलाफ भारत को क्या करना चाहिए?

- देश की आम जनता और यहां तक कि कई विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि अब हमें पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें यहां ये समझना होगा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ सच में युद्ध छेड़ा जा सकता है? और क्या इस वक्त ऐसा करना भारत के हित में होगा? और अगर भारत ऐसा नहीं कर सकता तो भारत के पास पाकिस्तान को जवाब देने के लिए क्या विकल्प हैं? भारत पाकिस्तान को इस हमले का जवाब कैसे दे सकता है?

- पाकिस्तानी मीडिया और कई बुद्धिजीवी ये तर्क दे रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के शुरू होने से एक दिन पहले पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमला क्यों करेगा? क्योंकि ऐसे हालात में भारत, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने के प्रस्ताव पर दुनिया से समर्थन मांग सकता है। ऐसे में पाकिस्तान किसी आतंकवादी हमले को अंजाम देकर खुद के लिए मुश्किल हालात क्यों पैदा करेगा?
- लेकिन यहां समझना होगा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले भारत पर इतना बड़ा हमला जान बूझ कर किया है। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे हमले के बाद भारत जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया दे। या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाए। ऐसा होने पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की शरण में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर दबाव बना सकता है।
- भारत अगर सख्त कार्रवाई करने का मन बनाता है तो दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश दो परमाणु संपन्न देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से पीछे हटना पड़ेगा। दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखकर मन ही मन खुश होते हैं और उन्हें दोनों देशों पर दबाव बनाने का मौका मिल जाता है।
- पाकिस्तान से आए आतंकवादी इस साल भारत पर दो बड़े हमले कर चुके हैं। इससे पहले ऐसा बड़ा हमला पठानकोट एयरबेस पर हुआ था और इस बार उरी में सेना के कैंप पर हमला करके पाकिस्तान ने भारत के धैर्य का इम्तिहान लिया है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों के पास परमाणु बम हैं और पाकिस्तान अपनी इसी परमाणु शक्ति की आड़ लेकर भारत को धमकाता है।
- भारत का न्यूक्लियर डॉक्टरिन कहता है कि भारत कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत की ये नीति भी एक तरह से पाकिस्तान के लिए कवर का काम करती है। इसलिए सबसे पहले भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर झांसे में आना बंद करना होगा। पाकिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से एक छोटा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है, पाकिस्तान भारत के प्रति दुर्भावना रखने वाला देश है और एक रोग स्टेट यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ना मानने वाला देश भी है।
- इसलिए पाकिस्तान को ये समझाना मुश्किल नहीं है कि वो परमाणु शक्ति की आड़ में ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकता। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता है कि भारत पर परमाणु हमले का मतलब है पाकिस्तान के वजूद का पूरी तरह मिट जाना। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी भारत से युद्ध में नहीं जीत सकता, लेकिन छोटे-छोटे हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करने का फैसला भारत के लिए एक कमज़ोर नब्ज़ बन चुका है, जिसे पाकिस्तान जब चाहे तब दबाता रहता है।

- इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा Military operation शुरू कर सकता है जिसे पूरी तरह से राजनीतिक समर्थन हासिल हो। इसके तहत भारत एलओसी के दूसरी तरफ मौजूद आतंकवादियों के अड्डों पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

Lesson from Past

जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अज़हर को छोड़ने के लिए 1999 में Indian Airlines की Flight IC 814 को Terrorists ने हाइजैक कर लिया था जिसके बाद भारत ने करीब 190 लोगों की जान बचाने के लिए मसूद अज़हर सहित तीन आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला किया था क्योंकि इस फ्लाइट को हाइजैक करने वाले आतंकवादियों ने इन तीनों को छोड़ने की मांग की थी। उस दौरान मसूद अज़हर जम्मू की कोट बलवाल जेल में बंद था और भारत सरकार मसूद अज़हर और उसके साथियों को हवाई जहाज़ में बैठाकर कंधार तक छोड़कर आई थी। बाद में इसी मसूद अज़हर ने अपने संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ज़रिए कभी संसद पर तो कभी भारतीय सेना के कैंप पर हमले किए और भारत को गहरी चोट पहुंचाई, हमें लगता है कि मौलाना मसूद अज़हर एक जहरीला सांप है और भारत को PoK में घुसकर इस जहरीले सांप का सिर कुचल देना चाहिए।

वैसे यहां पर हमारे पास आपके लिए एक Extra विचार भी है। DNA में हम ये सवाल लगातार उठाते रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर इस्लाम के ठेकेदारों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो जल्द ही वो दिन भी आ जाएगा जब दुनिया कहेगी कि आतंकवाद का धर्म होता है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 2015 में हुए 452 आतंकवादी हमलों में से 450 इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किए थे और ये काम इस्लाम का दुरुपयोग करके किया गया था। हम ये बात ज़ोर देकर कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ना ही होना चाहिए इसलिए आज हम देश के सामने और सरकार के सामने एक सुझाव रखना चाहते हैं ताकि भटके हुए युवाओं को आतंकवादी बनने से रोका जा सके।

★ किसी भी ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों से धार्मिक आधार पर उनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार छीन लेना चाहिए और आतंकवादियों को कूड़े के साथ जला देना चाहिए। ये उपाय आतंकवाद में कमी लाने का उपाय साबित हो सकता है। क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकी को जलाया गया या दफनाया गया।

6. What should be strategy for India?

- ऐसा करने के लिए भारत को Local Intelligence Input की मदद लेनी होगी।
- भारत को ये समझना होगा कि दुनिया भी भारत को तब तक एक मज़बूत देश नहीं मानेगी, जब तक भारत अपने सेल्फ डिफेंस में जरूरी कदम उठाना शुरू नहीं करेगा।
- पाकिस्तान और Pok में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला करने के साथ ही भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमले भी कर सकता है, ताकि पाकिस्तान को बचकर निकलने का मौका ना मिले।
- लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना, या फिर उसकी ज़मीन पर जाकर सैन्य कार्रवाई करना, पाकिस्तान को भारत पर परमाणु हमला करने के लिए उकसा सकता है।

- ऐसे हालात से बचने का दूसरा तरीका ये है कि भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को एक Pariah State बना दे।
- Pariah State वो देश होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग-थलग कर दिया जाता है। कोई भी Pariah State के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखना चाहता। यानी आप इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी देश का हुक्का-पानी बंद करना भी कह सकते हैं।
- अब सवाल ये कि इस मसले पर दुनिया भारत की क्यों सुनेगी, तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए।
- भारत 132 करोड़ लोगों का देश है, और दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। ऐसा कोई भी देश जिसे अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है, भारत की अनदेखी नहीं कर सकता।
- उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका के बीच 87 हज़ार 47 करोड़ रुपये के रक्षा समझौते हो चुके हैं। अमेरिका के लिए भारत हथियारों का सबसे बड़ा बाज़ार है। अगर भारत इन हथियारों को खरीदना बंद कर दे तो ये नुकसान अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा
- इसी तरह चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता है वो भी भारत के साथ व्यापारिक घाटा नहीं झेल सकता
- चीन और भारत के बीच इस वक्त हर साल 4 लाख 62 हज़ार करोड़ रुपये का वार्षिक व्यापार होता है
- इनमें से भारत चीन से हर साल 4 लाख 4 हज़ार करोड़ रुपये का सामान खरीदता है। -भारत का साथ ना देने पर चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ होगा।
- इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान में CPEC परियोजना के तहत बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है। और चीन अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ने का मतलब होगा CPEC को भारी नुकसान पहुंचना।
- यूरोपियन यूनियन से अलग हुए ब्रिटेन की सबसे बड़ी उम्मीद भारतीय बाज़ार और भारतीय उपभोक्ता ही हैं।
- भारत और ब्रिटेन के बीच 91 हज़ार 707 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यापार होता है। -इसलिए ब्रिटेन भी पाकिस्तान को अलग-थलग किए जाने के भारत के दबाव को खारिज नहीं कर सकता।
- वर्ष 2000 के बाद से से यूरोपीयन यूनियन भी एंटी टेरिज्म स्ट्रेटजी अपनाता रहा है। इस स्ट्रेटजी के तहत यूरोपियन यूनियन उन सारे संसाधनों और मदद को रोक देती है जिसका फायदा आतंकवादी उठाते हैं।
- SAARC देशों के बीच भी पाकिस्तान को अलग-थलग करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और स्वाभिमान पर चोट की जा सकती है।

- बलोचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। भारत इस आक्रोश का फायदा उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत के मुकाबले काफी छोटी है और वो एक साथ कई मोर्चों पर नहीं लड़ सकती।
- भारत जैसे बड़े देश के साथ सीधे युद्ध में उलझने की बजाय पाकिस्तान फिदायीयन आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है।
- आप इसे आतंकवाद की दुनिया में पाकिस्तान का वो स्टार्ट-अप भी कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान को बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है, और नतीजे वही मिलते हैं जो किसी युद्ध में हासिल होते हैं।

7.दक्षिण कश्मीर में भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन 'काम डाउन'

कश्मीर घाटी में जारी उथल-पुथल के बीच भारतीय थलसेना ने अपनी एक पूरी ब्रिगेड ही दक्षिण कश्मीर में भेजी है। आतंकवादियों के सफाये और प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन 'काम डाउन' के तहत थलसेना ने यह ब्रिगेड भेजी है।

- इलाके में 'जंगल राज' जैसे हालात कायम होने की खुफिया सूचनाएं मिलने के बाद करीब 4,000 अतिरिक्त सैनिकों को स्थिति सामान्य बनाने के काम में लगाया गया है। हालांकि, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे बल प्रयोग कम से कम करें।
- इलाके में हालात ऐसे हैं कि आतंकवादी और उनसे हमदर्दी रखने वाले लोग हावी हैं, वे प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कें जाम कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के चार जिलों - पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम - में सैनिकों को तैनात कर दिया गया है।
- घाटी में हिंसा के मौजूदा दौर में दक्षिण कश्मीर के जिले ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बीते आठ जुलाई को हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की एक मुठभेड़ में हुई मौत के बाद से ही घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। वानी दक्षिण कश्मीर क्षेत्र से ही ताल्लुक रखता था।
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सहायता से थलसेना के जवान बारीकी से इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों की ओर से किया गया सड़क जाम हटा रहे हैं ताकि लोगों को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं हो। सड़कों पर पेड़ गिराकर, बिजली के खंभे गिराकर, बड़े-बड़े पत्थर रखकर और वाहनों को आग के हवाले करके प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम किया है।

पुलवामा के करीमाबाद इलाके से जाम हटवाने के बाद सेना के जवान शोपियां और कुलगाम की ओर रवाना हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि बकरीद के मद्देनजर कुछ समय के रोक दी गई यह प्रक्रिया त्योहार के बाद फिर से शुरू की जाएगी। सेना के अतिरिक्त जवानों को भी इस काम में लगाया जा सकता है। यह फैसला ऐसी खुफिया सूचनाएं मिलने के बाद किया गया कि डंडों, पत्थरों और पेट्रोल बमों से लैस कश्मीरी नौजवान

राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ जाने वाली सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और लोगों को उनके घरों से निकलने या श्रीनगर की तरफ जाने से रोक रहे हैं।

ऐसी सूचना थी कि वानी की मौत के बाद पैदा हुई अशांति के बाद से अब तक करीब 100 आतंकवादी दक्षिण कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। शोपियां जिले के हेफ्फ-श्रीमल, पुलवामा जिले के सम्बूरा, लिल्लाहर, पुलवामा कस्बे, त्राल और काकपुरा, कुलगाम जिले के कैमूह एवं रेधवानी और अनंतनाग जिले के रेधवानी जैसे इलाकों में आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका है।

चिनार और देवदार के पेड़ों से भरे जंगल आतंकवादियों को नए लड़कों को प्रशिक्षित करने का मनमाफिक माहौल मुहैया कराते हैं। ऐसी सूचना थी कि शोपियां जिले के कमला जंगल में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जब वहां छापेमारी की गई तो कोई नहीं मिला। - मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के पाखरपुरा से आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में दाखिल हो गए और बाद में वे अन्य इलाकों में फैल गए।

8. पकिस्तान नीती को नई दिशा देने की जरूरत

ऐतिहासिक रूप से ही पाकिस्तान के साथ संबंधों की सड़क ऊबड़खाबड़ रही है। पाकिस्तान नीति की पड़ताल करे तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि द्विपक्षीय एजेंडा में यह बात सबसे ऊपर रहे। अपेक्षा करना गलत होगा कि वह रातोंरात आतंकवाद को समाप्त कर देगा, चाहे उसकी कितनी भी इच्छा हो और यह काम करने में वह कितना भी सक्षम हो।

भारत को पकिस्तान के संबंध में एक त्रि-आयामी नीति अपनानी होगी

- पाक की जनता से विभिन्न माध्यमों से वृहद् संवाद की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जिससे वहां की जनता को वास्तविकता से परिचित कराया जा सके। यह भी देखना होगा कि सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर दोनों देशों की जनता एक-दूसरे के निकट आ सके।
- सरकारी स्तर पर वार्तालाप शुरू करना पड़ेगा, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान की कथनी-करनी में अंतर है। ऐसा करने से ही पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रोपेगंडा नहीं कर सकेगा कि हिंदुस्तान समस्याओं पर बात नहीं कर रहा।
- आतंकवाद का जवाब प्रतिक्रियात्मक नहीं वरन सुविचारित तरीके से देने की रणनीति बनानी पड़ेगी।

9. जानिए क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय सेना ने कब कब किये सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन

Why in news:

हाल ही में भारतीय सेना ने एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके साथ ही उनके समूहों को भारी नुकसान भी पहुंचाया। इस कार्रवाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना ने अंजाम दिया है। आइये जानते हैं क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक...

=>>सर्जिकल स्ट्राइक :-

◆ किसी भी सीमित क्षेत्र में सेना जब दुश्मनों या आतंकियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सैन्य कार्रवाई करती है, तो उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं।

◆ सर्जिकल स्ट्राइक में जिस इलाके में आतंकी या दुश्मन छिपे हुए हैं, सिर्फ उसी जगह को निशाना बनाया जाता है।

◆ इस दौरान ध्यान रखा जाता है कि आम लोगों को इससे कोई नुकसान न पहुंचे। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए सेना के स्पेशल कमांडो दस्ते को लगाया जाता है।

◆ इस तरह के हमले में सेना की छोटी और बेहद प्रशिक्षित कमांडो की टुकड़ी के भेजा जाता है।

=>>म्यांमार में की थी सर्जिकल स्ट्राइक :-

◆ 10 जून 2015 को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने सॉफ्ट स्टेट के ठप्पे को तोड़ते हुए दूसरे देश की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया। जून के पहले सप्ताह में मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों ने हमला किया था।

◆ इसमें सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। इसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा में दाखिल होकर हमला किया था। म्यांमार में हुई इस कार्रवाई के बाद से सवाल उठ रहे थे कि क्या भारतीय सेना कभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इस तरह की कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि इसका जवाब पूरी दुनिया को मिल गया होगा।

=>NSG के थे ये कमांडोज

◆ म्यांमार में ऑपरेशन को अंजाम देने वाले कमांडोज नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड्स (NSG) के अहम हिस्सा हैं। इन्हें हाईजैक और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। जून 2000 में सियेरा लियोन में इन कमांडोज ने गोरखा राइफल्स के 200 से ज्यादा सैनिकों को बचाया था, जिन्हें विद्रोहियों ने बंदी बना लिया था।

◆ श्रीलंका में लिट्टे से निपटने के लिए भेजी गई शांति सेना में भी इन कमांडोज ने अपने शौर्य का परिचय कराया था। साल 1971 में ढाका पहुंचने वाली पहली यूनिट पैरा कमांडोज की ही थी। इतना ही नहीं, साल 1999 में कारगिल युद्ध में भी इस यूनिट ने कई सफल मिशनों को अंजाम दिया था।

=>>सर्जिकल स्ट्राइक में मोसाद है नंबर वन :-

◆ सर्जिकल स्ट्राइक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का कोई जवाब नहीं है।

◆ साल 1949 में गठित हुई यह एजेंसी दुनियाभर में अभियान चलाने के लिए मशहूर है। मोसाद खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करने, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और खुफिया ऑपरेशन करने में महारत हासिल है।

◆ इस मामले में अमेरिकी की सीआईए, एफबीआई, रूस की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और इंग्लैंड की MI5 से बहुत आगे है।

◆ हालांकि, अमेरिका के नेवी सील के कमांडोज ने पाकिस्तान के एबोटाबाद में दुनिया में आतंक का पर्याय बने अल-कायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था।

सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विशेष अभियानों के लिए भारत की स्पेशल फोर्स

सर्जिकल स्ट्राइक को पीओके में स्पेशल फोर्स (भारतीय सेना) ने अंजाम दिया था। हर देश के पास अपनी स्पेशल फोर्स है। ऐसे ऑपरेशंस के लिए भारत में आठ तरह की स्पेशल फोर्स हैं। हर स्पेशल फोर्स में औसतन 650 कमांडो हैं।

1. एनएसजी (ब्लैक कैट)

- सेना व सीआरपीएफ के जांबाज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चुने जाते हैं। इन्हें दुनिया के बेस्ट हथियार दिए जाते हैं। मुंबई, पठानकोठ में इन्होंने ही आतंकी ढेर किए।

2. मरीन कमांडोज

- समुद्री संघर्ष की एक्सपर्ट देश की सबसे घातक फोर्स। ट्रेनिंग ऐसी कि 20 फीसदी ही पास होते हैं।

3. पैरा कमांडोज

- मारकोस के बाद नंबर है पैरा कमांडोज का। ये सबसे ट्रेड माने जाते हैं। बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा पास करनी होती है।

4. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स

- पैरामिलिट्री फोर्स की स्पेशल यूनिट। बंधक छुड़ाने व गुप्त ऑपरेशन में महारत। गुरिल्ला युद्ध में माहिर।

5. फोर्स वन

- 26/11 हमले के बाद गठन। क्विक रिस्पांस फोर्स 15 मिनट में किसी ऑपरेशन को तैयार।

6. गरुड़ कमांडो

- वायु सेना की इस टुकड़ी में करीब 2 हजार कमांडो हैं। हवाई हमलों, दुश्मन की टोह लेने और रेस्क्यू ऑपरेशन्स के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित होते हैं।

7. कोबरा फोर्स

- घने जंगलों में छिपे नक्सल ऑपरेशन के लिए ट्रेड। 150 नक्सली अब तक ढेर किए हैं।

8. घातक फोर्स

- सेना की स्पेशल कंपनी, जो मैन टू मैन असॉल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है।

10. स्लीपर सेल क्या कहलाते हैं?

आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों के बीच रहता है और आतंकियों के हैंडलर्स से आदेश मिलने के बाद हरकत में आते हैं। लंबे समय तक आम जिंदगी जीने वाले इन लोगों को सरकार के लिए पकड़ना मुश्किल

होता है। किसी मॉल-दुकान में काम करने वाले, छोटी-मोटी नौकरी-बिजनेस करने वाले ये स्लीपर सेल सूचनाएं जुटाने में माहिर होते हैं।

स्लीपर सेल जज्बाती होते हैं जो जान देने से भी नहीं चूकते। देश के बिगड़े माहौल में आतंकी इन्हीं स्लीपर सेल को एक्टिव करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

**

11. कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाएगी सेना

जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मंसूबों को नष्ट करने और लगातार हाईटेक होते आतंकी नेटवर्क से लोहा लेने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 330 करोड़ की लागत से जम्मू और कश्मीर में लगाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। यह सिस्टम आतंकियों की घुसपैठ से निपटने में सेना की मदद करेगा।

=>>क्या है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम :-

◆इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऐसी प्रणाली है जो दुश्मन के नेटवर्क में घुसकर नजर रख सकती है इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उसको जाम भी कर सकती है।

◆जाहिर है इसके आने से सेना को आतंकवाद से लड़ने में काफी मदद मिलेगी।

**

12.भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बराक- 8 मिसाइल का किया सफल परीक्षण

भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे उड़ीसा के चांदीपुर से छोड़ा गया।

- मिसाइल भारत द्वारा इजरायल के सहयोग से बनाई गई है।
- इस मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किमी. है।

यह लगभग 4.5 मीटर लंबी, 270 किमी वजनी मिसाइल है

- गौरतलब है कि मार्च 2009 में इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर 24 मिसाइल बनाने का सौदा किया था, जो कि अक्टूबर 2016 में पूरा होना था। लेकिन पहला टेस्ट रद्द होने के बाद इसमें देरी होती रही। इस मिसाइल के टेस्ट से पहले लगभग 3500 लोगों को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह बसा दिया गया था।

BARAK SHIELD

► Barak-I anti-missile defence systems fitted on 14 frontline warships such as aircraft carrier INS Viraat, guided-missile destroyers & Shivalik-class stealth frigates

► Barak intercepts hostile incoming sea-skimming missiles at 9-km range

► Successive Navy chiefs sounded alarm

that warships are running out of Barak missiles. But fresh procurement stuck for last 6 years due to CBI case

► Next-generation Barak systems (70-km range) being developed in joint Israel-DRDO project for IAF and Navy for ₹12,672 crore. But delayed till Dec 2015. New aircraft carrier INS Vikramaditya & destroyer INS Kolkata without these missile defence systems

13. भारत के पास अब है राफेल की ताकत

भारत ने फ्रांस के साथ अत्याधुनिक राफेल विमानों को लेकर एक बड़ी डील की है। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों को लेकर करारा हुआ है। राफेल विमान बेहद शक्तिशाली और कठिन से कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के पास भी ऐसे लड़ाकू विमान नहीं हैं।

=>>जानें क्या विशेषताएँ है अत्याधुनिक राफेल विमानों में :-

- फ्रांस के साथ हुए सौदे में जो 36 राफेल फाइटर प्लेन भारत को मिलने वाले हैं, वे अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस हैं।
- इनमें दुनिया की सबसे घातक समझी जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मेटेओर (METEOR)मिसाइल खास है। ये मिसाइल चीन तो क्या किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। यानि राफेल प्लेन वाकई दक्षिण-एशिया में गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
- ये पिछले 20 सालों में पहला फाइटर प्लेन का सौदा है। इसके साथ फाइटर प्लेन के हथियार भी मिलेंगे। साथ ही अगले पांच सालों के लिए स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनस मिलेगा। ये विमान दुश्मन की जमीन में डीप पैनिट्रेशन यानि दूर तक वॉर करने में सक्षम साबित होगा। इस मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है।

=>>>राफेल विमान डील की फुल डीटेल :-

- भारत ने राफेल सौदे में करीब 710 मिलियन यूरो (यानि करीब 5341 करोड़ रुपये) लड़ाकू विमानों के हथियारों पर खर्च किए हैं। गौरतलब है कि पूरे सौदे की कीमत करीब 7.8 बिलियन यूरो यानि करीब 59 हजार करोड़ रुपये (मंहगाई दर 3.5 से ज्यादा नहीं होगी किसी भी स्थिति में) है।
- 36 विमानों की कीमत 3402 मिलियन यूरो, विमानों के स्पेयर पार्ट्स 1800 मिलियन यूरो के हैं जबकि भारत के जलवायु के अनुरूप बनाने में खर्चा हुआ है 1700 मिलियन यूरो का। इसके अलावा पर्फॉमेंस बेस्ड लॉजिस्टिक का खर्चा है करीब 353 मिलियन यूरो का। एक विमान की कीमत करीब 90 मिलियन यूरो यानि करीब 673 करोड़ रुपये है। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिम्युलेटर, ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपये पडेगी।

=>>>विशेष मिसाइलों से लैस है राफेल

- वियोड विज्युल रेंज 'मेटेओर' मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है।
- इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प (SCALP) क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका (MICA) मिसाइल से भी लैस है।

=>>>पायलट के लिए खास हेलमेट

★राफेल प्लेन में एक और खासयित है. वो ये कि इसके पायलट के हेलमेट में ही फाइटर प्लेन का पूरा डिस्पले सिस्टम होगा. यानि उसे प्लेन के कॉकपिट में लगे सिस्टम को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. उसका पूरा कॉकपिट का डिस्पले हेलमेट में होगा. पहला प्लेन अगले 36 महीने में भारत पहुंच जायेगा.

=>>वायुसेना की जरूरत के मुताबिक बनें हैं राफेल विमानः

★सभी 36 प्लेन अगले 66 महीने में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जायेंगे. सूत्रों के मुताबिक, प्लेन के आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि राफेल बनाने वाली कंपनी को इसमें भारतीय वायुसेना की जरूरत के मुताबिक उपकरण लगाए गए हैं.

■भारत में आने के बाद इनकी स्कावड्रन ग्वालियर और सरसावा (सहारनपुर के करीब) स्थित होगी.

=>>सुखोई (Sukhoi) से बेहतर है राफेलः

- वायुसेना की एक स्कावड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं. अभी सरसावा में सुखोई की स्कावड्रन हैं और ग्वालियर में मिराज और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सी-130जे सुपर हरक्युलिस की बेस है.
- राफेल बनाने वाली कंपनी से भारत ने ये भी सुनिश्चित कराया है कि एक समय में 75 प्रतिशत प्लेन हमेशा ऑपरेशनली-रेडी रहने चाहिए (सुखोई के लिए ये 46 % था).

=>>दुर्गम इलाकों में कार्रवाई के लिए सक्षम

- इसके अलावा भारतीय जलवायु और लेह-लद्दाख जैसे इलाकों के लिए खास तरह के उपकरण लगाए गए हैं, ताकि बेहद उंचाई और ठंड वाले इलाकों में भी इन्हे उड़ने में कोई दिक्कत ना हो.
- साथ ही राफेल 24 घंटे में पांच बार उड़ने की क्षमता रखता है. जबकि सुखोई सिर्फ तीन (03) उड़ान भर सकता है. राफेल का फ्लाइट रेडियस करीब 780-1050 किलोमीटर है.

THE MEGA DEAL

India and France are expected to sign the agreement for purchase of 36 Rafale fighters on Friday in presence of the Defence Ministers of both the countries

Rafale is a strategic weapon in the hands of the IAF due to its beyond visual range Meteor air-to-air missile, with a range in excess of 150 km

Worth Rs. 60,000 crore, **(7.8 billion Euros)**, Rafale is one of the biggest defence deals India has ever signed

- Among the most advanced fighters in operation in the world
- Key features are an Israeli helmet mounted display, **air-to-air beyond visual range** missiles; and other missile systems

KEY QUESTIONS

- A very expensive acquisition
- Will further add to the logistics challenge for the Air Force, **which operates several kinds of Russian and NATO fighters**


Average fighter would cost over Rs 1,600 crore, three times a Sukhoi-30 fighter

Given the high cost, more **Rafale fighters** may not be acquired

Air Force has a need for at least **42 fighter squadrons**; it now has only **33**

SERVICE SUPPORT

- France will carry out performance-based logistics support — at all times, at least **75 per cent fighters** will be airworthy



75%

With Rafale's BVR air-to-air missile, IAF can hit targets inside Pakistan from India's territory

Rafale deal comes with a net saving of nearly 750 million Euros compared with the one struck during the previous government, which was scrapped by the NDA, besides a 50 per cent offset clause

=>>वायुसेना क्यों है चिंतित?

वायुसेना लगातार घट रही स्काॅवड्रन से चिंतित है. वायुसेना को 44 स्काॅवड्रन की जरूरत है. जबकि वायुसेना में अभी 32 स्काॅवड्रन हैं. वायुसेना पहले ही कह चुकी है कि उसे टू-फ्रंट वॉर (यानि एक साथ पाकिस्तान और चीन से) लड़ने के लिए कम से कम 44 स्काॅवड्रन की बेहद जरूरत है.

फ्रांस के साथ हुए सौदे में 50 प्रतिशत ऑफसेट क्लॉड का प्रवाधान है. इस 50 प्रतिशत का भी 74 प्रतिशत फ्रांस को भारत से लड़ाकू विमानों के लिए आयात करना होगा.

**

मोरमुगाओ' का जलावतरण

- यह है भारत का सबसे शक्तिशाली विध्वंसक जंगी जहाज
- यह परियोजना 15बी के तहत विशाखापत्तनम वर्ग का दूसरा गाइडेड मिसाइल विनाशक जहाज है।
- इस तरह के चार और विध्वंसक जहाजों का निर्माण किया जाना है।
- यह रडार की नजर से बच निकलने में सक्षम है। इस विध्वंसक युद्धपोत की तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जंगी जहाजों से की जा सकती है।

- मरमुगाओ में इजराइल का मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अल्टर रडार 'एमएफ-स्टार' लगा है। यह कई किलोमीटर दूर से हवा में मौजूद लक्ष्य को पहचान लेगा।
- एमएफ-स्टार की सहायता से जहाज पर तैनात बराक-8 और ब्रम्होस मिसाइल का निशाना सटीक हो जाएगा। ये मिसाइलें हवा में उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर और जमीन या समंदर पर मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर दूर से निशाना लगा लेंगी।

**

14. बलोचिस्तान एजेंडे पर आगे बढ़ा भारत, AIR ने बलोच लोगों के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप की शुरुआत की

भारत ने अपने बलोचिस्तान एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए बलूची सेवा के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल एप की शुरुआत की। लोक प्रसारक प्रसार भारती ने आकाशवाणी की बलूची सेवा के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल एप की शुरुआत की जिसके माध्यम से दुनियाभर में इस भाषा को बोलने वालों तक पहुंच बनाई जा सकेगी।

- ★ प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने बलूची वेबसाइट और मोबाइल एप की शुरुआत की।
- ★ आकाशवाणी (एआईआर) का विदेशी सेवा विभाग विभिन्न भाषा सेवाओं के लिए अपने मौजूदा शॉर्टवेव ट्रांसमिशन के लिहाज से अतिरिक्त प्लेटफॉर्म तलाशने के प्रयासों के तहत बलूची भाषा सेवा के लिए एक मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल एप शुरू कर रहा है। मई, 1974 से बलूची भाषा में प्रसारण हो रहा है।
- ★ आकाशवाणी की वेब सेवा को इस भाषा में शुरू करने का कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण की पृष्ठभूमि में उठाया गया है जिसमें उन्होंने बलोचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तान के अत्याचार के मुद्दे को उठाया था।
- ★ आकाशवाणी के इन प्रयासों से पहले डीडी न्यूज ने बलूच रिपब्लिकन पार्टी के नेता बी बुगती का साक्षात्कार लेने के लिए अपनी एक टीम जिनेवा भेजी थी।

**

15. धनुष तोप

- आयुध निर्माणी बोर्ड ने सेना को देश की सबसे शक्तिशाली तोप धनुष सौंप दी है। आर्मी ने इसे अपने बेड़े में शामिल भी कर लिया है।
- भारत की तीन आयुध निर्माणियों में तैयार 'धनुष' की फिलहाल तीन तोपें आर्मी को सौंपी गई हैं
- धनुष तोप बोफोर्स से 13 किलोमीटर अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है।
- धनुष का निर्माण बोफोर्स से मिली तकनीक में सुधार करके किया गया है।
- धनुष की मारक क्षमता 27 किमी से बढ़ाकर 38 किमी कर दी गई। धनुष तोप में एक परफारमेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, गनर साइड का डिस्प्ले भी जोड़ा गया है।

विविध

1. पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव

पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस को महासभा ने संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव नियुक्त किया. 193 सदस्य देशों वाली शक्तिशाली महासभा ने 67 वर्षीय गुटेरेस को नौवां संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. वह बान की मून की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरा होगा.

★ 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुटेरेस के लिए मतदान किया था और उनका नाम महासभा को भेज दिया था.

★ गुटेरेस 1995 से लेकर 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे. वह जून 2005 से दिसंबर 2015 तक शरणार्थी मामलों के संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त भी रहे.

★ महासचिव का चयन करने के लिए परिषद में हुए सभी छह अनौपचारिक मतदानों में गुटेरेस सबसे आगे रहे. वह ऐसे समय आगे रहे जब संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देश और नागरिक समाज संगठन विश्व निकाय का मुखिया किसी महिला को चुनने की मांग उठा रहे थे. संयुक्त राष्ट्र के 71 साल के इतिहास में इसके सभी प्रमुख पुरुष ही रहे हैं.

★ हालांकि, बान ने उन्हें महासचिव पद के लिए "एक शानदार विकल्प" करार दिया. बान ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख के रूप में गुटेरेस के कार्यकाल का संदर्भ देते हुए कहा, "महासचिव-निर्वाचित गुटेरेस को हम सभी अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन वह शायद सर्वश्रेष्ठ रूप में वहां जाने जाते हैं जहां इसका सर्वाधिक महत्व हो (सशस्त्र संघर्ष और मानवीय पीड़ा के मोर्चों पर)

★ उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि गुटेरेस ने "लाखों लोगों के लिए गहरी करुणा दिखाई जिन्हें अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है. उन्होंने उनकी मदद के लिए अनवरत काम किया." बान ने कहा था, "पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका (गुटेरेस का) पिछला अनुभव, विश्व मामलों के बारे में उनका व्यापक ज्ञान और उनकी जीवंत मेधा एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय में संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने में भी उनकी अच्छी तरह मदद करेगी."

★ अपने चयन के तुरंत बाद लिस्बन में बोलते हुए गुटेरेस "आभार" प्रकट किया था और संघर्ष, आतंकवाद, मानवाधिकार उल्लंघन तथा गरीबी के पीड़ितों सहित अत्यंत संवेदनशील तबकों के लिए "सेवा करने" का संकल्प लिया था.

★ अप्रैल में रखे गए अपने दृष्टि पत्र में उन्होंने जोर देकर कहा था कि चार्टर में निहित शांति, न्याय, मानवीय गरिमा, सहनशीलता और एकजुटता के मूल्य विश्व में सभी संस्कृतियों और धर्मों का केंद्र हैं तथा इनकी झलक "उपनिषदों से लेकर कुरान तथा गास्पल तक में दिखती है." गुटेरेस ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अपने अच्छे कार्यों तथा मध्यस्थता क्षमता को एक ईमानदार मध्यस्थ की तरह "सक्रियता, निरंतरता और बिना थके" करना चाहिए.

★विश्व निकाय का नया प्रमुख नियुक्त करने की प्रक्रियाओं के तहत, परिषद से महासभा को सिफारिश भेजे जाने के बाद, महासभा के लिए कार्रवाई करने के वास्ते एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया जाता है।

★पिछले पांच महासचिव महासभा ने आम सहमति से स्वीकार किए एक प्रस्ताव के जरिए नियुक्त किए थे . मतदान तभी कराया जाता है जब कोई सदस्य देश इसकी मांग करे और प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए महासभा को एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी. यदि मतदान कराया जाता है तो यह गुप्त मतदान होगा.

★गुटेरेस के अतिरिक्त 12 अन्य उम्मीदवार भी पद की दौड़ में थे. नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चयन का फैसला पारंपरिक रूप से कुछ शक्तिशाली देश बंद कमरों में हुई बैठकों में करते थे, लेकिन इस बार पहली बार इस प्रक्रिया में जन चर्चा शामिल हुई और प्रत्येक उम्मीदवार ने विश्व के शीर्षतम राजनयिक पद के लिए प्रचार किया .

★उम्मीदवारों, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और नागरिक समाज के संगठनों के बीच अनौपचारिक चर्चा अप्रैल में शुरू हुई थी जब पहले तीन उम्मीदवारों ने अपना दृष्टि पत्र रखा तथा इस मुद्दे पर सवालियों के जवाब दिए कि वे किस तरह स

2. सैलरी और इंसुरेन्स की कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी पर दो अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार

हार्वर्ड में प्रोफेसर **ओलिवर हार्ट** और मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के **बेंट होम्स्ट्रॉम** को संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स का नोबेल अवॉर्ड दिया जाएगा। - हार्ट और होम्स्ट्रॉम ने **कॉन्ट्रैक्चुअल डिजाइन** के क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क डेवलप किया, जिसके मुताबिक किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी कैसे मिलती है, इन्श्योरेंस में किस तरह से प्रीमियम काटा जाता है, यह तय किया जा सकता है। दोनों ने पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन पर भी काम किया।

=>> **क्या है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी?**

- कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसी को कॉन्ट्रैक्ट के डिजाइन को समझने में मदद करती है। - इस थ्योरी का टारगेट इस बात को विस्तार से समझाना है कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट्स में कई तरह के फॉर्मस और डिजाइन होते हैं।

- इसका दूसरा मकसद इस बात का पता लगाना है कि कैसे कोई एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकता है।

- नोबेल प्राइज एकेडमी के मुताबिक, इस थ्योरी की वजह से एक बेहतर इंस्टीट्यूट तैयार करने में काफी मदद मिलती है।

इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सांतोस को मिलेगा

नार्वे की नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी. सांतोस को यह पुरस्कार कोलंबिया में बीते पांच दशक से जारी गृहयुद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के लिए दिया जा रहा

है.

- इस संघर्ष में अब तक ढाई लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कम से कम 60 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है.

★ पिछले महीने कोलंबिया की सरकार और वामपंथी संगठन रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया (फार्क) के बीच शांति समझौता हुआ था. इस पर कोलंबिया सरकार की तरफ से राष्ट्रपति सांतोस ने हस्ताक्षर किए थे. इसके बाद उन्होंने कहा था कि शांति स्थापित करने के मामले में कोलंबिया पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है.

★ इस समझौते के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी, क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो जैसी कई हस्तियां मौजूद थीं.

★ नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने इस पुरस्कार को कोलंबिया की जनता का सम्मान बताया है, जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद शांति की उम्मीद नहीं छोड़ी है.

★ समिति ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति सांतोस ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्षों के साथ बात शुरू की जो विद्रोही गुटों के साथ शांति समझौते तक पहुंची. इसके अलावा उन्होंने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है.

★ इस शांति समझौते पर दो अक्टूबर को जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें जनता ने बेहत मामूली अंतर इसे नकार दिया था. इसके समर्थन में 49.8 फीसदी, जबकि विरोध में 50.2 फीसदी वोट पड़े थे. जनमत संग्रह में इस समझौते को नकारे जाने के बाद नोबेल पुरस्कार के लिए संभावित लोगों में से सांतोस का नाम हटाए जाने की खबर भी आई थी.

★ राष्ट्रपति सांतोस शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले कोलंबिया के दूसरे शख्स हैं. इससे पहले जाने-माने लेखक ग्रैबियल ग्रासिया मार्खेज को 1982 में नोबेल पुरस्कार मिला था.

नोट :- इस बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जापानी कोशिका विज्ञानी योशिनोरी ओसुमी को जबकि भौतिकी का नोबेल ब्रिटेन के तीन वैज्ञानिकों, डेविड थूल्स, डंकन हाल्डेन और माइकल कोस्टरलिट्ज को दिया गया है

GENERAL STUDIES HINDI

3. भौतिकी का नोबेल पुरस्कार:- तत्व के विचित्र रूपों के लिए भौतिकी का नोबेल

भौतिक विज्ञान में वर्ष 2016 का नोबेल पुरस्कार तत्व के विविध रूपों से जुड़ी खोज को दिया गया है.

- ब्रिटेन के तीन वैज्ञानिक डेविड थूल्स, डंकन हाल्डेन और माइकल कोस्टरलिट्ज को संयुक्त रूप से इस वर्ष का नोबेल दिया जाएगा।
- नोबेल कमेटी ने कहा है कि इस बार के विजेताओं ने 'अबूझ दुनिया को समझने के लिए दरवाजे खोले हैं.'
- इस रहस्यमयी स्थिति में तत्व कई रूपों में मौजूद हो सकता है और इन वैज्ञानिकों की खोज नए तत्वों की डिजाइनिंग में मदद करने वाली है.

=>> पिछले पांच वर्षों में भौतिक शास्त्र के नोबेल विजेता

2015- तकाकी कजिता और आर्थर मैकडोनाल्ड- न्यूट्रिनो कैसे बदलते हैं अपना कलेवर की दिशा में खोज के लिए

2014- इसामू अकासाकी, हिरोसी अमानो और शुजू नकामूरा- पहला ऐसा डायोड बनाने के लिए जो नीली रोशनी उत्पन्न करे.

2013- फ्रांसिस एंगलर्ट और पीटर हिग्स- हिग्स कण के सिद्धांत के लिए.

2012- सर्ज हारोके और डेविड वाइनलैंड को प्रकाश और तत्व पर काम के लिए

2011- साउल पर्लमटर, ब्रायन पी स्मिट और एडम रिस को इस खोज के लिए कि ब्रम्हांड के फैलने की गति बढ़ रही है.

4. नोबेल पुरस्कार:- जापान के ओसुमी को मेडिसिन का नोबेल

जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को वर्ष 2016 के मेडिसिन नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है.

2016 NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016 was awarded to **Yoshinori Ohsumi** for establishing the mechanisms of autophagy – the process by which cells degrade and recycle their components.

AUTOPHAGY: WHAT IT IS AND HOW IT WORKS

ISOLATION MEMBRANE → LYSOSOME → CONTENTS DEGRADE

'Autophagy' originates from Greek and means 'self-eating'. It refers to a process where cells disassemble unnecessary or malfunctioning cell components.

The components to be degraded are encapsulated in membranes, then transported to the lysosome, the part of the cell which degrades them.

Yoshinori Ohsumi used yeast cells to investigate autophagy. He proved that autophagy occurs in yeast cells, and identified the genes essential for the process. He eventually identified the proteins that control autophagy.

1992 IDENTIFIES AUTOPHAGY IN YEAST CELLS

1993 IDENTIFIES GENES INVOLVED IN AUTOPHAGY

1998 IDENTIFIES CONTROL PROTEINS

GENERAL STUDIES HINDI

WHY DOES THIS RESEARCH MATTER?

Autophagy provides energy and building materials for cellular components. It also removes damaged cell components, important for combating the aging process. Parkinson's, diabetes, and cancer have all been linked to disruptions in the autophagy process.

Autophagy:

- CREATES ENERGY FOR CELLS
- HELPS ELIMINATE BACTERIA/VIRUSES
- CONTRIBUTES TO EMBRYO DEVELOPMENT
- ELIMINATES DAMAGED CELL COMPONENTS
- DISTURBANCES LINKED TO DISEASE

Nobel Prize in Medicine or Physiology Press release: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/press.html

© Compound Interest/Andy Brunning – compoundchem.com
Shared under a CC Attribution-NonCommercial-NoDerivatives licence

CC BY NC ND

- उन्हें ये पुरस्कार कोशिकाओं के डिग्रेडेशन और रिसाइक्लिंग पर उनके शोध के लिए दिया जा रहा है.

- नोबेल कमेटी ने कहा कि ओसुमी की खोज से कोशिका से जुड़ी कई प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी करने में मदद मिली है.
- इनमें कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन और संक्रमण की प्रक्रिया शामिल हैं, जो पारकिंसन जैसी तंत्रिका से जुड़ी बीमारी, मधुमेह और कैंसर की वजह बनती हैं.

5. विश्व पर्यटन दिवस

विश्व पर्यटन दिवस (WTD), पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 27 सितम्बर को मनाया जाता है.

उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन के प्रति और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाना है. इस समारोह के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) को रेखांकित किया जाएगा और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्यटन क्षेत्र क्या योगदान कर सकता है, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा .

थीम/विषय: 'वैश्विक पहुँच बढ़ाने हेतु - सभी के लिए पर्यटन'.

एशिया के सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों में भारत के 5 संग्रहालय शामिल संयुक्त राष्ट्र के सर्वेक्षण में पांच भारतीय संग्रहालयों ने एशिया के सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों में अपनी जगह बनायी है और लेह का 'हॉल ऑफ फेम' भारत की सूची में शीर्ष पर है जो यात्रियों को काफी आकर्षित करता है।

- चार अन्य सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय बागोर की हवेली) उदयपुर(, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल) कोलकाता(, सलार जंग म्यूजियम) हैदराबाद (और जैसलमेर वार म्यूजियम) जैसलमेर (हैं।
- दर्शन म्यूजियम) पुणे(, डॉन बॉस्को सेंटर फार इंडिजेनस कल्चर्स) शिलांग(, हेरीटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम) ताआरो(, सिद्धगिरि म्यूजियम) कोल्हापुर (और गांधी स्मृति) नयी दिल्ली (भी भारत के 10 श्रेष्ठ संग्रहालयों में शामिल हैं।
- यह सूची अल्गोरिदम की मदद से तय की गयी है जिसमें 12 महीने तक दुनियाभर में उनकी समीक्षाओं और रेटिंग की मात्रा एवं गुणवत्ता को संज्ञान में लिया गया था।

★★वैसे भारत का कोई भी संग्रहालय दुनिया के शीर्ष 25 संग्रहालयों में नहीं आया है। न्यूयार्क का मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इस सूची में शीर्ष पर है और उसके बाद क्रमशः आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम एंड विंटर पैलेस, म्यूजी डी ओरसे (पेरिस) और नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलोजी (मैक्सिको) आदि हैं।

★ एशिया की सूची में चीन का म्यूसियम ऑफ क्वि टेर्रा कोटा वारियर्स एंड होर्स पहले नंबर पर है।

6. सोनितपुर जिले को 'साक्षर भारत अवॉर्ड'

असमके सोनितपुर जिले को 'साक्षर भारत अवॉर्ड' के लिए चुना गया है।

अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर दिया जाएगा

7. अमेरिका में कुल आबादी के करीब 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे

अमेरिका जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी 2015 में 4.3 करोड़ अमेरिकी नागरिकों ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन किया जो दुनिया की इस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले इस देश की आबादी का करीब 14% है।

- रिपोर्ट के अनुसार यह तब है जबकि पिछले साल अमेरिका में गरीबी का अनुपात 16 साल में सबसे तेजी से नीचे आया। वर्ष के दौरान गरीबी का अनुपात एक साल पहले से 1.2% नीचे रहा।

- अमेरिका जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2015 में 13.5% अमेरिकी गरीबी रेखा से नीचे रहे। यह 2014 की तुलना में 1.2% कम है। इसके अनुसार सालाना आधार पर गरीबी दर में इस तरह की कमी 1998 से 1999 के दौरान देखने को मिली थी।

8. स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बनीं 105 साल की कुंवर बाई

छत्तीसगढ़ की 105 वर्षीय कुंवर बाई स्वच्छ भारत मिशन का चेहरा बनेंगी। कुंवर बाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वच्छ भारत अभियान' का मैस्कॉट चुना है।

बता दें कि कुंवर बाई ने अपने घर में शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियों को बेच दिया था। उन्होंने अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने की कोशिश की है।

- कुंवर बाई ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक मिसाल पेश की है, इसलिए उन्हें उस उम्र में देश की एक सबसे बड़ी योजना का चेहरा चुना गया है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर 2016 को सम्मानित भी करेंगे। वह कार्यक्रम दिल्ली में होगा। उस कार्यक्रम का नाम 'स्वच्छता दिवस' रखा गया है। इस कार्यक्रम में कुंवर बाई 7 महीने में दूसरी बार सम्मानित होंगी। उन्हें यह सम्मान 17 सितंबर को स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली में दिया जाएगा।

- प्रधानमंत्री मोदी बीते फरवरी में छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में श्याम प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन के शुभारंभ समारोह के दौरान उनसे मिले थे और उनके पैर भी छुए थे।

=> **प्रसिद्धि का कारण :-**

- धमतरी में जब लोगों से शौचालय बनाने की अपील की गई तो कुंवर बाई सबसे पहले इस काम में अपना सहयोग देने के लिए आगे आईं। बकरियां चराकर जीवन-यापन करने वाली कुंवर बाई ने बकरियां बेचकर 22 हजार रुपये में गांव में सबसे पहले शौचालय बनवाया।

- उन्होंने बाकायदा घर-घर जाकर लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया और गांववालों को इसके फायदे समझाने में कामयाब भी हुईं। इस गांव के लोग अब खुले में शौच नहीं जाते हैं।

9. दुनिया का सबसे बड़ा विमान एयरलैंडर-10

विशेषताएँ

- यह उड़ान के दौरान पांच दिन तक हवा में रह सकता है।
- हजार कि.ग्रा तक का वजन ले जाने में सक्षम।
- 10 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड।
- 148 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है।
- 20 हजार किलो ग्राम इसका वजन है।
- 20 फीट (92 मी.) लम्बा है यह विमान।

10. ऐपल को बड़ा झटका, यूरोपीय आयोग ने आयरलैंड सरकार को 962 अरब रुपए चुकाने को कहा

- आयरलैंड टैक्स मामले में आईफोन निर्माता कंपनी ऐपल को बड़ा झटका लगा है . यूरोपीय आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए ऐपल को आदेश दिया है कि उसे आयरलैंड सरकार को 13 बिलियन यूरो) करीब 962 अरब रुपए (का टैक्स चुकाना होगा.
- 2013 से इस मामले की जांच कर रहे यूरोपीय आयोग ने मंगलवार को कहा कि आयरिश सरकार ने 1991 से ऐपल को टैक्स में बड़ी छूट दी है .उसके अनुसार आयरलैंड में कारपोरेट टैक्स की दर 12.5 प्रतिशत है, लेकिन ऐपल ने 2003-2014 तक 1 प्रतिशत से भी कम की दर से यह टैक्स अदा किया है .आयोग का आरोप है कि आयरलैंड सरकार और ऐपल के बीच एक 'स्वीटहर्ट डील' हुई थी .इस डील के तहत सरकार ने कंपनी को टैक्स में रियायत सहित कई तरह की सुविधाएं दीं और इसके बदले ऐपल ने आयरलैंड के युवाओं को नौकरियों में तरजीह देने का वादा किया था.
- आयोग की प्रमुख मार्ग्रेथ वेस्टागर के अनुसार आयरिश सरकार ने ऐपल को यूरोपीय संघ के कानून के खिलाफ जाकर फायदा पहुंचाया है और इसलिए ऐपल को हर हाल में 2003 से लेकर 2014 तक का 13 बिलियन यूरो टैक्स ब्याज के साथ चुकाना होगा.
- उधर, आयरलैंड के वित्त मंत्री माइकल नूनान और ऐपल के सीईओ टिम कुक दोनों ने ही आयोग के इस फैसले को गलत बताया है .दोनों ने ही इसके खिलाफ यूरोपीय कोर्ट में अपील करने की बात कही है .कुक का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह से निराधार है कि उनके और आयरिश सरकार के बीच कोई डील हुई थी.

11. तमिलनाडु में देश का पहला green rail corridor

तमिलनाडु में रामेश्वरम व मनामदुरै के बीच पहला green रेल corridor घोषित किया गया है जो भी ट्रेन रामेश्वरम से चलती है उनमें bio toilet fix किया गया है

**